खण्ड-190, अंक-10
शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत् 1879
(7 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी , श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उलफ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम , श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंहरावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश नारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल , श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालुशास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
(मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री

बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी,
ब्रजभूषण शरण, श्री श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमारशर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा , श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलालसहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री

रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणरावकदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुफ्तअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णगोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमदअन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
मोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला बोर्डों का चुनाव मई, १९५८ में कराने का विचार

****१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् १९५८ में जिला बोर्डों का चुनाव कराने का जो निश्चय किया था क्या उसे मई सन् १९५८ तक के लिये स्थगित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां, जिला बोर्डों का निर्वाचन कराने के लिये, जिन्हें अब वयस्क मतदान (Adult Franchise) के आधार पर कराया जायेगा वर्तमान यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ में संशोधन करना आवश्यक है। पहले यह विचार था कि यह संशोधन एक अध्यादेश द्वारा कर दिये जायेंगे और यह संभव हो सकेगा कि निर्वाचन मार्च में सम्पन्न हों। परन्तु फिर यह उचित समझा गया कि यह संशोधन एक संशोधक विधेयक द्वारा किये जायें। इस विषय पर एक संशोधक विधेयक सभा की एक वर्तमान बैठक में उपस्थित किया जा चुका है। उसके पारित होने के पश्चात् ही निर्वाचन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। अतः आशा है कि निर्वाचन मई, १९५८ में सम्पन्न हो सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई की किस तारीख तक निर्वाचन पूर्ण हो सकेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रयत्न तो यह हो रहा है कि १५ तारीख से पहले ही पूर्ण हो जायं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान विधेयक के पास होने के पहले ही क्यों न आर्डिनेंस से इस चुनाव को करा दिया गया?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, जब विधेयक सामने मौजूद है तो आर्डिनेंस का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मई में चुनाव होने की अभी आशा ही है या निश्चय हो गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने तो ऐसा निश्चय किया है लेकिन बाकी तो सदन की इच्छा के ऊपर है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मार्च में यह चुनाव नहीं हो सके, इसका क्या कारण था?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है कि वह विधेयक के लिये वेट कर रहे थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार सदन में ऐसा कोई प्रस्ताव लायेगी जिसमें सदन मई में चुनाव की तिथियां निश्चित करेगा?

श्री रामस्वरूप यादव—जो बिल सदन के सामने चल रहा है उसके उद्देश्य में लिखा है कि सरकार की इच्छा मई में चुनाव कराने की है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या मई में चुनाव कराने के लिये सरकार यह आवश्यक समझती है कि वर्तमान जिला बोर्डों को तत्काल भंग कर दिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ऐसी आवश्यकता नहीं समझती।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मई में जो यह चुनाव होने जा रहे हैं वह पूरे प्रदेश में एक ही दिन हो जायेंगे या कई दिन में कराये जायेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—पूरे प्रदेश में एक ही दिन नहीं हो सकते लेकिन हर जगह में २ या ३ दिन में हो सकेंगे।

तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेज, कानपुर में आनरेरी सर्जन तथा फ़िज़ीशियन नियुक्त करने के विरुद्ध सुझाव

*१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर मेडिकल कालिज में आनरेरी फ़िज़ीशियन और सर्जन नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी नहीं।

*२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक ऐसी कुल कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

*३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार की नियुक्तियों के विरुद्ध सरकार के समक्ष कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मेडिकल कालेज की स्थापना के पश्चात् सरकार को यह सुझाव दिया गया कि कालेज के अस्पतालों में वैतनिक डाक्टरों की नियुक्तियां और उनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था चालू होने के बाद आनरेरी डाक्टरों के कार्य का कालेज के कार्य-क्रम के साथ समन्वय होने में कठिनाई होगी। इस प्रश्न पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

बाजार कर्मचारियों को ओवरटाइम तथा नोटिस पे का पैसा दिलाने की कानूनी व्यवस्था न होना

*४—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि U. P. Shops and Commercial Establishment Act, 1947 के अन्तर्गत बाजार कर्मचारियों को Over time और Notice pay का पैसा दुकानदारों द्वारा अदा न करने पर सरकार की ओर से कर्मचारियों को पैसा दिलाने की क्या व्यवस्था है?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये यू० पी० शाप्स ऐंड कामर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट लागू होने के बावजूद इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था क्यों नहीं है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिस सदन ने वह कानून पारित किया उसने जितने अधिकार, जितनी चीज रखी है, वह आपके सम्मुख है। उससे अधिक न तो हमारे अधिकार हैं और न कर्त्तव्य।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कोई कानूनी व्यवस्था करने के लिये शाप्स ऐण्ड कामर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट में कोई संशोधन करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कानून के लागू होने के बाद बाजार कर्मचारियों की ओर से समय-समय पर इस दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित जब-जब किया गया तब तक कर्मचारियों को वह रास्ते जिनसे इस कठिनाई को दूर किया जा सकता था बता दिये गये।

गोरखपुर जिले के टेहरी ग्राम में नलकूप न निर्माण कर सकने पर श्रीमती कलावती देवी के सामान की कुर्की

*५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज व फरेंदा तहसीलों में किन-किन कृषि फार्मों को सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में किन-किन प्रयोजनों के निमित्त सरकार की ओर से ऋण या सहायता कितनी-कितनी दी गई ?

*६—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन फार्मों में से किन-किन फार्मों ने जिस काम के लिये ऋण लिया था उसे पूरा कर लिया ?

*७—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन फार्मों ने उपरोक्त काम पूरा नहीं किया उनके खिलाफ सरकार की तरफ से क्या कदम उठाय गये ?

कृषि मंत्री के संसदीय सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—ग्राम टेहरी, तहसील फरेंदा में श्रीमती कलावती देवी को १०,००० रु० १९५५-५६ में ट्यूबवेल लगाने के लिये दिया गया। अन्य किसी को कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने ट्यूबवेल नहीं लगवाया। उनकी अचल सम्पत्ति कुर्क हो गई है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अचल सम्पत्ति कुर्क हुई है उससे सूद सहित कुल कर्जे की वसूली हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो नीलाम होने पर पता चलेगा।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अधिकारियों की गलत सिफारिश से इस तरह से कर्ज दिया गया था उनके विरुद्ध भी कोई कदम उठाये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें तो कोई गलती मालूम नहीं होती। उन्होंने लिया और इस्तेमाल नहीं किया तो उनसे वसूल किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का भी इरादा है कि उस नीलाम में स्वयं भी बोली बोले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो बोली बोलते हैं, वही बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय कृषि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो १०,००० रु० श्रीमती कलावती को कर्जा दिया गया था, यह कब दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५६ में।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या कोई जमानत भी ली गयी थी और जमानत वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तकावी के जो रूल्स हैं उसी के अनुसार दिया गया था ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दस हजार रुपये का अनुदान उन्हें दिया गया था उससे कितनी अवधि के अन्दर उनको ट्यूबवल बनाने की इजाजत दी गयी थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनके सामानों की कुर्की कब की गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी डेट मुझे मालूम नहीं है ।

*८-१०---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[हटा दिया गया ।]

*१३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[११वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ३४ से स्थानान्तरित किया गया ।]

उन्नाव जिले में हैजे और गैस्ट्रोइंट्राइटिस से मौतें

*१४---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला उन्नाव में अगस्त के दूसरे सप्ताह में हैजे से कितनी मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला उन्नाव में अगस्त, १९५७ के दूसरे सप्ताह में दिनांक ४ अगस्त से १० अगस्त, १९५७ के अन्तर्गत हैजा व गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से कुल ५९ मौतें हुईं ।

*१५---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन्नाव जिले के किन-किन गांवों में इस समय हैजे का प्रकोप है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस समय उन्नाव जिले का कोई भी गांव हैजे की बीमारी से ग्रसित नहीं है । जिला बीमारी से पूर्णतया मुक्त है ।

*१६---श्री रामसुन्दर पांडेय---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कश्मीर में कृषि मंत्री सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रति

*१७---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार हाल में कश्मीर में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन के सुझाव जो कि उसने राज्य सरकार को दिय ह सदन के टेबिल (Table of the House) पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---कृषि मंत्री सम्मेलन में पास किये गये विभिन्न प्रस्तावों की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२८-८२९ पर ।)

*१८---श्री गनेशीलाल चौधरी---सरकार किन-किन सुझावों को कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---उक्त विभिन्न प्रस्तावों को यथासम्भव कार्यान्वित करने के प्रश्न पर भारत सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्री गेंदासिंह---जो प्रस्ताव सम्मेलन के सामने आये हैं उनकी प्रतिलिपि मंत्री जी इस सदन की मेज पर रखवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय प्रश्नकर्ता के सामने रख दिये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह---हम लोग भी जान सकें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---परामर्श हो जाने के बाद यदि आवश्यकता होगी और माननीय प्रश्नकर्ता चाहेंगे तो रख दिया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---जो सम्मेलन ने अपनी सिफारिशें भेजीं उनमें से किन-किन पर भारत सरकार से परामर्श किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जितने प्रस्ताव पास हुये थे उन सबके सम्बन्ध में बातचीत हो रही है ।

बरेली जिले में हैजा और गैस्ट्रोइन्टाटिस को रोकने के लिए काम

*१९---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला में सितम्बर और अक्तूबर सन् १९५७ में हैजे के रोग में कुल कितने व्यक्ति मरे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---बरेली जिले में सितम्बर और अक्तूबर, १९५७ में हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार रिपोर्ट की गई है :---

महीना	मृत्यु संख्या
सितम्बर	१३४
अक्तूबर	२५८
योग ..	३९२

*२०---श्री शिवराजबहादुर (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रत्नानन्दपुर, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में ४ अक्तूबर, १९५७ से २२ अक्तूबर, १९५७ तक हैजे से कितने व्यक्ति मरे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---ग्राम रत्नानन्दपुर तहसील नवाबगंज जिला बरेली में ४ अक्तूबर, १९५७ से २२ अक्तूबर, १९५७ तक, हैजा 'गैस्ट्रोइट्राइटिस' से १८ व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है ।

*२१---श्री शिवराज बहादुर (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस बीमारी की रोकथाम के लिये उपर्युक्त ग्राम में सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---ग्राम रत्नानन्दपुर में बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही सैनिटरी इन्सपेक्टर नवाबगंज फौरन पहुंच गया, तहसील के सैनिटरी इन्सपेक्टर और दूसरे सैनिटरी इन्सपेक्टर ने कुल ६७४ टीके रत्नानन्दपुर और १५७ टीके नन्दपुर ग्राम में लगाये, ग्राम के सभी ग्रसित व्यक्तियों की चिकित्सा की गयी तथा घरों को निःसंक्रामीकरण किया गया और कुओं में दवा छोड़ी गई जिसके परिणामस्वरूप बीमारी पर शीघ्र ही नियन्त्रण प्राप्त कर लिया गया ।

नोट---तारांकित प्रश्न १९-२१ श्री प्रतापसिंह ने पूछे ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या वजीर महोदय यह बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि वहां दवा न पहुंचने के कारण इनका अन्त समय आ गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपचार सब किये गये जो सम्भव थे लेकिन बावजूद इनका देहान्त हो गया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर में १३४ और अक्तूबर में २५८ यह जो मृत्यु में वृद्धि हुई यह कैसे हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहले तो जोर बढ़ा लेकिन बाद को रोक लिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब उपचार के बावजूद इतनी संख्या में लोग मरे तो क्या मंत्री जी ने उपचार के सम्बन्ध में सोचा है कि यह उपचार अक्षम्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह मैंने नहीं सोचा।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी ने उक्त क्षेत्र में जहां बीमारी फैली हुई थी, बीमारी के वक्त दौरा किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस गांव में नहीं गया लेकिन सूबे के और २०,२२ जिलों में दौरा किया था।

उन्नाव जिले में हैजा, इन्फ्लुएंजा और गैस्ट्रोइंट्राइटिस से मौतें

*२२---श्री खजानसिंह चौधरी---क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई व अगस्त सन् १९५७ में उन्नाव जिला व शहर में हैजे से कितने बीमार पड़े और कितनी मौतें हुईं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---उन्नाव जिला व शहर में जुलाई व अगस्त सन् १९५७ में हैज (गैस्ट्रोइंट्राइटिस) से बीमार हुए तथा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :---

महीना	ग्रसित	मृत्यु
उन्नाव जिला		
जुलाई	१७१	७९
अगस्त	७७८	४०३
	९४९	४८२
उन्नाव शहर		
जुलाई	१५	४
अगस्त	७३	२१
	८८	२५

*२३---श्री खजानसिंह चौधरी---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला उन्नाव में जुलाई और अगस्त, १९५७ में कितने आदमी इनफ्लुएंजा में बीमार पड़े और कितनी मौतें हुईं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--उन्नाव जिले में जुलाई और अगस्त सन् १९५७ में इनफ्लुएंजा से बीमार पड़ने वालों तथा मरन वाल व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार रिपोर्ट की गई है :—

महीना	ग्रसित	मृत्यु
जुलाई	५२७	१
अगस्त	१,२४१	४
योग ..	१,७६८	५

श्री खजानसिंह चौधरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कोई दवादारू का इंतजाम किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--काफी इंतजाम किया गया था, डाक्टर भी भेजे गये थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर भी भेजे गये थे, दवाइयां भेजी गयी थीं, सिइन्फेक्शन भी हुआ था, मकानों की भी सफाई हुई थी, टीके भी लगाये गये थे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जिले में अक्सर इस तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं । वहां के नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन-फैक्शस डिजीज का हास्पिटल खोलने का विचार करेंगे या जो अस्पताल है उसी में अलग वार्ड बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--मैं तो इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि अक्सर वहां बीमारियां फैला करती हैं।

श्री उग्रसेन--जैसा मंत्री जी ने कहा है तो क्या वह मेहरबानी करके बतायेंगे कि जब इतना प्रबन्ध था तो जो ६० फीसदी के करीब मौतें हुईं, उसके विशेष कारण की जांच कराने की व्यवस्था की गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उनका समय आ गया था ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतने लोगों के मरने का समय २ महीने के अन्दर ही आ गया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब वह इस बात को समझती है कि जिसका समय आता है वह मर ही जाता है तो इन तमाम अस्पतालों को एबालिश करने की वह कोई योजना रख रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उद्योग किया जाता है, फिर कोई न बचे तो मजबूरी है ।

श्री राजनारायण--इसीलिये पूछा गया कि उद्योग होने के बावजूद भी ६० प्रतिशत मृत्यु कैसे हुई, क्या सरकार इसके कारणों की पुनः जांच करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह बीमार थे मर गये ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि फिर से जांच कराने का इरादा है क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोई जरूरत नहीं मालूम होती ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यदि ऐसे ही उत्तर देते रहेंगे मंत्री लोग तो कैसे सम्मान रहेगा सदन का ?

श्री अध्यक्ष---आप का काम मैंने कर दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५७ में जिस समय उन्नाव जिले में हैजे की बीमारी फैली हुई थी उस समय वहां के जनप्रतिनिधियों की ओर से और जनता की ओर से यह शिकायत की गयी थी कि वहां दवा दारू की उचित व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आयी । सदन में भी बहस हुई थी तब भी किसी माननीय सदस्य ने शिकायत नहीं की ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो जुलाई, अगस्त में बीमारों और मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई क्या माननीय मंत्री जी को जुलाई में बीमारी की जानकारी नहीं हुई थी अथवा समय पर वे उसके लिये दवा का इन्तजाम नहीं कर सके थे, जिससे कि अगले महीने में इतनी अधिक मृत्यु हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दवाई का इन्तजाम शुरू से ही कर दिया गया था ।

पी० एम० एस० द्वितीय श्रेणी के डाक्टरों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति

*२४---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अप्रैल, १९५७ में कुछ डाक्टर P. M. S. II से P. M. S. I में लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, अप्रैल, १९५७ में एतदर्थ विभागीय चुनाव समिति ने ६६ पी० एम० एस० (द्वितीय) अफसरों को पी० एम० एस० (प्रथम) में अस्थायी-रूप से पदोन्नत करने के लिये स्वीकृत किया ।

*२५---श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त नियुक्तियां सीनियारिटी के लिहाज से हुईं या योग्यता के आधार पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त पदोन्नति के लिये स्वीकृत डाक्टरों की अब-तक की नियुक्तियां यथासम्भव सीनियारिटी के आधार पर की गई हैं ।

हुसेनपुर कटौली, जिला खीरी में मिडवाइफ सेंटर की आवश्यकता

*२६---श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार हुसेनपुर कटौली, तहसील निघासन, जिला खीरी में एक मिडवाइफ सेंटर खोलने का निश्चय कर चुकी है ? यदि हां, तो इसमें आगे क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

*२७-२८---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---[६वें मंगलवार में प्रश्न संख्या ३७ से स्थानान्तरित किया गया ।]

*३०---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३२--श्री रामसुन्दर पांडेय---[२१ फरवरी,१९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर में भिक्षावृत्ति उन्मूलन समिति का कार्य

*३३--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से भिखमंगों की समस्या हल करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कानपुर में भिखमंगों की समस्या हल करने के लिये १९५६ ई० के प्रारम्भ में इस विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया। कानपुर की भिक्षा-वृत्ति उन्मूलन समिति ने शहर से पांच मील की दूरी पर हमीरपुर रोड पर एक भिक्षुक सदन स्थापित किया है जिसमें भिक्षुकों के ठहरने, भोजन कपड़े इत्यादि के अतिरिक्त उनके पुनर्वासन का भी आयोजन है। इस समिति को सरकार समय-समय पर आर्थिक सहायता देती है।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इसमें किस प्रकार के भिक्षुक रखे गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो भिक्षुक उस आश्रम में रहने के लिये इस समिति को मिले, उस समिति ने उनको उसमें रखा है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस भिक्षुक सदन के लिए सरकार ने इमारत के लिए कोई रकम दी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---राज्य सरकार की ओर से इस समिति को सन् १९५५-५६ में ८ हजार रुपया और सन् १९५६-५७ में २० हजार रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---मेरा प्रश्न था कि बिल्डिंग के लिए क्या कोई रक़म सरकार की ओर से दी गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह जो ग्रान्ट सरकार की ओर से दी गयी, यह उस समिति के हाथ में छोड़ दिया गया कि वह किन चीजों में उसको ख़र्च करेगी और समिति ने बहुत सारे काम अपने हाथ में लिए हैं जिनमें मकान बनाने का भी एक काम है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस भिक्षुक-गृह में कितने भिक्षुकों के ठहरने का प्रबन्ध है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह तो एक प्राइवेट एजेंसी इस कार्य को कर रही है। हमने तो सिर्फ रुपया दिया है। इस वक्त वहां ३४ के करीब भिक्षुक हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर में ही क्या इस समय भिखमंगों की प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा इतनी ज्यादा तादाद है कि वहां पर ऐसी व्यवस्था की गयी है और दूसरी जगहों पर नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब यह दिया कि वह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट की बात नहीं है।

श्री राजनारायण—प्रदेश के अन्य जिलों से भी क्या सरकार के पास कुछ भिखमंगों की सहायता के लिये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की दरख्वास्तें आई हैं और सरकार उनकी सहायता पर विचार अब कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेश में कितनी ही संस्थायें हैं जो भिमंगों की सहायता करती हैं। जब-जब उनके प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर विचार किया जाता है और उचित सहायता देने की सरकार की कोशिश रही है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जब सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सहायता देती है तो इसकी भी वह जांच करती है या नहीं कि वह धन समुचित रूप से खर्च हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी पूरी जांच की जाती है और उस पर पूरा नियंत्रण रक्खा जाता है ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कानपुर में भिखमंगों की जो संस्था है उसमें क्या मेन्टेनेन्स रजिस्टर भी रक्खा गया है कि कितने भिक्षुक रहते थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उस संस्था का काम अब समुचित ढंग से चल रहा है या नहीं, इस वक्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब यह रुपया दिया था तब रजिस्टर भी थे और सब बातें थीं। उनको देखने के बाद ही उनको रुपया दिया गया था।

श्री गेंदासिंह—भिखमंगी की प्रथा और उनके लिये सहायता देने की प्रथा को कब तक सरकार का इरादा जारी रखने का है ?

श्री अध्यक्ष—प्रथा जारी रखने का सरकार से सम्बन्ध नहीं है।

श्री मदन पांडेय—कानपुर की भिक्षुक समस्या को हल करने के लिये इस संस्था की प्रगति को देखते हुये क्या सरकार का विचार वहां और भी भिक्षुक संस्थायें खोलने का है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार का कोई भी इरादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर में भिक्षुक संस्था के खोलने का नहीं है।

कानपुर में समाज कल्याण विभाग में हरिजन

*३४—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर में समाज-कल्याण विभाग में कितने वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारी नियुक्त हैं ? उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वहां ४१ वैतनिक तथा २४ अवैतनिक कर्मचारी हैं। उनमें से दो हरिजन हैं।

श्री मुरलीधर कुरील—अवैतनिक कर्मचारियों में प्रत्येक पर कितना प्रतिमास खर्च होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतलायेगी कि जो ४१ वैतनिक और २४ अवैतनिक कर्मचारी नियुक्त हैं उनमें केवल २ हरिजन हैं तो क्या केवल २ हरिजनों की ही एप्लीकेशंस आयी थीं या हरिजनों की और भी दरख्वास्तें थीं और उनको नहीं लिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

वद्यों, हकीमों और डाक्टरों का समान स्तर रखने का सुझाव

*३५—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैद्यों, हकीमों तथा डाक्टरों के वेतन सेवा की शर्तों में भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

बलदेवसिंह आर्य—अभी तक यह भेदभाव वैद्यों व हकीमों की शिक्षा का स्तर डाक्टरों की शिक्षा के स्तर की तुलना में कम होने के कारण रहा है। अब शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के साथ-साथ शनैः शनैः यह भेदभाव मिटाने की ओर भी सरकार प्रयत्नशील है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस भेदभाव को दूर करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अव्वल तो आयुर्वेद में मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्टरमीडियेट साइन्स रखी गयी है। अभी तक टेन्थ ही थी और २४ वैद्यों के पदों को २०० से ४०० के ग्रेड में कर दिया गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह जो भेदभाव इसमें शिक्षा के आधार पर किया गया है उसको इसकी शिक्षा में जो सफलता मिलती है उसके आधार पर दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह जरा व्यावहारिक रूप में ठीक नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने कोई ऐसा निश्चय किया है कि वैद्य की में सब से ऊंची डिग्री, बी० एम० बी० एस०, प्राप्त लोगों को वही वेतन व ग्रेड मिलेगा जो एम० बी० बी० एस० डाक्टरों को मिलता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हमने २४ पद २००—४०० रु० के ग्रेड के किये हैं जो डाक्टरों का वेतन है। किस-किस को वह मिलेगा, इसका फैसला बाद को होगा।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी ने कोई समय निश्चित किया है कि कब यह भेदभाव खत्म हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टाइम-लिमिट मैंने नहीं फिक्स की है।

श्री मदन पांडेय—अनुमानतः कितना समय लग जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बतलाना उचित नहीं होगा।

*३६-३७—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में हरिजन छात्रावास

*३८—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर में कितने हरिजन छात्रावास चल रहे हैं और सरकार अपनी ओर से क्या कानपुर में कोई अन्य हरिजन छात्रावास स्थापित करने पर विचार करेगी ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—कानपुर में इस समय तीन हरिजन छात्रावास चल रहे हैं। इस समय सरकार अपनी ओर से कोई छात्रावास खोलने का विचार नहीं कर रही है।

नोटः—तारांकित प्रश्न ३५ श्री सुरथबहादुर शाह ने पूछा।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार बतलायेगी कि ये छात्रावास कानपुर में कहां-कहां जारी हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी; डी० सी० छात्रावास, कर्नलगंज और डी० सी० छात्रावास, पुखरायां।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार बतलायेगी कि उनमें कुल कितने छात्र रह रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बुद्धपुरी में २७, कर्नलगंज में २० और पुखरायां में १७।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—पुखरायां में जो छात्रावास है वह किराये की इमारत में है या छात्रावास की अपनी इमारत है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—किराये की इमारत है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—इस छात्रावास की इमारत के लिये भी क्या सरकार ने कुछ रुपया पिछले वर्षों में दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय इन छात्रावास के संचालकों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप नोटिस लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन छात्रावासों को सरकार कितनी सहायता देती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सन् १९५६-५७ में जगजीवन छात्रावास को ६०० रुपया अनावर्त्तक और ४२० रुपया आवर्त्तक सहायता दी गयी। डी० सी० छात्रावास, कर्नलगंज को १,३२० रु० आवर्त्तक और ३०० रुपया अनावर्त्तक; डी० सी० छात्रावास, पुखरायां को ७०८ रुपया आवर्त्तक और ३०० रु० अनावर्त्तक सहायता दी गयी।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें छात्रावास के कर्मचारियों और बिल्डिंग का रुपया भी शामिल है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, सरकार तो ग्रान्ट देती है। इस प्रदेश से उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री जंगबहादुर वर्मा—किस काम के लिये ग्रांट देते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह ग्रांट छात्रावासों को चलाने के लिये दी जाती है, इसमें रसोइया की तनख्वाह और मंहगाई भत्ता, भवन की कुल रोशनी का खर्चा और अखबार का खर्चा इत्यादि दिया जाता है।

फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव डाबर में राजकीय चिकित्सालय की आवश्यकता

*३९--स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--- स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र (आगरा) के ग्राम डाबर में जो फतेहपुर सीकरी से लगभग ६ मील दूर है एक राजकीय चिकित्सालय खोलने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक खुल सकेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

*४०--स्वामी विश्वेश्वरानन्द--क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि डाबर ग्राम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में स्थित है और इस गांव के आस पास लगभग २०-२५ मील के अन्दर ग्रामों में कोई राजकीय चिकित्सालय एवं औषधालय नहीं हैं और फतेहपुर सीकरी से सात-सात और आठ-आठ मील दूर के ग्रामीण निवासियों को चिकित्सा सम्बन्धी विशेष असुविधा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, ग्राम डाबर बाढग्रस्त क्षेत्र में स्थित है और यहां से ८ मील की ही दूरी पर एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम दूरा में स्थापित है और फतेहपुर सीकरी से ७-७ और ८-८ मील दूर के ग्रामीण निवासियों के लिये भी एक जिला बोर्ड एलोपैथिक चिकित्सालय फतेहपुर सीकरी में ही स्थापित है। उससे कुछ ही दूरी पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ग्राम दूरा में स्थापित है।

*४१--श्री माताप्रसाद--[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[तीसरे मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग में कथित ६० वर्ष से ऊपर की अवस्था के कर्मचारी

*४३--श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन विभाग में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी अवस्था ६० वर्ष से अधिक होते हुये भी उनका कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री गौरीशंकरराय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रिलीफ और रिहैबिलिटेशन विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी अवस्था ६० वर्ष से अधिक है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो जवाब दिया जा चुका है कि कोई नहीं।

श्री गौरीशंकरराय---सवाल में मैंने यह पूछा था कि ६० वर्ष से अधिक होते हुए भी सरकार कार्यकाल बढ़ाने का विचार कर रही है ? अब मैं पूछता हूं कि क्या आज भी ६० साल के लोग विभाग में हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई नहीं है।

खाद्योत्पादन की वृद्धि के लिए कार्य

*४४--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खाद्योत्पादन की वृद्धि करने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम ३० दिसम्बर, १९५७ के पश्चात् उठाये हैं ?

नोट:---प्रश्न ३९-४० श्री सुरथबहादुर शाह ने पूछे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--- ३० सितम्बर, सन् १९५७ के पश्चात् खाद्योत्पादन की वृद्धि के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनका विवरण इस प्रकार है---

(१) पूर्वी जिलों में कठकुइयां के निर्माण के लिये एक नयी योजना चालू की गई जिनके अन्तर्गत तकावी व राजसहायता द्वारा ६,७०० कुएं बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(२) बुन्देलखंड क्षेत्र में नई बन्धियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये एक योजना स्वीकृत की गयी जिसके द्वारा किसानों को तकावी व राज सहायता दे कर १०,००० एकड़ भूमि को लाभान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(३) बुन्देलखंड क्षेत्र में पुरानी बंधियों की मरम्मत के लिये भी एक योजना स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत किसानों को तकावी की सहायता दी जाती है।

(४) पूर्वी क्षेत्र में अल्प सिंचाई योजनाओं की प्रगति तेज करने के लिये ३० लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा हैं।

(५) उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाने हेतु विभिन्न वर्तमान स्कीमों की प्रगति को भी अधिक तेज करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अल्मोड़ा जिले के कृषि अधिकारी

*४५---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के वर्तमान कृषि अधिकारी किस जिले के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा में कितने दिनों से हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अल्मोड़ा जिले के वर्तमान कृषि अधिकारी अल्मोड़ा जिले के ही रहने वाले हैं। वे इस जिले में १ जुलाई, १९५५ से काम कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या समाचारपत्रों में छपा हुआ यह समाचार ठीक है है कि सरकार जिला कृषि अधिकारियों के पद को प्रान्त के स्तर पर समाप्त करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सही नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि एक कमेटी ने सिफारिश की है कि डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर्स की पोस्ट्स समाप्त कर दी जांय?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस समय मुझे याद नहीं है लेकिन फिलहाल सरकार उसको ऐबालिश करने नहीं जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि इनके तबादले का दो बार हुक्म हो चुका है और दूसरे अधिकारी भी पहुंच गये थे फिर इनकी बदली क्यों रोकी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस चाहता हूं, मेरे पास इस समय इत्तला नहीं है।

हाथरस में दाऊजी के मन्दिर से संबंधित सम्पत्ति के लिए ट्रस्ट बनाने की प्रार्थना

*४६---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार अपना एक ट्रस्ट हाथरस में दाऊजी के मन्दिर मेले तथा अन्य जायदाद की व्यवस्था के लिये नियुक्त करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह नियुक्त हो जायगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्राचीन मन्दिर को स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व अग्रेजों ने बरबाद कर दिया था और उस समय से यह अनेक हाथों में जाता रहा है और फिर सरकार ट्रस्ट बनाने के लिये क्यों तैयार नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मंदिर स्वतंत्रता संग्राम के समय जिनके हाथ में था वह बदस्तूर उन्हीं के हाथ में है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--जिन हाथों में वह पहला ट्रस्ट था वह अब नहीं है यानी पहले वह राजा दयाराम के हाथ में था वह अब नहीं रहे और अब यह सरकार के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो आप विवाद कर रहे हैं, आप सरकार के पास सूचना भेज दीजिये।

गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम

*४७--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--गेहूं की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिये स्थानीय दशाओं के उपयुक्त अधिक पदावार देने वाले गेहूं के उन्नत बीजों का तथा रसायनिक खादों का वितरण किया जा रहा है और हरी खाद के प्रयोग का भी प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गेहूं की खेती के एक नया तरीके का, जिसको गेहूं की खेती का उत्तर प्रदेशीय तरीका कहते हैं, प्रचार किया जा रहा है।

*४८--श्री लक्ष्मणराव कदम--[पांचवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४९--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--[दसव मंगलवार में प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हरदोई जिले में बीज वितरण की शिकायत

*५०--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई मे कितने सरकारी बीज गोदाम हैं और उनके द्वारा रबी की बुवाई के लिये कितने बीज का वितरण किया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस समय हरदोई जिले में कुल ११ सरकारी बीज गोदाम हैं जिनके द्वारा कुल १५,९४९ मन रबी का बीज वितरण हुआ।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष बीज गोदामों से किसानों को मटर का बीज न मिलने के कारण निराश वापस लौट जाना पड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मटर का बीज गोदामों से बांटा गया है। मुमकिन है कहीं स्टाक में न रहा हो।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में कितने मन मटर का बीज बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--७१० मन।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी के पास शिकायतें आयी हैं कि बीज गोदामों से जो गेहूं का बीज बांटा गया वह एक तो जमा ही नहीं और जो जमा वह पौदे मर गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई हमारे पास लिखित शिकायत नहीं आयी ।

श्री राजनारायण---क्या मंत्री जी के पास जुबानी शिकायतें आयी थीं ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---जुबानी भी नहीं आयी ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई से शिकायतें आयी हैं कि फसल मारी गयी फिर भी बीज गोदामों के लोग सवाया वसूल कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रबी का बीज जो बंटा है उसके वसूल करने का अभी कोई सवाल नहीं है और न कोई शिकायत आयी है ।

बदायूं जिले के सरकारी अस्पताल में बलात्कार

*५१---श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५७ में जिला बदायूं में सरकारी अस्पताल में बलात्कार (Rape) के कितने केसेज हुये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सन् १९५७ में जिला अस्पताल बदायूं में बलात्कार का एक मामला घटित हुआ ।

*५२---श्री शिवराजसिंह यादव (अनुपस्थित)---सरकार ने उन मामलों में दोषी सरकारी कर्मचारियों को क्या-क्या सजायें दीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---दोषी सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके विरुद्ध विभाग की ओर से समुचित कार्यवाही भी की जा रही है । उनमें से एक कर्मचारी उस समय अवैतनिक रूप से कार्य कर रहा था वह हटा दिया गया है । चूंकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं था, इसलिये उसका कम्पाउंडरी का प्रमाण पत्र जब्त करने के लिये स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अनुरोध किया गया है ।

*५३---श्री शिवराजसिंह यादव (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने कि कृपा करेगी कि कितनी लेडी डाक्टर सरकारी नौकरी में ऐसी हैं कि जिनके पति भी सरकारी डाक्टर हैं पर उनकी नियुक्ति उस शहर में नहीं है जिस शहर में लेडी डाक्टर की नियुक्ति हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---१० ।

श्री राजनारायण---जब सरकार को इस रेपकान्ड का निश्चित पता चल गया है जो उन लोगों के ऊपर, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हों या दूसरे हों, जाब्ता फौजदारी का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डाइरेक्ट एविडेंस उपलब्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण---तो फिर विभागीय कार्यवाही क्या और क्यों हो रही है और क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कोर्ट में जाने पर डाइरेक्ट एविडेंस मिल पावेगी ?

श्री अध्यक्ष---इसीलिये तो उन्होंने कोर्ट नहीं भेजा है कि उन्हें डाइरेक्ट एविडेंस नहीं मिली ।

नोट---तारांकित प्रश्न ५१ -५३ श्री श्रीकृष्ण गोयल ने पूछे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जो अवैतनिक कम्पाउन्डर रह रहा था यह कितने दिनों से इस अस्पताल में था और किसकी इजाजत से कार्य कर रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सम्भवतः सिविल सर्जन की इजाजत से रहता होगा, मैं ठीक इस समय नहीं बता सकता । टाइम भी नहीं बता सकता हूं, नोटिस की जरूरत है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या उपरोक्त घटना के थोड़े दिन बाद एक और घटना एक्सरे रूम में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दूसरी घटना का मुझे कोई पता नहीं है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---क्या मंत्रीजी इस प्रश्न को सूचना समझ कर उपरोक्त घटना की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय प्रश्नकर्ता अगर सब डिटेल लिखकर अपने दस्तखत से दें तो मैं तहकीकात करा लूंगा ।

रायबरेली जिलान्तर्गत तिलोई में प्राइमरी हेल्थ यूनिट खोलने की स्वीकृति

*५४—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में एलोपैथिक अस्पताल तथा आयुर्वेदिक औषधालय खुलने जा रहे हैं ? अगर हां, तो कहां पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जिला रायबरेली में इस वर्ष तिलोई में एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट खुलना स्वीकृत हुआ है जिसके अन्तर्गत तिलोई में एक एलोपैथिक अस्पताल खुलेगा । जहां तक आयुर्वेदिक औषधालय के खोलने का प्रश्न है इस वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

रायबरेली जिले के ग्राम रामपुर कलां में एलोपैथिक अस्पताल की आवश्यकता

*५५—श्री गुप्तारसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम रामपुरकलां के हेतु एलोपैथिक अस्पताल खोलने को जिला रायबरेली की अस्पताल सलाहकार कमेटी ने सुझाव दिया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सन् १९५१ ई० में जिला अस्पताल सलाहकार समिति ने इस स्थान पर एक सहायता प्राप्त एलोपैथिक अस्पताल खोलने की सिफारिश की थी, परन्तु सन् १९५६ ई० में इस कमेटी ने उक्त स्थान पर कोई उचित भवन उपलब्ध न होने तथा यातायात सुविधाजनक न होने के कारण अपने उक्त प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था ।

श्री गुप्तारसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार का यह निर्णय है कि पांच मील के क्षेत्र में एक चिकित्सालय खुलेगा तो इस क्षेत्र में जहां २२ मील पूर्व-पश्चिम में और १२ मील उत्तर-दक्षिण में कोई चिकित्सालय नहीं है वहां यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स एन० ई० एस० ब्लाक्स में खुलेंगी ।

श्री गुप्तारसिंह---उत्तर में लिखा है कि वहां उचित भवन उपलब्ध नहीं है, तो अगर उचित भवन उपलब्ध कर दिया जाय तो सरकार वहां पर अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तो वह स्कीम खत्म हो गयी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके प्राइमरी हेल्थ यूनिट स्कीम की व्यवस्था कर देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस स्कीम के अन्तर्गत एक अस्पताल खुलेगा, चार चाइल्ड वेलफ़ेयर सेंटर्स खुलेंगे, एक सैनिटरी इंस्पेक्टर का आफ़िस खुलेगा और एक हेल्थ विज़िटर का आफ़िस खुलेगा। यह हेल्थ सेंटर एन० ई० एस० ब्लाक में खुलेगा और तीन उसी ब्लाक के अन्दर देहातों में खुलेंगे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी कारण बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम इस समय क्यों छोड़ दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दूसरी ज्यादा उपयोगी समझी गयी।

गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में गन्ने की खेती

*५६---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत फरेन्दा तहसील मे गन्ने की खेती कितने क्षेत्रफल मे होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१३,८३७ एकड़।

*५७---श्री गौरीराम गुप्त (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में गन्ने की खेती के लिए सिंचाई करने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सिंचाई कुओं द्वारा होती है।

वृद्धावस्था की पेन्शन देने के नियम

*५८---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वृद्धावस्था की पेन्शनों के संबंध में उसके पास अभी तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर जिलाधीशों के यहां बृद्धाअवस्था की पेन्शन योजना संबंधी निर्धारित फार्म पर ७,७५३ प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं।

*५९---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस संबंध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो क्या वह उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---योजना की प्रतिलिपियां सदन में वितरित की जा चुकी हैं।

*६०---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह उक्त पेन्शनों का देना कब से आरम्भ करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वृद्धावस्था की पेन्शन की मंजूरी १ दिसम्बर, सन् १९५७ से की गई है। अतः इसकी पहली किस्त जनवरी, सन् १९५८ में वितरित कर दी गई।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा कितने लोगों की सिफारिशें उनके पास आ चुकी हैं और उनमें से कितने लोगों को पेंशनें दी जा चुकी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिलाधीशों के पास से श्रम आयुक्त के पास २,७०० के करीब अर्जियां आ चुकी हैं। उनमें से ३१ जनवरी, १९५८ तक १,०५९ लोगों को पेन्शन दी जा चुकीहै।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने पेन्शन की कोई रकम निर्धारित की है ? अगर हां, तो क्या उसमें अधिक वृद्ध और अनाश्रितों को कुछ रिआयत मिल सकेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१५ रुपया मासिक इस पेंशन को रखा गया है। इसमें कोई विचार इस समय वृद्धि करने का नहीं है।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या मंत्री जी यह बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि इसके विचार के लिये जिलाधीशों के वास्ते क्या नियम रखे गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, नियमों की एक पूरी कापी इस भवन में वितरित की जा चुकी है। वह ५, ६ प्रिंटेड पेजेज की है और वह माननीय सदस्यों को दी जा चुकी है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के पास इसके आंकड़े हैं कि ७० वर्ष से अधिक की आयु के कितने लोग इस प्रदेश में हैं ?

(श्री मोती लाल अवस्थी के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—अब कृपा कर के बैठें। अब मैं आज आपका नाम नहीं पुकारूंगा। आप यह समझते हैं कि अगर मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी तो आप को खड़े रहने का अधिकार है। अगर आप यह समझते हैं तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आप नाखुश न हों . . . .

श्री अध्यक्ष—यह बात नहीं है। आप कृपा कर के बैठें।

श्री राजनारायण—मैंने कई बार कहा भी सेक्रेटरी साहब के लिए, कि सचमुच में ऐसा होता है, कि अगर यह थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो आपकी निगाह हम पर तो पड़ जाती है, उन पर नहीं पड़ती।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक ही है। अगर आप आगे हैं तो निगाह आप पर ही पहले पड़गी। श्री उग्रसेन आप पुनः प्रश्न करें।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस के आंकड़े हैं कि ७० वर्ष से अधिक की आयु के कितने लोग इस प्रदेश में हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—करीब करीब ५०-६० हजार के बीच, मेरे अनुमान से, एसे लोगों की संख्या है जो कि निराश्रित हैं।

श्री उग्रसेन—तो यह देय रकम जो प्रदेश की सरकार ने इसके लिये मंजूर की है उसको देखते हुये क्या मंत्री जी यह महसूस कर रहे हैं कि यह रकम कम है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अरिथमेटिक १२ महीने की नहीं है, यह तीन महीन की है इसलिये ठीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो नियम हम लोगों को दिये गये ह वह किस ऐक्ट के मातहत हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह कानूनी सवाल है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि उन्होंने ५०, ६० हजार की जो संख्या बतलायी ह उसका आधार क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—५१ की सेन्सस रिपोर्ट उसका आधार है। उसके बाद ३६ जिलों में १२,२६४ गांवों में रैंडम सैम्पलिंग किया गया और उसका स्टैटिस्टिक्स विभाग ने जो नतीजा निकाला वह यह है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यबाद देता हूं। प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी जिले वार इन लोगों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री सुरथबहादुर शाह—मंत्री जी यह बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि इसे देने के लिये सरकार क्या कोई ऐक्ट बनाने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—इस पेन्शन को देने के लिये अभी किसी ऐक्ट की आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं होती।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेश में जितने लोग ७० वर्ष से अधिक के हैं उन सबको वह पेन्शन देने का विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस उत्तर प्रदेश में करीब १५ लाख के ऊपर ऐसे लोग हैं जिनकी ७० वर्ष से ज्यादा की उम्र है। अगर सदन कभी इतना रुपया मंजूर करेगा तो दिया जायगा, लेकिन भविष्य में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह कभी संभव होगा।

राज्य में १०० एकड़ से अधिक के व्यक्तिगत कृषि फार्म

*६१—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में १०० एकड़ से अधिक रकबे के व्यक्तिगत कृषि फार्म कितने हैं, कहां कहां हैं और उनका कुल रकबा कितना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर प्रदेश में कुल १,५९४ व्यक्तिगत कृषि फार्म हैं। उनका कुल रकबा ३,९७,८६१ एकड़ है। पूर्ण ब्यौरा सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२८-८२९ पर)

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिला हेल्थ आफिसर व सिविल सर्जन के दफ्तर के क्लर्क

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला हेल्थ आफिसर व सिविल सर्जन के दफ्तर में कितने क्लर्क हैं, उनमें कितने बैकवर्ड व कितने परिगणित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इटावा जिला हेल्थ आफिसर व सिविल सर्जन प्रत्येक के दफ्तर में चार क्लर्क हैं। इनमें से कोई भी बैकवर्ड व परिगणित जाति का नहीं है।

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इटावा जिले में विधूना की सरकारी धनकुन का मेहतरों का नरा न छेनना

३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि विधूना (इटावा) की सरकारी मिडवाइफ (धनकुन) मेहतरों का नरा नहीं छेनती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

४--६--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[तीसरे बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

ग्रामीण क्षेत्र में गश्ती डाक्टरों की आवश्यकता

८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार वेटेरिनरी स्टाकमैनों की भांति चलते फिरते डाक्टर देहातों के लिये रखने का इरादा करती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं ।

इटावा जिले के कृषि विभाग में बैकवर्ड व परिगणित जाति के कामदार

९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कृषि विभाग के सभी प्रकार के कितने कामदार हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड व कितने परिगणित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इटावा जिले में कुल ३६ कामदार काम कर रहे हैं उनमें से १३ बैकवर्ड क्लास के हैं और १ परिगणित जाति का है ।

१०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

११--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[२१ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कस्तूरबा गांधी स्मारक आरोग्य केन्द्र, मानिकपुर, जिला गाजीपुर की जांच तथा सहायता

१२--श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कस्तूरबा गांधी स्मारक आरोग्य केन्द्र, मानिकपुर, जिला गाजीपुर को सन् १९५६ में कितनी सहायता समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गयी ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संस्था को अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया। परन्तु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १९५६-५७ में १,२०० रुपये की सहायता उक्त संस्था को स्वीकृत की थी जिसमें से अभी तक १,००० रुपये का भुगतान किया गया है ।

१३--श्री पब्बरराम---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिलाधीश को जो जांच समाज कल्याण विभाग द्वारा आरोग्य केन्द्र, मानिकपुर के विषय में रिपोर्ट भेजी गयी थी उसका तथा पंचायत इन्स्पेक्टर जो स्वयं जांच में गये थे उनकी रिपोर्ट का तथा समाज कल्याण बोर्ड ने अपने सदस्यों द्वारा जो जांच कराई उसकी रिपोर्ट का सार क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस विभाग द्वारा इस केन्द्र के विषय में कोई जांच नहीं करायी गयी किन्तु राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने अपनी सदस्या श्रीमती सज्जन देवी महनोत के द्वारा इस संस्था की जांच करवायी थी।

गाजीपुर जिले में पिछड़ी जातियों तथा हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

१४--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में १९५६-५७ में किस-किस जाति के कितने-कितने हरिजन बालक व बालिकाओं को वजीफे दिये गये ?

हरिजन कल्याण राज्यमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---सूचना सलग्न तालिका म प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३० पर)

१५---श्री यमुनासिंह ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में १९५६-५७ में किस-किस जाति के कितने-कितने पिछड़ी जातियों के बालक व बालिकाओं को वजीफे दिये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद---सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

पीछे बैठने वाले सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर न दिये जाने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। बायी ओर बैठने वालों और पीछे बैठने वालों की ओर आप विशेषतौर से ध्यान दें। मैं अपने अनुभव पर कहता हूं कि जब मैं आगे बैठा करता था तो मुझे ज्यादा अवसर मिलता था और जब आज पीछे बैठा हूं तो दिन भर खड़े होने के बाद भी मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आज आपके ग्रह कुछ ज्यादा खराब हैं।

अल्पसूचित प्रश्नों को साधारण प्रश्नों की श्रेणी में रखने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में कई बार चर्चा हुई और हम सब लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं कि कामरोको प्रस्ताव कम आवें। हमने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया और उसका उत्तर परसों से हमारे पास मौजूद है कि सरकार ने उसे साधारण प्रश्नों की श्रेणी में मान लिए है। एक प्रश्न डाक्टर राम मनोहर लोहिया के जबरदस्ती निशानी अंगूठा लिये जाने के बारे में था। यह लखनऊ का ही मामला है और सभी लोग उसे जानते हैं तिस पर भी साधारण प्रश्न मानकर सरकार की ओर से जानबूझ कर विलम्ब हो रहा है। इसलिये आप कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से और कम समय में सरकार को मिल सके तो वे उसे न टालें वरना हमको और आपको भी दिक्कत पड़ती है और समय पर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।

इसी तरह से १२ जनवरी का मामला है। जब राष्ट्रपति जी बनारस में विद्यमान थे तो माननीय कमलापति जी भी वहां मौजूद थे। उसके संबंध में हमने प्रश्न किया। उसमें कोई विशेष जानकारी की बात नहीं है और न कोई जरूरत है। मगर उसे कह दिया गया कि अनिश्चित है। इसी तरह से गांव समाज के बारे में कह दिया गया है कि अनिश्चित है।

श्री अध्यक्ष---यह परसों ही तय हो गया था कि कामरोको प्रस्ताव कम करने का तरीका यही हो सकता है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दिये जावें। अगर कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजा जाय और यहां उत्तर दिया जा सकता है। यदि उस संबंध में मालूमात एक दिन में या दो दिन में हासिल की जा सकती हैं टेलीफोन से या अन्य तरीके से तो वह प्रश्न मंत्रिगण को स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर प्रश्न स्वीकृत नहीं किया है तो माननीय सदस्य मुझे बतला दें तो मैं मंत्री जी से चर्चा करूंगा। लेकिन अब जिनके बारे में वे पहले इन्कार कर चुके हैं उनके लिये भी आप मुझे सूचना दे दें।

श्री राजनारायण---आज मैंने दे दिया है, परसों आ जायगा।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये भी आप फिर से प्रश्न आज दे दें, लेकिन यह नहीं होगा कि जिन विषयों पर पहले अल्प सूचित प्रश्न को मंत्री जी इन्कार कर चुके हैं उनके लिये भी आप कामरोको प्रस्ताव दे दें । उसके बजाय यह कर दें कि वे प्रश्न मेरे पास फिर से भेज दें । अगर दो तीन रोज में वे उत्तर नहीं देंगे तो फिर उसके बाद माननीय सदस्य जो उचित कार्यवाही समझें वह करें ।

प्रश्नों के अस्वीकृत होने पर आपत्ति

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैंने अपने जिले की अपराध स्थिति के सम्बन्ध में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिसम्बर में दिया था । मैंने आपको एक पत्र लिखा, गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, आई०जी० को भी एक पत्र लिखा, मैंने चार तारांकित प्रश्न भी दिये, लेकिन मालूम हुआ है कि आपने उनको अस्वीकार कर दिया । सरकार के मानने और न मानने का सवाल तो बाद में पैदा होगा । तो कृपा कर के बतलावें कि ऐसे मामले में हम क्या करें ।

श्री अध्यक्ष—आप फिर भेज दें ।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने भेजा है, वह भी नामंजूर हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—परसों यह बात तय हुई थी, उसके बाद क्या आपने प्रश्न फिर से भेजे हैं ?

श्री गौरीशंकर राय—परसों मैंने भेजा था और कल नामंजूर हुआ है।

श्री अध्यक्ष—हां, तो वह फिर उनके पास भेजूंगा, और उनकी मंजूरी करा कर उत्तर मंगा लूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने तो भेज दिया है ।

श्री अध्यक्ष—उन पर फिर डिप्टी स्पीकर ने आर्डर देकर दोबारा मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, एक बात मुझे भी कहनी है अपने प्रश्नों के सम्बन्ध में । आज से ३ महीने पहले मैंने कई तारांकित प्रश्न दिये थे लेकिन आज तक किसी का भी उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में आप मुझसे दफ्तर में बात करें, मैं यहां पर इसका जवाब नहीं दे सकता हूं ।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैंने वहां भी बात चीत की, लेकिन किसी बात का उत्तर नहीं मिला । डी० सी० के सम्बन्ध में मैंने लिखा लेकिन वह भी नामंजूर । तो आखिर फिर क्या किया जाय, किस तरह से उत्तर मांगा जाय ? जब उत्तर नहीं मिलता है तब फिर मजबूर होकर हम लोगों को कुछ करना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष—आपका अगर कोई व्यक्तिगत सवाल हो और वह नामंजूर हुआ तो उसके लिये तो लाचारी है ।

श्री बंशीधर शुक्ल—व्यक्तिगत नहीं था, मैंने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मेरा एक निवेदन प्रश्नों के सम्बन्ध में यह है कि अक्सर रूल ३२ कोट हो जाता है कि इस रूल के अनुसार यह खारिज हो गया ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

श्रीमन्, इससे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, कम से कम यह तो बतला दिया जाय कि रूल ३२ का अ, ब, स क्या है ताकि हम लोगों को जानकारी तो हो जाय कि इस रूल के अनुसार यह प्रश्न खारिज हो गया ताकि आगे से हम लोग प्रश्नों के भेजने में इस तरह की गलती न कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह सम्भव नहीं है क्योंकि एक-एक करके सब के बारे में अगर लिखें तो बड़ी दिक्कत हो जायगी क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सब कारण नहीं केवल सब क्लाज ही लिख दिया जाय कि इस सब-क्लाज के अनुसार खारिज हुआ ।

श्री अध्यक्ष—नियम ३२ में कई सब-क्लाज हैं, उन्हीं के अनुसार इन्कार किया जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इससे यह होता कि प्रश्नों के सम्बन्ध में हम लोग गलती नहीं कर सकते ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइंट आफ इन्फारमेशन, सर ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, यह प्रश्न का कोई तरीका नहीं है । लगभग ५, ७ मिनट समय मैंने इसमें दे दिया । इतना समय इन्हीं बातों में गुजर गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे यह प्रार्थना करनी है....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मुझे अभी कामरोको प्रस्ताव लेने हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कोई आवश्यक बात भी नहीं कह सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

देवरिया जिले की रामकोला चीनी मिल में कथित अत्याचार के विरुद्ध कतिपय नेताओं की गिरफ्तारी तथा अनशन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का है जो इस प्रकार है :—

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि देवरिया जिले की रामकोला (पंजाबी) चीनी मिल में किसानों तथा मजदूरों के साथ होने वाले अन्यायों से ऊब कर देवरिया किसान मजदूर प्रजापार्टी के मंत्री श्री जानकी शरण तिवारी द्वारा अनशन किये जाने पर उपर्युक्त मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल तथा शेर सिंह आदि की गिरफ्तारी से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार के हेतु यह सदन कार्य स्थगन करे ।"

श्री झारखंडे राय जी का भी एक कामरोको प्रस्ताव इसी सम्बन्ध में है जो इस प्रकार है :—

"रामकोला शुगर फैक्टरी के क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की गत दूसरी फरवरी से चल रही हड़ताल के सिलसिले में कम्युनिस्ट नेता श्री शेरसिंह और २५ अन्य कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह उसी के साथ-साथ उनका भी है । इस सम्बन्ध में ३ तारीख को एक कामरोको प्रस्ताव आया था, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया था, फिर से वह अब बीबारा आ गया क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई । यों तो जबतक वहां हड़ताल चलती रहेगी कोई न कोई, नई-नई घटनायें होती रहेंगी इसलिये उस बुनियाद पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता । इस प्रकार उक्त विषय विचार के लिये आने को निश्चित और आवश्यक नहीं होता इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

जिला देवरिया के ३०० ग्रामों की फसलों की बलपूर्वक कटाई किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन का है कि "देवरिया जिलान्तर्गत रुद्रपुर थाना के ३०० से अधिक गांवों में गत डेढ़ माह से फसलों की चराई-कटाई व्यापक पैमाने पर जारी है । अब तक १,२०० बीघे की फसल डंडे के बल पर काटी गयी है । १६ नवम्बर, १९५७ को इसके विरुद्ध पीड़ित जनता का सम्मेलन हुआ । ३० जनवरी, १९५८ को ५००० किसानों का प्रदर्शन रुद्रपुर थाने पर इससे त्राण पाने के लिये हुआ । मगर पुलिस द्वारा प्रोत्साहन मिलने के कारण क्षेत्र की चराई, कटाई तथा अराजकता बढ़ती जा रही है । इस कारण वहां के डेढ़ लाख लोगों का जीवन संकटापन्न है और एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है । इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

यह घटनायें नवम्बर में, जनवरी में और अन्य मासों में हुईं और कई मास पुरानी बात है । इस से पहल भी इस आदरणीय सदन की बठकें हो चुकी हैं, उनमें यह प्रश्न उठाना था और दूसरे यह रीसेन्ट आकरेंस की चीज नहीं ह, अतः यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह सब तो अब भी जारी है और माननीय मंत्री जी के पास दरख्वास्तें आयी हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप कामरोको प्रस्ताव के सिद्धान्तों पर ध्यान दें ।

श्री उग्रसेन—वहां पर पुलिस प्रोत्साहन दे रही है, पुलिस को माननीय मंत्री जी ठीक कर दें ।

श्री अध्यक्ष—आप सवालों के जरिये स्पष्टीकरण करा सकते हैं ।

श्री मूंधड़ा द्वारा ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की मिलों के शेयरों को क्रय करने के फलस्वरूप मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है कि "श्री मूंधड़ा ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की उत्तर प्रदेश में स्थापित मिलों जैसे लाल इमली, कूपर एलन, कानपुर काटन मिल, नार्थ वेस्ट टेनरी ब्रांच, इलगिन मिल, कानपुर टेक्सटाइल, पांच शुगर मिल्स तथा डिस्टिलरी के शेयरों को खरीद कर उसके मालिकाना हक ले लिया और इन मिलों की एकत्रित पूंजी को नाजायज ढंग से दूसरे सम्बन्धों में लगा दिया । फलस्वरूप काटन मिल दो महीनों

[श्री अध्यक्ष]

से बन्द है, लाल इमली भी ऊन की कमी से आग बन्द होने की परिस्थिति में है । उत्तर प्रदेश की सरकार इन बातों को जानते हुये भी अब तक उदासीन है और उसने इन्डस्ट्रियल तथा डेवलपमेंट ऐक्ट के अन्दर फौरन आथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कराने का प्रयत्न न करके कानपुर काटन मिल के ३,३०० मजदूरों को भूखों मरने पर विवश किया है और बाकी मजदूरों की जीविका पर संकट डालकर विषम परिस्थिति पैदा कर दी है ।

अतः यह सदन उपर्युक्त जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

श्रम मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हो तो वह बता दें ।

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परन्तु मैं आपका ध्यान कार्यस्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो सदन की नियमावली का नियम है उसकी ओर दिलाऊंगा । उसके अनुसार एक प्रस्ताव में एक विषय की ही चर्चा होनी चाहिये परन्तु इसमें शेयर खरीदने की, मालिक बनने की, पूंजी को दूसरे कारखानों में लगाने की, कारखानों के बंद होने की और सरकारी कंट्रोलर नियुक्त करने की तमाम बातें हैं। इस में कुल मिलाकर ६ प्रश्न उठाये गये हैं । इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता । दूसरे नियम ७० के उपनियम (३) में यह भी है कि प्रस्ताव अभिनव घटना के किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा। यह जो मूंधड़ा द्वारा खरीदारी की बात है यह साल भर पुरानी बात है, उनके कारखानों के बन्द होने की भी महीनों पुरानी बात है । इसलिये जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसमें भी नहीं आता ।

तीसरी बात यह है कि नियम ७० की दफा (५) जो है वह यह है कि "प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।"

१७ दिसम्बर को कानपुर के सारे कारखानों के सम्बन्ध में गौर करते हुए कानपुर काटन मिल हो, लाल इमली मिल हो, जितने मिल हैं सब पर चर्चा हो चुकी है । इसलिये यह प्रस्ताव कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं बन सकता ।

श्री अध्यक्ष---इस प्रस्ताव में जो चार्जेज लगाये गये हैं कि मूंधड़ा जी ने सब शेयर्स खरीद लिये हैं और उसके फलस्वरूप उक्त मिलें बन्द हो गई हैं, यह बात कहां तक सच है यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---शेयर्स खरीदना या न खरीदना इससे उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई सम्बध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---आपको कोई जानकारी इस सम्बन्ध में नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यही तो मैं जानना चाहता हूं ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं जरा सफाई कर दूं । अभी चार दिन की बात है जब कि श्रम मंत्री महोदय से कानपुर के हमारे मित्र श्री विमल मेहरोत्रा और दूसरे लोग मिले थे और श्रम मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि हां, मैं जानता हूं, मगर मेरी लाचारी है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि टेक्सटाइल कमिश्नर की रिपोर्ट आयी है जिसमें यह लिखा है कि कानपुर काटन मिल क्यों बन्द हुई । उसने लिखा है कि चूंकि मूंधड़ा ने वहां का जो रिजर्व फंड था उसको यकायक उठा लिया और दूसरे कंसर्न्स में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगा दिया, इससे वहां के मजदूरों को पैसा नहीं मिल पाया। लाल इमली के बारे में यह है कि ऊन नहीं खरीदी जा रही है, क्योंकि कानपुर की मिलों में जो पैसा रिजर्व फंड का था, उसमें से दो करोड़ रुपया मूंघड़ा ने यहां से ले कर बम्बई के दूसरे कंसर्नों में लगा दिया है। इसलिये वहां के मजदूरों को बेकार होने के लिए विवश किया गया है। सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध है क्योंकि अथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कराने के लिये इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई बात नहीं की। इस सरकार ने तमाम बातों की जानकारी करने के बाद भी कार्यहीनता दिखायी और कोई अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने की बात नहीं की गयी और वहां के मजदूर भूखों मर रहे हैं। इसलिये यह कहना कि सरकार को कोई जानकारी नहीं है, वस्तुस्थिति पर परदा डालना है।

मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत मूल प्रश्न है। अथराइज्ड कंट्रोलर को नियुक्त करने का प्रश्न इस सरकार ने कभी नहीं उठाया। यह प्रश्न नया है। इसलिये कृपा कर के आप व्यवस्था दें और हमारे प्रस्ताव को मान्यता प्रदान कराएं ताकि इस पर बहस हो। यह बहुत अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, वह यह कहते हैं कि यहां कोई डेपुटेशन आया था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उस डेपुटेशन से जो हमारी बातचीत हुई वह कानपुर की तमाम काटन मिलों के ऊपर और उत्तर प्रदेश की जो काटन मिल है, उस पर विचार करने के लिये बात उसमें हुई और हमने उस पर विचार किया। सूती मिल मजदूर सभा और आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि हमसे मिले थे। जैसा मैंने निवेदन किया कानपुर काटन मिल भी दो महीने से बन्द है। दिसम्बर की १७ तारीख को इस पर चर्चा भी हुई। उसके सम्बन्ध में सारी बातों पर प्रकाश भी डाल दिया गया। माननीय राजनारायण जी ने जो प्रवचन किया उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। परन्तु मैं कोई प्रवचन फैशन के लिये अपनी तरफ से...

श्री राजनारायण---जनाब कायदे से बात कीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के...

श्री राजनारायण---आप के द्वारा मैं कह रहा हूं कि उन्हें कायदे से बात करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि कोई नयी बात डेपुटेशन के समय मालूम हुई जो बहस में उस रोज नहीं आयी थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कोई बात ऐसी, श्रीमन्, नहीं है जो उस रोज बहस में नहीं आयी थी और आज सरकार के सामने आयी हो। सरकार....

श्री अध्यक्ष---मैं सिर्फ यह जानना चाहता था, कामरोको प्रस्ताव में उनका मूल कहना यह है कि इसमें मूंधड़ा साहब ने सब शेयर्स खरीद कर वहां की मिलों की सांस को रोक दिया और इसकी वजह से इतने आदमी बेकार हो गये। क्या यह नयी चीज उसके बाद मालूम हुई है। उस दिन की बहस में अगर यह बात कही गयी थी कि मूंधड़ा साहब ने शेयर्स खरीद लिये और उसका परिणाम यह हुआ, तब तो नयी बात नहीं है। लेकिन अगर यह नई बात है और केन्द्रीय सरकार में भी केस चल रहा है और उसके बाद लोगों के दिल में शंका पैदा हुई और मालूम हुआ कि सब शेयर्स खरीदने से मिलें बंद हुई थीं तो यह नई घटना अवश्य हो जाती है और उसके ऊपर बहस करने के लिये यह एक नया विषय हो जाता है। यह चीज सरकार बताये कि सरकार को यह बात मालूम हुई कि नहीं, जिस नई बात का वह जिक्र कर रहे हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, तीन बातें निवेदन कर दूं । पहली बात तो यह है कि १७ दिसम्बर को जो विचार विमर्श हुआ था, कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह का इशारा किया था कि मूंधड़ा साहब की कुछ अपनी खरीदारी की वजह से इन कारखानों में कुछ गड़बड़ी आयी है, जो बी० आई० सी० की मिल्स हैं। जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इस तरह का जुबानी इशारा हुआ था। लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसके सामने किसी तरफ से कोई इस तरह की निश्चित बात न तो आयी है और न इस प्रादेशिक सरकार के सामने उस बात के आने का आज मौका ही है क्योंकि मूंधड़ा साहब ने साल, डेढ़ साल पहले यह काम कर लिया था और मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में जो हमारी जानकारी थी वह जानकारी हमने भारत सरकार को भेज दी है ।

श्री अध्यक्ष---तो आपको यह निश्चित जानकारी नहीं है कि मूंधड़ा साहब के शेयर खरीदने की वजह से यह मिलें बन्द हो गयीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अब जानकारी करने के लिये उनको मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं । अब मैं फैसला दिये देता हूं । बात यह है कि यह विषय अनिश्चित है । मिलें बंद होने के बारे में बहस हो चुकी है । लेकिन प्रस्ताव में यह चार्ज किया गया है कि सरकार को मालूम है कि मूंधड़ा साहब ने सब शेयर्स खरीदे जिससे मिलें बन्द हो गयीं और यह बात मालूम होते हुए भी सरकार की ओर से कोई स्टेप नहीं लिया गया । लेकिन सभा सचिव जी कह रहे हैं कि सरकार को मालूम नहीं है तो यह बात बिलकुल अनिश्चित है । इसलिये इस बुनियाद के ऊपर यह काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब अगर राजनारायणजी कुछ जानकारी देना चाहें और बहस उसके ऊपर करना चाहें तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेज दें और मैं समझता हूं सरकार को उनका जवाब देना चाहिये । फिर उसके ऊपर अगर बहस होना उचित हो तो आधा घंटा हो सकती है ।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में आपसे कुछ निवेदन और करना चाहता हूं । जब कानपुर का डेपुटेशन मिला था उस समय मंत्री जी ने कुछ कहा और टेक्सटाइल कमिश्नर की रपट के बारे में, जिसमें उसने लिखा है कि यह वजह है, जिसकी वजह से काटन मिल बन्द हुई, वह बात आपको मालूम है । तो मैं प्रिविलेज का मोशन उठाना चाहता हूं । जब मंत्री जी हमसे एक बात डेपुटेशन में कहते हैं और सदन में इन्कार करते हैं तो यह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस है।

श्री अध्यक्ष---आप मंत्री जी से कह रहे हैं ?

श्री राजनारायण---मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ही रिप्रेजेन्ट्स दि गवर्नमेंट । (वह सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।) मैं जरा उनसे पता लगा लूंगा। उनको भी जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें । शार्ट नोटिस क्वेश्चन भेज दीजिये ।

बिल्थरा रोड तथा किड़िहरापुर स्टेशनों से मिलों को गन्ना पहुंचाने का समुचित प्रबंध न होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी का है जो इस प्रकार है :-

"आजमगढ़ जिले में कई लाख मन गन्ना जो प्रति वर्ष बिल्थरा रोड तथा किड़िहरापुर रेलवे स्टेशनों से ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, डाकखाना रामपुर, जिला

आजमगढ़ द्वारा मिलों को दिया जाता रहा है उस वर्ष केन आफिसर, देवरिया के कुप्रबन्ध एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण खेतों में पड़ा हुआ है ।

इसके विरोध में मैंने ३१ जनवरी, १९५८ को माननीय उद्योग मंत्री तथा केन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा । इसके अतिरिक्त स्थानीय जनता, अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) तथा विशेष गन्नाधिकारी, आजमगढ़ एवं सहकारी भंडार के मंत्री ने गन्ना अधिकारियों को पत्र लिखा । इसके साथ ही मिल मैनेजरों को आफर के मुताबिक गन्ना सप्लाई करने के लिये वैगनों का प्रबन्ध करने हेतु निवेदन किया पर अब तक कोई परिणाम नहीं निकला । यही नहीं दिन प्रतिदिन वैगनों की कमी की जा रही है जिसके कारण कई लाख मन गन्ना निश्चित रूप से खेतों में रह जायगा, जिसका निरीक्षण मैंने स्वयं किया है ।

सरकार तथा गन्ना अधिकारियों के यहां बार बार निवेदन करने पर भी इस ओर ध्यान न दिये जाने के कारण कई लाख किसानों में असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है ।

अतः ऐसी संकटापन्न एवं विषम परिस्थिति पर तत्काल विचार करने और उस पर काबू पाने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है ।"

और इसके साथ पत्रावलियां भी नत्थी की हैं । मेरे पास इसके साथ-साथ कुछ प्रश्नों के बारे में भी माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने यह कहा है कि १२ जनवरी को उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे और जब २१ तारीख को वह प्रश्न माननीय मन्त्री जी के पास पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया कि वह उसे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करते । अब वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अगर स्वीकार कर लेते तो २२ जनवरी से ३ फरवरी तक १२ रोज हो जाते हैं और साधारण जो तारांकित प्रश्न होते हैं १२ रोज में उसका भी जवाब मिल जाता है, तो अल्पसूचित भी अगर वह स्वीकार कर लेते तो भी ३ फरवरी को ही उत्तर देना पड़ता, क्योंकि ३ फरवरी के पहले तो सदन की बैठक नहीं थी । ऐसी हालत में इस तरह से इन्कार कर देने से मैं समझता हूं कि नतीजा यह हो जाता है कि यह कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार का आ गया और मालूमात भी सदन को न हो सकीं । मैं समझता हूं कि इस विषय के ऊपर कई महीनों से एक महीने डेढ़ महीने से चर्चा इस बात की हो रही है । तो इन अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को माननीय मंत्री जी को स्वीकार करके दो एक रोज में इसका जवाब दे देना चाहिए । कामरोको प्रस्ताव को मैं वैसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह ठीक शकल में नहीं है और कई विषय इसमें हैं । वैगनों का प्रश्न भी इसमें दिया है, वैगनों की कमी तो रही है और कोई निश्चित सी चीज मालूम नहीं होती है । इसमें पक्षपात की बात भी है जो किसी आफिसर के खिलाफ है । इस प्रकार कई बातें मिला दी गयी हैं । इसलिये कामरोको प्रस्ताव का विषय तो यह नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न पूछे गये हैं, वह मैंने देखे हैं, उनमें ये सब विषय आ जाते हैं । उनका उत्तर मिल जायगा तो उनके ऊपर आध घंटा बाद में बहस हो सकेगी ।

कुमायूं एवं तराई-भावर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा दिये जाने वाले घास और लकड़ी पर टैक्स के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री प्रतापसिंह का एक कामरोको प्रस्ताव है——

"यह सदन निम्नलिखित निश्चित, आवश्यक एवं महत्व के विषय पर विचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है:-

"समस्त कुमाऊं एवं तराई-भावर क्षेत्र में विगत जनवरी मास से सभी ग्रामवासियों को निःशुल्क जंगलात (वन-विभाग) से दिये जाने वाले घास, लकड़ी आदि पर वन विभाग द्वारा गैर कानूनी एवं अवैधानिक ढंग से अकारण टैक्स लगा दिये जाने से उत्पन्न असन्तोषपूर्ण गम्भीर परिस्थिति ।"

यह मैं जानना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि यह कहां तक निश्चित विषय है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोई इत्तला इस प्रकार के टैक्स की है नहीं और न सरकार ने कोई नया टैक्स पहली जनवरी से लगाया है । मालूम नहीं माननीय सदस्य किस चीज को टैक्स कह रहे हैं । वहां पर कोई इस किस्म की बात अभी हाल में नहीं हुई है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, १ जनवरी से जो जंगल से किसान निःशुल्क घास लकड़ी वगैरा लाया करते थे, उस पर अब १ टन वाली गाड़ी पर २५ नये पैसे का टैक्स लगा दिया गया है । बैलगाड़ी पर १२ नये पैसे और घोड़े पर ३ नये पैसे का टैक्स लगा दिया गया है । सिर पर जो गरीब किसान अगर अपनी गाय बछड़े आदि के लिए घास का गट्ठर लाता है या घर में जलाने के लिए लकड़ी लाता है तो उस पर भी ३ नये पैसे का टैक्स जंगलात विभाग की ओर से लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके लिए भी आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर दीजिए, उत्तर मिलने पर यह निश्चित विषय हो जायगा ।

जिला खीरी में किसानों की जमीनें हस्तगत करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री बंशीधर शुक्ल का है ---

"खीरी जिला के अन्तर्गत सरकार की ओर से पलिया उपनिवेशन के उद्देश्य से लगभग तीस सौ किसानों की बड़ी-बड़ी जमीनें छीनी जा रही हैं । उसको लेकर घोर असन्तोष फैला हुआ है । साथ ही इस जमीन की छीना झपटी में शान्ति भंग हो जाने की भीषण आशंका है । अतः सदन आज का अपना कार्य इस महत्वपूर्ण और आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिए स्थगित करने का निश्चय करता है ।"

मुझे यह पता है कि दिसम्बर की बैठक में इसी विषय पर दो बार कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ चुका है जो नामंजूर हो चुका है । तो यह रिसेंट अकरेंस की चीज मालूम नहीं होती, पुरानी है । बार-बार एक ही प्रश्न कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उठाया नहीं जा सकता ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---जब आप पास नहीं करेंगे तो पुरानी तो हो ही जायगी ।

श्री अध्यक्ष---यह कामरोको प्रस्ताव नहीं है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---इस सम्बन्ध में जब कोई बात नहीं हो रही है तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कर सकते हैं । बजट के अवसर पर बहस कर सकते हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल---प्रश्न के उत्तर में कोई उत्तर नहीं दिया गया, जब प्रश्न किये गये तब भी उस पर कोई उत्तर नहीं दिये गये ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिये ।

*उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ †(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब स्वायत्त शासन मंत्री के प्रस्ताव पर विचार शुरू होगा । कल श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रक्खेंगे ।

---

*३ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

†६ फरवरी, १९५८ से ।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी की सेवा में अपने चन्द सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं । पहला सुझाव यह है कि इस बिल को इस समय वापस लेकर, दो माह के अन्दर खेर कमेटी के प्रस्तावों को विचार में रखते हुए और प्रदेश और जनता की मौजूदा आवश्यकताओं को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल इस सदन में लावें, ताकि जो अपव्यय विभागों द्वारा हो रहा है उसकी रोकथाम की जा सके और जनता को जो टैक्सेज कई बार देने पड़ते हैं, उनसे उसकी बचत हो ।

दूसरा सुझाव यह है कि निशान द्वारा मतदान लेने की जो व्यवस्था है वह न की जाय बल्कि जो पुरानी व्यवस्था बैलट के द्वारा थी उसी को कायम रक्खा जाय, क्योंकि हाई कोर्ट से डर कर सरकार सारे अधिकार अपने में निहित करती जा रही है ।

तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष तथा मेम्बरों के सस्पेंशन तथा निकालने का अधिकार केवल बोर्ड को हो ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि इस गुलामी के जमाने में बने हुए कानून के द्वारा एलेक्शन न करा कर नया बिल लाना चाहिये जो कि काम्प्रिहेंसिव हो और इस तरह से बेकार में प्रदेश व जनता का करोड़ों रुपया, जो अपव्यय होने जा रहा है, वह न हो ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह जो वादविवाद यहां दो दिन से चल रहा था उस पर दोनों ओर के माननीय सदस्य बोले । दोनों ओर के सदस्यों के विचार करीब-करीब एक से ही दिखायी पड़े कि आज का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में पुनः विचार करके डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर के आधार पर, नवीन ऐक्ट लाकर, उसके आधार पर चुनाव कराने की आवश्यकता है । ऐसा मुझको प्रतीत हुआ कि इधर से जो माननीय सदस्य बोले उनका एक विशेष दृष्टिकोण था, विशेषकर विरोधी दल का और उस दृष्टिकोण का निर्माण इस कारण हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून के अन्दर विशेष प्रकार की कार्यवाही हुई और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कार्यवाही के अन्दर दलगत स्वार्थसाधन की भावना जाग्रत हुई । उसी कारण से यह मांग हुई कि एलेक्शन तुरन्त हों । श्रीमन्, आश्चर्य इस बात का है कि ऐक्ट के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में सरकार भी स्वीकार करती है:--

".....because the question of evolving a revised pattern for these local bodies has since been under the consideration of Government. As, however, the proposed revised set-up contemplates major changes and it may yet take some time before the revised scheme can be implemented....."

अब, श्रीमन्, यों तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्यकाल सन् १९५२ में समाप्त होना चाहिये था । सन् १९५२ से विचार करते-करते सन् १९५८ हो गया । ६ वर्ष के भीषण विचार के बाद भी आज उनके सामने चित्र स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या रिवाइज्ड पैटर्न होगा । यह तो वैसा ही हुआ जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है कि "Mountain has laboured for six years, but has only produced a miserable set." । तो ६ वर्ष के लेबर के बाद यह मिजरेबिल बिल उसका परिणाम है ।

श्रीमन्, आज की जो मांग है कि सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये, इसके अभाव में आज जनता में अविश्वास का भाव खड़ा है । आज अधिकार का, जिस तरह ६ वर्ष से दुरुपयोग किया गया, और उसे जिस तरह से इस बिल के अन्दर रखा गया है, वह इस प्रकार है---"प्रोवाइडेड... ।"

श्री अध्यक्ष---आप हिन्दी में पढ़िये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मुझे अंग्रेजी में मिला है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष---वह तो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बांटे गये थे ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मुझे तो अंग्रेजी में ही मिला है और फिर अमेंडमेंट बिल तो अंग्रेजी में ही है ।

श्री अध्यक्ष---आपके हाथ में अंग्रेजी का पड़ गया होगा । मूल ऐक्ट अंग्रेजी में है तो केवल अमेंड़मेंट आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं । हिन्दी में न हो तो किसी से ले लीजिये ।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---तो, श्रीमन्, सरकार को पिछले ऐक्ट में यह अधिकार दिया गया था कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट के जीवन को जबतक चाहे बढ़ाती रहे । फिर भी वह अधिकार उसने सुरक्षित रखा, जिस अधिकार के स्पष्ट प्रयोग के बल पर, विचार की ओट में उसके जीवन को बढ़ाते गये । क्या अब यह गारंटी या विश्वास लोगों को होगा कि इस अधिकार को रखने के बाद, नयी योजना बनाने की ओट में, फिर ६-७ वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जीवन को न बढ़ाया जायगा ? अच्छा तो यह होता कि पीरियड फिक्स कर देते कि ४ वर्ष के बाद एलेक्शन होना निश्चित है । यह बात तो समझ में आती है कि अगर कोई युद्धकालीन स्थिति हो या कोई ऐसी समस्या हो उसके अन्दर इस प्रकार का अधिकार प्रयोग हो । लेकिन जब नार्मल स्थिति देश के अन्दर है, उस समय इसके अधिकार को रखना और फिर प्रयोग करना, यह उचित नहीं दिखता । इसके प्रयोग के कारण आज जनता के अन्दर जो अविश्वास सरकार के प्रति खड़ा हो गया उसके इस अमेंडमेंट के बाद भी दूर होने की गुंजाइश नहीं रही । तो आवश्यक यह था कि इस हिस्से को निकाल देते, परन्तु सरकार ने निकाला नहीं ।

श्रीमन्, आज के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के कृत्य ऐसे भीषण रहे और उन भीषण कृत्यों के कारण जनता में इतना अविश्वास है कि उसका वर्णन करके, जितनी बातें अब तक इस सम्बन्ध में कही गयी हैं, उनकी केवल पुनरावृत्ति होगी । परन्तु मैं आप की आज्ञा से उदाहरण के लिए जौनपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक कृत्य का वर्णन करना चाहता हूं कि किस प्रकार एलेक्शन न होने के कारण कितना इर्रेस्पांसिबिल भाव पैदा हो गया है । ५-६ नोटिसेज हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन ने एक अध्यापक को दिये जिनमें से मुझे एक मिल सका । यों तो इस प्रकार के नोटिस, जहां-जहां कांग्रेस एलेक्शन में हारी है, बांटे गये हैं । आप इसको सुनें तो बड़ा आश्चर्य होगा । पालाप्रसाद सिंह एक मास्टर हैं, उनको कहा गया है कि श्री पालाप्रसाद सिंह को चेतावनी दी जाती है कि उन्होंने लगातार कांग्रेस के विरुद्ध और श्री राजदेव सिंह तथा जगन्नाथ सिंह के पक्ष में खुले आम एलेक्शन में पैरवी की । श्रीमन्, ठीक तो यह होता यदि यह लिखा जाता कि तुमने एलेक्शन में भाग लिया, लेकिन यह कहना समझ में नहीं आता कि तुमने कांग्रेस के विरुद्ध पैरवी की । उसने यदि कांग्रेस के विरुद्ध पैरवी की तो बड़ा भारी पाप हो गया और अगर कांग्रेस के मुवाफिकत में पैरवी करता तो कोई बात नहीं थी । मैं आपको और भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं । मेरे स्वयं के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मास्टरों का प्रयोग हुआ, प्रिंसिपल का प्रयोग हुआ और विद्यार्थियों का प्रयोग हुआ । यदि माननीय मन्त्री जी चाहें तो मैं उनके नाम भी बतला सकता हूं उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया तो फिर उनको इस पर दूसरा नोटिस दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप जारी रखिये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---दूसरा नोटिस दिया गया और कहा गया कि तुम्हारे जबाब में सब बातें तो संतोषजनक हैं, लेकिन तुम बड़े झगड़ालू हो । अब झगड़ालू की परिभाषा कौन करे । जब उन्होंने इसका भी जबाब दिया तो अन्त में कहा गया कि आपको और कोई सजा नहीं दी जाती है, केवल आपको यह सजा दी जाती है कि आप अपने पूर्व वेतन पर डिग्रेड किये जाकर सहायक अध्यापक बना दिये गये । इस प्रकार का, श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में आजकल न्याय हो रहा है । यह इसीलिये है कि उनका जीवन आप दस वर्षों से निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं ।

श्रीमन्, अब मैं आपको एक दूसरा उदाहरण शाहगंज तहसील का देता हूं। शाहगंज तहसील में एक मास्टर किसी स्कूल में था। उसको उसी जिले में ४० मील दूर पर ट्रांसफर कर दिया गया। श्रीमन्, इस तरह की बातें अखतियार की गयी हैं। इस तरह के कृत्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में होने लगे हैं। इसका कारण यही है कि उनके अन्दर से आज यह भावना खत्म हो गयी है और वह कहते हैं कि जब एलेक्शन होगा तब होगा, उस समय देखा जायगा, अभी तो हम दस वर्षों से यहां पर विराजमान हैं। इस सैक्शन का जो प्रयोग किया गया और इनको जिन्दगी बढ़ाकर यह नई बला लायी गयी है इससे आज कल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में घोर अनाचार बढ़ गया है और इर्रेसपौंसिबिलिटी बढ़ गयी है।

श्रीमन्, कल माननीय मंत्री जी ने बातचीत में यह कहा कि जो करप्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में हुआ है, हो सकता है उसका परिणाम भीषण हो परन्तु उसकी रोकथाम भी की गयी है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में चेयरमैन और मेम्बरों को मुअत्तल करने का अधिकार दिया गया है? कल को कोई चेयरमैन मुअत्तल किया जाता है और वही अगर ए लेक्शन जीतकर असेम्बली में आता है और मंत्री बनकर बैठता है तो कौन कुछ कह सकता है? यह कैसा अधिकार है? चेयरमैन को भी जनता चुनकर भेजती है और असेम्बली के सदस्य को भी जनता ही चुनकर भेजती है। चेयरमैन को तो आप मुअत्तल कर सकते हैं और सदस्य को नहीं। अगर किसी चेयरमैन के खिलाफ कुछ आरोप हैं तो आप बोर्ड को डिजाल्व कर दीजिये और फिर से चुनाव कराइये। लेकिन इस ऐक्ट में इस तरह की व्यवस्था नहीं है।

किसी बोर्ड के खिलाफ शिकायत होती है तो सरकार ने उसको सुपरसीड करने का अधिकार अपने हाथ में ले रखा है और उसको डिजाल्व करने की बात नहीं है। सुपरसीड करने वाली बात जनतंत्र की पद्धति के अनुसार ठीक नहीं है। अगर बोर्ड में गड़बड़ी है तो डिजाल्व कीजिये और एलेक्शन कराइये। आप दो वर्ष से कबाल टाउन्स में बोर्ड्स को सुपरसीड किये हुये हैं और आपके ऐडमिनिस्ट्रेटर्स स्वर्ग बना रहे हैं। स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने लखनऊ बोर्ड के बारे में स्वीकार किया कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की गलती से टैक्सेज की वसूली कम हुई। लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड करते समय कहा गया था कि तुम ठीक तरह से टैक्सेज की वसूली नहीं करते हो? इसलिये बोर्ड सुपरसीड किया जाता है। इसके सुपरसीड किये जाने के और भी कारण थे, लेकिन यह भी कहा गया था। परन्तु जब स्वर्ग का निर्माता आपने बिठा दिया तो वसूली और भी कम हुई। अगर किसी बोर्ड में गड़बड़ी है तो डिजाल्व करके चुनाव कराइये और वोटरों के सामने उस गड़बड़ी को लाइये। फिर वोटरों को भी सोचने दीजिए कि उनको फिर से लाया जाय या न लाया जाय। यह चीज होनी चाहिये।

हमारे यहां जनतंत्र की पद्धति के अनुसार कार्य होना चाहिये, लेकिन हमारे यहां वह नहीं होता है। गणतंत्र की तो यहां तक पद्धति है कि अगर बोर्ड का चेयरमैन अपने खिलाफ दल का भी हो तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा कि अपने दल के लोगों के साथ करते हैं। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और मुझे प्रशन्नता है कि उन्होंने मुझको इसका आश्वासन दिया। परन्तु आपके मंत्री होने के पहले इस विभाग के द्वारा जो दो आंख का व्यवहार किया गया वह बड़ा दुखद है। मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, केवल एक ही बात कहूंगा कि हरदोई के म्युनिसिपल चेयरमैन को जब आपने मुअत्तल किया तो हाईकोर्ट में रिट हुई। उस रिट का फैसला देखने योग्य है। मैंने बार-बार उसको यहां कहा है। इस समय उसका मैं केवल एक ही वाक्य कहूंगा। उसमें लिखा है—"Grossest abuse of power." तो जिस सरकार के ऊपर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हाईकोर्ट से पास हो उस सरकार के बारे में यह कैसे मान लिया जाय कि जितने अधिकार इस ऐक्ट में उसने अपने लिये सुरक्षित रखे हैं उनका भी ग्रासेस्ट ऐब्यज आफ़ पावर नहीं होगा। आप पावर को डिसेंट्र-

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

लाइज़ करते और सरकार के हाथ में उतनी ही शक्ति रखते जितनी आवश्यक थी।

सब से आवश्यक शक्ति फाइनैन्सेज़ की थी। आज का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट मैं देख रहा था, उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से किसी प्रकार के फाइनैन्सेज़ का कोई वर्णन नहीं है। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने लोकल फाइनेंसेज़ के आधार पर ही रिकमेंड किया था, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं, वह अंग्रेजी में है—

"In a few States a fixed share of land revenue is also assigned to local bodies, Panchayats and District Boards. More recently in three or four States the entertainment duties have been almost wholly assigned to local bodies within whose jurisdiction they are collected."

श्रीमन्, यह जो टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है इसके पीछे एक ही विचार है कि ये लोकल बाडीज परपीचुअल माइनर हैं, पैसे के बिना वे कोई काम ठीक से कर नहीं पायेंगी। अगर वे कोई निर्माण का कार्य करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें तो बराबर उनको पैसे के लिये सरकार का मुंह देखना पड़ेगा। अच्छा तो यह था कि उनको पर्याप्त धन मिलता, ताकि उस धन के आधार पर वे अपना काम सुचारुरूप से कर सकते, परन्तु विदेशी नीति यह थी कि जनता में यह भावना हो कि ये किसी प्रकार का कार्य कर नहीं सकते। आज वही भावना आपने फिर भी रखी है। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या लोकल बाडीज को ले लें। उनको स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से लैंड रेवेन्यू का कोई हिस्सा आपने देने की बात की? नहीं की। वेहिकिल्स टैक्स, जो गाड़ियां उनकी सड़कों पर चलती हैं, उसका कोई हिस्सा उनको देने की आपने कोई बात की? कहना पड़ेगा नहीं। एंटरटेनमेंट टैक्स का कोई हिस्सा आपने उनको देने की बात की? कहना पड़ेगा नहीं। देश के अन्दर तीन, चार राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया है। मैसूर राज्य ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने परपीचुअल रूप में उनको ब्लाक ग्रांट दी। परन्तु हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने को बहुत प्रगतिशील कहती है इस प्रकार का प्रगतिशील कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है। अगर इस प्रकार का कदम उठाया जाय तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स फिर स्वतंत्र न हो जायं, जिस स्वतंत्रता के आधार पर आप एलेक्शन जीतने के लिये उस संस्था का प्रयोग नहीं कर सकते।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे १० मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप ५ मिनट और अधिक ले लीजिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आवश्यक यह था कि आप शक्ति जनता को दें। अगर शक्ति केंद्रीभूत रहती है तो केंद्रित शक्ति फिर किसी प्रकार का अधिनायकवाद खड़ा कर देगी और जितनी ही मात्रा में शक्ति केंद्रित रहेगी उतनी ही मात्रा में समाज और लोगों की अधिनायकवादिता का मुकाबला करने की शक्ति कम होगी। शक्ति को विकेंद्रित करने के लिये क्या कोई भी दफा आपने इस विधेयक में बनाई? नहीं। आप हल्ला जरूर करते हैं लेकिन खाली हल्ला करने से क्या होता है?

जैसी अंग्रेजी में कहावत है कि "The proof of the pudding lies in the eating of it" उस दृष्टि से आपने वास्तव में इस ऐक्ट के अन्दर कोई चीज नहीं रखी है।

अब, श्रीमन्, जहां तक मैनर आफ वोटिंग का प्रश्न है, यह सही है कि डैमोक्रेसी में सीक्रेसी आफ बैलट बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न होता है कि यह हो कैसे? पिछला तरीका बैलट पेपर को बक्सों में डालने का जो था उसमें यह जरूर था कि बैलट पेपर बाहर आ कर बिक सकते थे और बहुत जगह खरीदे भी गये। उसमें यह दोष है अवश्य,

किन्तु इसके माने यह नहीं कि उस दोष को दूर करने के लिये आप एक दूसरी दोषपूर्ण पद्धति अपना लें। यह तो वैसा ही होगा जैसे कि एक अनभिज्ञ वैद्य रोगी को अच्छा होने के लिये संखिया खिला दे। यह मार्किंग सिस्टम इस से भी ज्यादा दोषपूर्ण ह। देहातों में बहुत स वोटर एसे हैं कि जो मार्क नहीं कर सकते। औरतों के लिये यह एक बड़ी समस्या है। जौनपुर के एक ही टाउन एरिया बादशाहपुर बाजार का नाम मैं लूंगा कि जहां कचहरियों के क्लर्कों ने और दूसरे कर्मचारियों ने अपने मालिकों को खुश करने के लिये स्त्रियों के हाथ से बैलट पेपर छीन कर स्वयं निशान लगा दिये। यह और दोषपूर्ण पद्धति है। इससे चुनाव वास्तव में पोलिंग अफसरों और कर्मचारियों के हाथ में होगा, जनता के नहीं। मार्किंग सिस्टम ठीक है लेकिन इस के साथ जहां आप पेंसिल रखते हैं वहां आप थम्बइम्प्रेशन की बात भी रखिये। जो निशान न लगा सकें वह अपना थम्बइम्प्रेशन लगा दें, या आप कोई और तरकीब निकालें, जिससे यह खराबी दूर हो सके।

आपने चेयरमैन अथवा मेम्बरों को निकालने के बाद उनको अपील का अधिकार नहीं दिया है। बड़ा आश्चर्य है। आदमी कत्ल करता है, उसको फांसी की सजा होती है, लेकिन उसको अपील करने का अधिकार रहता है। किन्तु इस बेचारे चेयरमैन या मेम्बर को, जिसके ऊपर आप दोषारोपण करते हैं और जिसे मुअत्तल करते हैं, उसको अपील करने का भी अधिकार नहीं देते। यह, श्रीमन्, वैसा ही है कि जो जुर्म लगावे वही फैसला भी करे और फैसला करके यही फांसी पर भी लटका दे। यह व्यवस्था दोषपूर्ण है। अपील करने का अधिकार तो हमको संविधान से मिला है, किन्तु इस ऐक्ट के आधार पर आप उस मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। यह किस न्याय और विचार के आधार पर है?

श्रीमन्, सरकार ने जो अधिकार डिजाल्व करने का बोर्ड को देना चाहा है वह तो ठीक है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहरा दूं कि उस के बाद आप एक काल निर्धारित करें कि इस काल के भीतर निश्चित रूप से एलेक्शंस हो जायंगे। डिजोल्यूशन के बाद यह नहीं होना चाहिये कि इच्छा और राय के अनुसार आम एलेक्शन टालते चले जायं।

यह, श्रीमन्, थोड़े से शब्दों में जो दोष है वह स्पष्ट रूप में मैंने आपके सामने रखे। यदि अंग्रेजी की एक कहावत में फिर आप के सामने कहूं कि "This bill is faulty, hasty, halting, timid and tardy." तो अनुचित न होगा। इस ऐक्ट से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का लाभ होना चाहिये वह नहीं हुआ।

आपकी आज्ञा से मैं जरा विषय से अलग एक स्पोर्टिंग आफर सरकार को देना चाहता हूं कि यह जो कारपोरेशन बिल है और जो सेलेक्ट कमेटी से पास भी हो चुका है, उसमें हमारे और उनके बीच में एक रास्ता निकला है। थोड़ी सी बातों में हमारा और उनका विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जनसंघ की ओर से कहना चाहता हूं कि हम ४–६ रोज में बैठ कर उसे पास करने को तैयार हैं। लेकिन इस के लिये दो आश्वासन मैं चाहता हूं––एक तो कारपोरेशन के एलेक्शन की स्पष्ट तारीख सरकार को घोषित करनी चाहिये और दूसरा आश्वासन यह कि जो दोष इसमें हैं उनके लिये सरकार शीघ्र ही एक दूसरा बिल लाये।

अन्त में मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये एक चीज और निवेदन करूंगा। चुनाव के लिये मई का महीना छांटा गया है। मैं समझता हूं इस समय के लिये ज्यादा विचार नहीं किया गया है। वह मई का महीना लगन का महीना होता है। उसमें लोग शादी विवाह में फंसे रहते हैं। शादी विवाह में फंसे रहने के कारण कितने ही लोग वोटिंग के लिये नहीं आ सकेंगे। यह विचार करने का विषय है। इस समय को बदल कर कोई दूसरा समय निर्धारित करें। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)––अध्यक्ष महोदय, यह हम लोगों को बहुत बड़ी आशा थी कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नया अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उसमें

[श्री मुक्तिनाथ राय]

बहुत अधिक चीजें जनता के लिये होंगी। हम गांव में जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि जिला बोर्ड के चुनाव फिर आ गये। वह क्यों, इसलिये कि २ महीने पहले हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जिला कौंसिल बनेंगी। जनता को उससे बहुत बड़ी आशा थी कि नयी चीज आने वाली है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता जिला बोर्डों के नाम से ऊब चुकी है। इस अमेंडिंग बिल में बहुत सी चीजें हैं लेकिन मेरा यह नम्र विचार है कि जनता को इससे कोई खास दिल-चस्पी नहीं है। यह हो या न हो, लेकिन जिला बोर्ड से जो परेशानी है वह टैक्स के बारे में है। १२८ और १२९ दफा है जिसमें असेसमेंट की परिभाषा की गयी है। उसमें टैक्स लगाने का तरीका विचित्र है। एक आदमी जिसकी हैसियत कुछ भी हो उसके ऊपर टैक्स तशखीस कर दिया जाता है। उसको तीन-तीन साल तक पता नहीं लगता है। चौथे साल उसको पता लगता है कि उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। इससे जनता परेशान है। आज हम जब गांवों में जाते हैं और अपने क्षेत्रों को देखने के लिए जाते हैं तो जहां पर जनता सूखा और बाढ़ से परेशान है, वहां पर हमको लोग जिला बोर्ड के टैक्सों से ऊबे हुए नजर आते हैं। वह हमसे जिला बोर्ड की शिकायत करते हैं और हम उनसे वादा करते हैं कि सरकार अब एक नया बिल लाने वाली है जिसके द्वारा जिला बोर्ड की स्थिति में आमूल परिवर्तन होगा, उससे आप लोगों की मुश्किलें दूर होंगी। हम जब जिला बोर्ड के बारे में शिकायत करते हैं तो हमको उपदेश दिया जाता है कि जो आदमी जिले में बसता है उसका फर्ज है कि वह हर साल जिला बोर्ड के कार्यालय में आये और पता लगाये कि उसके ऊपर टैक्स लगा है या नहीं। मैं इसको ठीक नहीं समझता।

आज पंचायत टैक्स लगाती है और जिला बोर्ड भी टैक्स लगाता है। अगर कोई आदमी टैक्स देने के लायक नहीं है कि वह टैक्स अदा कर सके और निर्धन है और यदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पूरा अपना टैक्स जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं कहता हूं कि यदि बोर्ड के ऐक्ट में १२८ और १२९ धाराओं में, जो जिला बोर्ड को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है, अगर उसमें कुछ संशोधन आया होता तो मैं समझता हूं कि जनता इसका हृदय से स्वागत करती और जनता का बहुत बड़ा कल्याण होता और बहुत बड़ा मतलब हमारा हल हो जाता और जनता को हम यह कह सकते कि हमारी सरकार ने यह काम तुम्हारी राहत के लिए किया है।

यह कहा गया है कि बोर्डों में कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेस के लोग यह चाहते हैं कि उनकी शक्ति बनी रहे। इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर जिला बोर्डों पर कांग्रेस का अधिकार नहीं होता या कांग्रेस के मेंबर अधिकांश उसमें नहीं होते तो आज इस प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा शक्तिशाली होती बजाय इसके कि जिला बोर्ड कांग्रेस के हाथ में है। यह ९ साल के जिला बोर्ड वैसे ही हैं जैसे कि कहा जाय कि कोई सड़ी हुई चीज है उसको उठाकर ले जाया जाय। इसमें आप चुनाव करायें या न करायें कोई खास फर्क नहीं होता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर चुनाव न हों तो इससे जनता को कोई खास असंतोष नहीं है। सरकार इस अमेंडिंग बिल को ड्राप कर दे। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को बिलकुल ड्राप कर दें और डेवलपमेंट कौंसिल की शक्ल में या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की शक्ल में एक नया बिल लायें। इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाय जिससे जनता यह समझे कि यह बिल हमारे लिए है। इससे जनता का बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम इसलिए चुनाव करायें चूंकि विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि यह सरकार हीला हवाला करना चाहती है। हम चाहें अच्छा काम भी करें उसको बुरा कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम यह समझें कि हम ठीक काम करते हैं, तो चाहे उसको कोई खराब भी कहे

लो भी हमको वह करना ही चाहिए। जो काम हमको करना है वह किसी के कहने की वजह से नहीं बल्कि हमको इसलिए करना चाहिए कि जनता की सेवा करने का हमने व्रत लिया है, इसलिए हम उसको करेंगे। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, जैसा कि सरकार इसलिए किया करती है चूंकि विरोधी पार्टी की राय है या इसलिए कि उनका धन्यवाद लेना है या यह दिखाना है कि तुम्हारी बात मानते हैं, इस वजह से जिला बोर्ड का चुनाव कराना चाहते हैं। ऐसा न करें तो अच्छा है।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि देर भले ही हो चाहे नवम्बर में चुनाव हों, लेकिन आप निश्चित कर दें। ऐसा न हो कि फिर नवम्बर के बाद टलें या कोई तारीख निश्चित कर दें कि फलां तारीख को चुनाव अवश्य होंगे, तो यह अधिक अच्छा होगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि हम मई में बैठें और जून में भी बैठें मगर जनता के लिए कोई ठीक चीज जरूर कर लें। इस पुराने जिला बोर्ड के बिल को खत्म करें। यदि बहुत बड़ी चीज जनता के लाभ के लिए आये तो हम रात को भी बैठ सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जापान में पार्लियामेंट २, ३ बजे रात तक कभी-कभी बैठती है। अगर यह मालूम हो जाय कि सरकार कोई जिला कौंसिल या जिला डेवलपमेंट कौंसिल की शक्ल में नया बिल ला रही है और उसके लिए टाइम नहीं है तो उस ज्यादा काम को करने के लिए इस आदरणीय सदन के जितने माननीय सदस्य हैं वे ८ बजे रात तक बैठने के लिए तैयार हैं और इस चीज को पास कर सकते हैं। अगर सरकार चाहती ह तो वह इस बिल में बहुत बड़ी चीज लाकर विरोधी पार्टी को भी खुश कर सकती है। इसलिए सरकार चुनाव जल्दी कराने की कोशिश न करे। कोई नई चीज लायें, जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी न यहां पर अपने शब्दों में कहा था कि बहुत बड़ी चीज आने वाली है और जो यह पुरानी चीज है जिससे जनता ऊब चुकी है यह दूर होगी। इस संशोधित बिल से जनता का बहुत लाभ होने वाला नहीं है। जनता को मालूम है कि सरकार कोई नई चीज लानेवाली है। उसके लिये जो भी आप काम करेंगे उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को ड्राप किया जाय और कोई काम्प्रहेन्सिव बिल लाया जाय जिससे जनता की आशा, जो उसने लगा रखी है वह, पूरी हो सके। इस इन्टरिम पीरियड के लिए जब तक चुनाव नहीं कराये जाते हैं तब तक जो जिला नियोजन समितियां, या जिस कमेटी को सरकार उचित समझे, उसके हाथ में यह बोर्ड का काम दे दें और वह एड हाक कमेटी के रूप में काम करें। जल्द से जल्द सरकार नया बिल लाकर जिला कौंसिल या डेवलपमेंट कौंसिल का निर्माण करे। यदि सरकार इस चीज को करती है तो मैं समझता हूं कि जनता का बहुत बड़ा कल्याण होगा। यदि हम इस समय चुनाव नहीं करा पाये और कोई नयी चीज ले आयें तो इससे सरकार पर कोई दोष नहीं आता है। १० साल से चुनाव नहीं हो सके तो इस पीरियड में अगर ७,८ महीने की देर और हो जाय और सरकार कोई नयी चीज ले आये तो यह उचित ही है। यदि सरकार इस तरह से कुछ करे तो इसके लिए हम सबकी ओर से सरकार को धन्यवाद है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बहुत गौर से माननीय मुक्तिनाथराय जी की बातें सुनी, कुछ और माननीय सदस्यों की बातें भी सुनीं। इस बिल को मैंने भी पढ़ने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी बातों को कहने में जरा स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट होते हुए अगर सही बात कही जा सकती हो तो उसके कहने की चेष्टा होनी चाहिए। यह जो उद्देश्य और कारण लिखा हुआ है, मुझे शिकायत है, यथार्थ कहने में मुझे संकोच लगता है कि माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने मेरी गवाही दी और उन्होंने कहा कि ये बहुत सड़े हुए जो बोर्ड्स हैं, पिछले १० वर्षों से जनता के ऊपर लदे हुए हैं, अब उसमें मैं यह जोड़ता हूं कि सचमुच इस वक्त उन बोर्ड्स में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

सुगन्धि नहीं आ रही है, बल्कि दुर्गन्धि आ रही है और लोग चाहते हैं कि उस से जल्दी पिंड छड़ावें। मुक्तिनाथराय जी ने जो अभी कहा, मैं नहीं समझता कि यह इल्जाम किसके ऊपर है। क्या यह इल्जाम विरोधी दल के ऊपर है कि उनको खुश करने के लिए क्यों बोर्ड्स के चुनाव इस वक्त कराये जांय? दोनों बातें उन्होंने कहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, कनक्लूजन में आदमी कभी-कभी सही बात कह ही जाता है।

अब मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने सन् १९५२ में चुनाव नहीं कराया और १९५८ तक उस से बोर्ड्स वाले मजा लेते रहे, अब सरकार को कहते हैं कि वह गल्ती कर रही है कि इस वक्त चुनाव करा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधान में संशोधन हो सकता है। विधान बनने के बाद और आज तक अनेक बार कहा गया लकिन इस छोटे से विधेयक को लाने में सरकार को बड़ी कठिनाई थी। वह इसे नहीं ला सकती थी और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर ऐसा असाधारण बोझ था कि उस बोझ को लेन में उस इतनी दिक्कत पड़ी कि वह संशोधन नहीं कर सकती थी। अगर वह संशोधन नहीं कर सकती थी तो, जैसा कि मैंने निवेदन किया, वह आर्डिनेंस ला सकती थी। अभी कोई आर्डिनेन्स यह सरकार ऐसे लावे, जिसका स्वागत इस तरफ़ से भी हो और मैं यह कहने का दावा रखता हूं कि कुछ एकाध आर्डिनेंस ऐसे आये हैं जिनका स्वागत इस तरफ से भी किया गया है। हां, बहुत से आर्डिनेंस ऐसे आते हैं जिनका सिद्धान्त के तौर पर हम विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा आर्डिनेंस अगर आया होता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव करान हैं, और केवल हमको इस प्रक्रिया की आवश्यकता है जिस से हम चुनाव करा डालें तो मैं समझता हूं कि इधर के बैठनेवाले हमेशा उसका स्वागत करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब नहीं किया गया तो सोचने की बात यह है कि सन् १९५२ से १९५८ तक, ६ वर्ष, चुनाव क्यों नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट है इसको मुझे भी पहले पहल पढ़ने का शौक हुआ कि मैं पढ़ डालूं और मैंने बड़ी मेहनत से इसको रात भर पढ़ा। यह २०० दफाओं का जो ऐक्ट है, उसको मैंने पढ़ा तो देखा कि इस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो देखने में मुझे बड़ी भली लगीं। हो सकता है कि इस ऐक्ट में कहीं बुरी चीज भी कोई हो, लेकिन वह ऐक्ट मुझे भला लगा। हां, एक बात जरूर है कि सरकार के ऊपर कुछ जिम्मेदारी इसमें दी गयी है। सरकार की यह जिम्मदारी है कि इस ऐक्ट में जो उसकी ड्यूटीज दी गयी हैं, उनको वह पूरा करे। अगर बोर्ड्स अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो सरकार का यह फर्ज है कि वह ऐसे बोर्ड्स के विरुद्ध कार्यवाही करे।

शिकायत यह है कि ऐसी ड्यूटीज जो सेक्शन ९१ और ९२ में दी हुई हैं, उनको माननीय सदस्य पढ़ लें, उन ड्यूटीज को पूरा करने में बोर्ड्स हमेशा पीछे रहे, और इसलिए पीछे रहे कि वे राजघराने के रहे हैं। और जब राजघराने के हैं तो, "सैयां भये कोतवाल, अब डर काहे का" उनको कोई डर तो था नहीं। राजघराने के होने की वजह से उनको कोई खौफ तो था नहीं, कि हम अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे तो हमसे कोई जवाब पूछेगा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो ड्यूटी इस में दी हुई है, ९१ में ड्यूटी है और ९२ में वालंटरी है, इनमें एक यह भी ड्यूटी है कि वह सिंचाई का बन्दोवस्त करें, पानी पीने के लिए कुओं का बन्दोबस्त करें, विपत्ति में लोगों की मदद करें और लोगों को जिलाने की व्यवस्था करें। मैं नहीं जानता कि इसमें, यह जितनी भी चीजें दी हुई हैं, उन पर कभी भी किसी जिला बोर्ड ने सूबे में काम किया हो। बावजूद इसके कि बड़े-बड़े मर्ज फैले हैजा हुआ, चेचक का प्रकोप हुआ, महामारी फैली, लेकिन कभी भी जिला बोर्डों ने कोई काम ऐसा नहीं किया और वे अकर्मण्य रहे। कभी सरकार ने किसी बोर्ड के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और इस जुर्म में कभी भी मेम्बर या प्रेसीडेंट को नहीं निकाला गया। मैं जानता हूं कि कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में कभी नहीं की गयी।

माननीयदुबे जी ने कहा और इतने माननीय सदस्य जब एक बात को कह रहे हैं तो अवश्य उसमें कोई तत्व समझना चाहिए। यह तत्व रहित बात नहीं है, हो सकता है कि हम थोड़ा बढ़ाकर कहते हों, हमारा कहने का ढंग ऐसा हो कि जिससे मालूम हो कि बढ़ाकर कह रहे हैं, लेकिन इस में सन्देह नहीं है कि जो उनकी ड्यूटीज और फंक्शन्स दिये हुए हैं, उनको न पूरा करने के इल्जाम में कभी किसी प्रेसीडेन्ट या मेम्बर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि एक काम्प्रिहेन्सिव बिल आये, मैं यह नहीं कहता कि किसी ने यह २०० पन्ने का ऐक्ट पढ़ा न होगा, सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात तो शायद सरकार भी स्वीकार कर रही है, वह वहां जायगा, लेकिन इस में देर करने की क्या जरूरत है? अगर चुनाव बजाय मई के मार्च में कराये जायें और उसके लिए यदि कोई यत्न हो सकता है तो वह यत्न अब भी हो सकता है। मई में गर्मी बहुत होती है, फसल कटती है, शादियां भी उसी समय होती हैं, किसान की उस परेशानी को भी देखना होगा। मैं आगे की बात नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूं कि मई से पहले ही चुनाव होने चाहिए। रिपोर्ट तो तीन दिन के भीतर भी आ सकती है, जैसा कि श्री पद्माकर लाल जी ने कहा था। मुझे मालूम है कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भी इस बात को पत्र लिखकर भेजा है कि इस विधेयक को जल्द से जल्द पास कराने की चेष्टा की जाय और इसके लिए वह सेलेक्ट कमेटी में स्वयं रहेंगे, इसलिए कि वहां पर उपस्थित रहकर, लोगों को समझाकर पास करा सकें। मैं नहीं समझता कि काम्प्रिहेन्सिव कोई चीज आने वाली है। सरकार को उसे स्पष्ट करना चाहिए कि मौजूदा बोर्डों को कबतक काम करते रहने देना मुनासिब है। हम चाहते हैं कि धन का अपव्यय न हो, लेकिन मुझ ऐसा लगता है कि इस अवधि में शायद कोई दूसरी रूपरेखा तैयार न हो पायेगी और साल भर में तैयार भी हो तो अवधि के मुताबिक काम करने देने का इरादा कर लेना चाहिए और जो अधिकार सरकार बोर्ड को देना चाहती है, वह इसमें न हों तो अलग से कोई संशोधन विधेयक लाकर उन्हीं बोर्डों को दे सकती है। इस विषय में तो सरकार को अपना माइन्ड मेक-अप कर लेना चाहिये।

मामला चुनावों के विधान का है, क्योंकि यह विधेयक चुनाव के विधान का विधेयक है। अगर चुनाव के विधान में भी सरकार ने अपना मत निश्चित नहीं किया है तो यह कठिनाई की बात है। इसको दूर करने के लिए मैं समझता हूं सरकार को फौरन निश्चय करना चाहिए कि जो नया बोर्ड चुना जायगा वह अगले तीन चार वर्षों तक अवश्य काम करेगा। हमारे कुछ माननीय सदस्यों को भ्रम हो रहा है कि आखिर सरकार और जनता का पैसा खर्च होगा। उसके बाद यदि एक वर्ष या दो वर्ष के लिए बोर्ड बने तो जरा मंहगा पड़ेगा। इसलिये इसको अपनी अवधि तक काम करने देने का इरादा आज ही कर लेना चाहिए।

दो एक और बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर बोर्ड की रीढ़ कही जाय तो वह प्राइमरी के अध्यापक हैं। इन प्राइमरी टीचर्स के प्रति सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, इत्तिफाक से हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर दोनों आज एक जगह बैठे हुए हैं। खैर, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सरकार ग्रांट देती है। अगर मैं यह कहूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सरकार बे जाने अनजाने बदनाम करने के लिए कुछ काम किया तो जरा इसको सोचें कि ऐसा हुआ है या नहीं। सरकार ग्रांट देती है लेकिन ग्रांट देने में, २ महीने, ४ महीने, ५ महीने और कभी-कभी ६ महीने तक की देर हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि जो गांव-गांव में हजारों प्राइमरी टीचर्स फैले हुए हैं, ६-६ महीने तक बोर्ड उनको तनख्वाह नहीं दे पाते।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं कि २ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो जारी रखिये ।

श्री गेंदासिंह--मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार ने ढील दी है। इसलिए हमारे बोर्ड बदनाम हुए हैं। उन बोर्डों को बदनाम करने में राजघराने वालों का बड़ा भारी हाथ यह है कि अध्यापकों को मौके पर तनख्वाह नहीं मिल पायी ।

दूसरी बात, बोर्ड की इमारतों की दुर्व्यवस्था है । इसके लिए सरकार ने कोई चेष्टा नहीं की। बोर्ड उनमें काम करते बैठे रहे। बोर्ड यह जरूर करते हैं कि गांव के ईंटों के भट्टों पर टैक्स लगा देते हैं। लेकिन जिन साधनों से वह धनराशि ले आ सकते हैं उसके लिए उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की। मैं समझता हूं कि सरकार का काम था कि बोर्डों को सुझाव देती, इस ऐक्ट में जो और साधन पड़े हुए हैं, जिनसे वह धन ला सकते हैं, वहां से धन लाकर बोर्ड की इमारतों को नष्ट-भ्रष्ट होने से बचा सकते थे ।

सरकार समय से ग्रांट देकर अध्यापकों को समय से तनख्वाह दिला सकती थी, यह काम नही किया। जो विकेन्द्रीकरण की योजना है, उस पर सरकार एक बार सोचे। किसी मिनिस्टर का कुसूर इस में नहीं है। मैं सारी कैबिनेट को कह रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसा बोर्ड है जिसको मुक्तिनाथराय जी ने कहा कि सड़ी हुई चीज है। यह जिम्मेदारी सरकार की है ।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि बोर्ड के अध्यापकों को इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह जरूर किया जाना चाहिए। यह मैं एक सुझाव की शक्ल में कहता हूं और सरकार को इसका इरादा कर लेना चाहिए कि भरसक मार्च तक, नहीं तो अप्रैल के पहले पहले बोर्ड का चुनाव अवश्य करा देना चाहिए ।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

गणपूर्ति के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष की चेतावनी

श्री उपाध्यक्ष--कोरम के सम्बन्ध में मैं सरकारी पार्टी के सचेतकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि परम्परा के अनुसार यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी सदन में कोरम हो जाय। इधर कई दिनों से देखा जा रहा है कि ८-८,७-७ मिनट की देर हो जाती है। अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो हो सकता है कि मुझे सदन को दूसरे वक्त के लिए ऐडजर्न कर देना पड़े। इसलिए भविष्य में कृपा करके गवर्नमेंट पार्टी के सचेतक इस सम्बन्ध में सावधानी बरतें ।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी उत्तर-प्रदश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक के सम्बन्ध में एक संशोधन था, जिसके द्वारा मैंने विधेयक को प्रवर समिति में जाने की, उसको ४ दिन तक रखने तथा उसकी परिधि बढ़ाने की मांग की थी। मगर श्रीमन् ने यह आदेश दिया कि जो उसके पहले संशोधन आये थे उनके ऊपर बहस होगी। तो मैं माननीय पद्माकरलाल जी का जो संशोधन परिधि बढ़ाकर तीन दिन के अन्दर सदन में रपट देने का है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं आदरणीय सदन के सदस्यों का ध्यान इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में जो कुछ लिखा गया है, उसकी ओर लाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि ". . . . तथा संशोधित योजना को कार्यरूप में लाने में कुछ समय लगेगा

. . . . . "। मेरा एतराज इस 'कुछ' शब्द पर है। १० वर्ष पहले यह बोर्ड बने। ५२ में चुनाव कराना चाहिए था मगर 'कुछ' शब्द की पूर्ति आज १९५८ तक न हो सकी। मेरा निवेदन है कि मंत्री जो इस किस्म का कोई विधेयक लायें तो उद्देश्य और कारण में इतनी निश्चित बातें जरूर रखनी चाहिए जिनसे हम सदस्यगण यह समझ सकें कि किन उद्देश्यों को लेकर एक विशिष्ट विधेयक सदन में लाया जाता है और लाया गया है। जहां तक मैं समझता हूं, इस विधेयक का उद्देश्य केवल चुनाव प्रणाली में चुनाव सम्बन्धी कुछ धाराओं का इधर-उधर रद्दोबदल करने के लिए ही है। मगर जहां तक बोर्ड का सवाल है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिये था। यह उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट १९२२ में बना। उस समय बना जिस समय हमारे देश में आजादी की लड़ाई का नेतृत्व हमारे बापू जी कर रहे थे। उस समय जो यह ऐक्ट हमें अंग्रेजों ने दिया केवल हमें भुलाने के लिए दिया और दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि यह लोग स्थानीय निकायों का प्रबन्ध नहीं कर पाये। इसलिए इसमें इतनी काली धारायें जोड़ दी जायं कि हिन्दुस्तानी लोग इनका प्रबन्ध न कर पायें, वे नालायक साबित हों और दुनिया में कहें कि यह लोग स्थानीय निकायों में भी असफल रहे। मुझे आश्चर्य है कि सन् १९४७ में आजादी मिली और सन् १९५० में विधान लागू हुआ मगर आज तक प्रदेशीय सरकार का ध्यान इस काले कानून को बदलने का नहीं हुआ। जैसा हमारी पार्टी के नेता ने, श्रीमन्, कहा सदन में, हम तो चाहते हैं कि यह जिला परिषद् का रूप ले और उस परिषद् के हवाले स्थानीय पुलिस विभाग कर दिया जाय और प्रदेश के राजस्व की एक-चौथाई आमदनी इनको खर्च के लिये दे दी जाय। हमारा उद्देश्य बहुत लम्बा है। अभी माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने कहा कि विरोधी पक्ष को खुश करने के लिए सरकार यह विधेयक ला रही है। मैं अपने दोस्त से यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह अगर खुश करने का सवाल होता तो सन् १९५२ के बाद ६ वर्ष बीत गये और इस प्रक्रिया को पहले ही हमारे मंत्री जी इस्तेमाल किये होते। खुश करने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा यह कहना है कि सरकार अब फंस गयी है। बिलकुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के संशोधन के सिलसिले में फंस गयी है। सरकार न कौंसिल बना पाती है न ही चुनाव टाल पाती है। अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्नोत्तर के समय जैसा बताया कि कुछ ऐसी आशा है कि मई में चुनाव हो सकेंगे। मुझे भी शक है कि उन साथियों के साथ मैं भी शक कर रहा हूं कि पता नहीं मंत्री जी इस भ्रमजाल से आगे निकल पायेंगे या नहीं।

मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि उधर जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उनकी भी यह निश्चित राय सी है कि इस जिला बोर्ड ऐक्ट में आमूल परिवर्तन हो। कोई भी इस सदन का माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो यह न चाहता हो और शायद माननीय मंत्री जी भी जरूर चाहते होंगे कि इसमें आमूल परिवर्तन हो जैसा कि उद्देश्य और कारण में उन्होंने लिखा है। सरकारी पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि आमूल परिवर्तन तो हो, लेकिन बोर्ड का चुनाव इस समय न कराया जाय। हम क्या चाहते हैं ? हम तो चाहते हैं, जैसा कि हमारे उपनेता ने सरकार को लिखा था कि एक मिनट भी इस सड़ी लाश का रखना बरदाश्त के बाहर की चीज है। क्यों रहें यह ? यह कहां का जनतंत्र है ? मुझे खयाल है अमेरिकन वार आफ इंडिपेंडेंस में, जो सन् १७८७ में शुरू हुई उसका यह एक बहुत बड़ा स्लोगन था, नारा था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में नहीं है तो हम टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किये जा सकते। मगर यह बोर्ड जिसमें लिमिटेड फ्रैंचाइज रहा, जिसमें कम्यूनल फ्रैंचाइज रहा, जिसमें बालिग मताधिकार के आधार पर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था, उस बोर्ड को जनता पर कोई टैक्स लगाने का कतई अधिकार नहीं था। यदि ऐसा हुआ है, श्रीमन्, तो मजबूरी है। हम लोगों के पास पैसे की कमी है, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट में हम इस मसले को लेकर जाते तो अवश्य हमें वहां इस पर कुछ रोशनी मिलती। आज भट्ठे वाले लोग लगातार पिछले ६ सालों से परेशान किये जा रहे हैं, उनको परेशान करने का कोई हक इनको नहीं था। हिन्दुस्तान की आजादी में एक बहुत बड़ी चीज हमें मिली है, बालिगमताधिकार। प्रदेशीय सरकार का यह फर्ज होता था कि केन्द्रीय सरकार को इस बात में राय देती कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

[श्री उग्रसेन]

ऐक्ट ऐसा है जिसमें कि बालिगमताधिकार नहीं है, जिसमें हमारे जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अनुसार इसमें काम करने की सुविधा नहीं है, इसलिए इसमें जरूर तब्दीली होनी चाहिए । लेकिन यह चीज नहीं हुई, यह बात बहुत खल गयी ।

मैं इसकी दो तीन धाराओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक धारा है इसकी ३९(१) जिसमें बोर्ड के चेयरमैन साहब को यदि नोटिस मिलती है और उस नोटिस के बावजूद वह सीट खाली नहीं करते हैं, तो सरकार उनसे जवाब मांगती है और उनका जवाब आने पर सरकार जो फैसला कर दे वह 'शैल बी फाइनल', यह शब्द उसमें है । इस ३९(१) में बहुत ज्यादा अधिकार सरकार को दे दिया गया है । इससे हमें सेंट्रलाइजेशन की बू आती है, केन्द्रीकरण की बू आती है और संविधान के अनुसार किसी भी शासन को बहुत ज्यादा अधिकार, असीमित अधिकार नहीं देना चाहिए । तो ३९(१) में आमूल परिवर्त्तन होना चाहिये।

दूसरा सेक्शन इसमें है, श्रीमन्, १४(ई)—

"No Civil Court shall have jurisdiction to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll of a constituency."

यानी किसी सिविल कोर्ट को कोई राइट नहीं है, अगर किसी मतदाता का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा अपील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां हो सकती है । मेरी यह राय है कि जुडिशियल कोर्ट स को, मुंसिफ को जजेज को यह अधिकार होना चाहिए, प्राविजन होना चाहिये कि इस संशोधन विधेयक के मुताबिक हम उन तक अपनी चाराजोई कर सकें ।

आज सारे प्रदेश में जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव का सवाल उठा हुआ है । सोशलिस्ट पार्टी लगातार इस बात की मांग करती रही है कि दोनों को अलग कर दिया जाय । चुनाव के सिलसिले में नायब तहसीलदार, तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां अपील हो सकती है, यह ठीक नहीं है । मेरा सुझाव है कि उसकी अपील सिविल कोर्ट स में जानी चाहिए । इससे हमारे मतदाताओं को काफी सहूलियत मिलेगी और हमें सही मानी में न्याय मिल सकेगा।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है । जैसा कि मैंने कहा, यह ऐक्ट बहुत पुराना है और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी योजना के अन्तर्गत आती हैं । माननीय गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि बोर्ड हमारी प्लानिंग के बहुत से काम कर सकता था । यदि ६ वर्ष पहले इन बोर्ड स को ठीक तरह से बना कर यह विधेयक पेश किया गया होता तो मैं समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बोर्ड स काफी काम अपने जिले में कर सकते । नहीं कर पाये तो क्या बोर्ड स के चेयरमैन या सदस्यों की जिम्मेदारी है ? नहीं, सरकार की खुली जिम्मेदारी है । एक मिसाल है तालाब के किनारे घोड़े को ले जाया जा सकता है, किन्तु उसे जबर्दस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। रोज सरकार से मांग करें, रोज प्रश्न करें, लेकिन सरकार सही मानी में कार्य न करे तो हमारे सामने दूसरा चारा नहीं है ।

एक और चीज यह है, जिसको कि हमारे नेता ने भी कहा है कि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, लेकिन गोरखपुर-देवरिया में क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में जनसंख्या का कोई आधार नहीं लिया गया है । जिला बटने के पहले वहां ८० के करीब सीटें थीं और जब गोरखपुर का जिला दो हिस्सों में बटा, देवरिया और गोरखपुर में, तो सीटें आधी-आधी कर दी गयीं। बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या कम है, लेकिन सीटें ज्यादा हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वे निश्चित रूप से इसकी सफाई कर दें और जो न्याय बस्ती, बहराइच, आजमगढ़ व गोंडा को मिल रहा है, वह गोरखपुर और देवरिया को भी मिलना चाहिए।

एक निवेदन यह भी करना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बहुत से साधन हैं, जिनका इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष लोग किया करते हैं । एक प्रश्न इस आदरणीय सदन के सामने आया

था कि जिला बोर्ड की गाड़ियां ले ली जायं । पता नहीं वे गाड़ियां ली गयीं या नहीं । इस विधेयक के निकलते-निकलते अगर तत्काल बोर्ड भंग नहीं हुआ और गाड़ियां नहीं ली गयीं तो सेक्रेटरी साहब, कर्मचारी लोग, सरकारी पार्टी की तरफ से चुनाव में लग जायेंगे । इंग्लैंड में चुनाव होते हैं तो पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाता है । सोशलिस्ट पार्टी भी बराबर मांग करती है कि जब चुनाव हो तो जो संस्था पावर में हो वह उस बीच के समय के लिये हटा दी जानी चाहिये । हमें शक है कि चुनाव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के साधनों को सरकारी पार्टी, जो पिछले दस सालों से महन्ती करती चली आ रही है, अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी ।

जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है, मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है । उन बेचारों की बड़ी दयनीय दशा है । मैंने पढ़ा कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा मंत्री जो खुले आसमान में पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों की पढ़ाई ज्यादातर खुले आसमान में ही अब तक होती थी । जो लोग बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहां जितने स्कूलों की इमारत गिर गयीं, वह आज तक नहीं बनीं और उनको बनवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई । आज शिक्षा विभाग ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों में शिक्षा के लिए कोई तरमीम की या नहीं की, इसका मुझे पता नहीं, किन्तु १९२६ में प्राइमरी एजूकेशन की शिक्षा के लिये यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एजूकेशन ऐक्ट बना था । अब प्राइमरी शिक्षा जो जिला बोर्डों के अन्दर दी जा रही है, अगर यही निकम्मी शिक्षा रही तो हमारी जो साक्षरता है, वह वैसी ही निकम्मी रहेगी, नहीं के बराबर रहेगी और उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती । इस प्रजातंत्र के युग में जब कि हम दुनिया के सामने प्रजातंत्र का एक नक्शा रखना चाहते हैं, उस में हम कतई सफल नहीं होंगे अगर इन संस्थाओं में कोढ़ और खाज की बीमारी रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आमूल परिवर्त्तन करके बोर्ड को भंग कर दें, एक मिनट की देरी न करें और मैं समझता हूं कि सरकारी पार्टी के लोग भी शायद यही चाहते हैं।

श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जिलाबोर्ड (संशोधन) विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हालांकि इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का आमूल परिवर्तन करना चाहिये था, लेकिन हम सभी लोग समझते हैं कि कुछ ऐसे कारण हैं कि पूरे तरीके से इस समय एक्ट का परिवर्त्तन नहीं हो सकता। यह जो बिल आया है इसमें ३-४ छोटे मोटे संशोधन हैं । जहां पर हरिजन सीटों का विषय है वह सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे चुनाव प्रणाली के विषय में यह कहना है कि अभी हाल में म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया इत्यादि में चुनाव का तरीका देखा । मेरी यह राय है कि जो कुछ मैंने देखा सुना, मुझे पसन्द नहीं है । मैं चाहता हूं कि १९५६-५७ में जो विधान सभा के चुनाव में तरीका बरता गया है, वह अधिक अच्छा है । यह मैं अपनी राय प्रकट कर रहा हूं ।

मेरे साथियों ने बार-बार दुहराया है कि चुनाव शीघ्र होने चाहिये । मेरी तो यह राय थी कि अगर बजट सेशन न होता तो चुनाव और जल्दी हो सकते, वह ज्यादा अच्छा था । मेरे साथी समझते हैं कि जिला बोर्ड चुनाव में इमदाद करेगा । बात सही हो सकती थी, लेकिन वह बात नहीं है । मैं सन् १९४८ में जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट चुना गया था, सन् १९५२ में मुझे किसी कारण से अलग होना पड़ा । मुझे जो तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि बोर्डों के पास कोई दूसरा काम नहीं है । आप जानते हैं कि बोर्डों की आर्थिक हालत इतनी गिरी हुई है कि उनके पास कोई काम-धाम नहीं है । अगर कुछ है तो अध्यापकों, पाउंड कीपरों का तबादला कराना और एकाउंट वगैरह का काम, बस इतना ही काम है । यहां जो यह बात आप लोगों ने कही कि अध्यक्ष को सुरक्षित रखना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो बोर्ड के मेम्बर चुने हुए आये हैं और अध्यक्ष पब्लिक का चुना हुआ आदमी है, तो मैं कह रहा हूं कि मेम्बर भी तो पब्लिक के चुने हुए आदमी हैं । १० दिन में अगर आप चुनाव कराना चाहते हैं तो उनको इस बीच में निकाल देना, यह उनका बड़ा अपमान होगा । मैं भी चाहता हूं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो ।

[श्री शिवराजबली सिंह]

दूसरी बात यह है कि अगर १० वर्ष न हो गये होते और आर्थिक हालत अच्छी होती तो सम्भव है कि बोर्ड कांग्रेस दल की इमदाद कर सकते । लेकिन आज तो अध्यापकों का वेतन ४–४ महीने का पेंडिंग है और भी ऐसी कई चीजे हैं जिनसे मालूम होता है कि बोर्डों की अच्छी हालत नहीं है ।

मैं अपने तजुर्बे के आधार पर बतलाता हूं कि बगैर मेम्बरों की इच्छा के अनुकूल प्रेसीडेंट नहीं चलता । तो उसकी हालत ऐसे खतरे में है कि जो उसके अन्दर है वही जान सकता है । यदि वह ईमानदारी से काम करे तो संकट मोल ले या फिर मेम्बरों की मनमानी होने दे । जो मेम्बर सरकश हैं या गुट बनाये हुए हैं, उन्हीं का काम होगा और कुछ नहीं होगा । जैसे वह चाहेंगे उसी तरह से बोर्ड का काम होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला बोर्डों को आप स्वतंत्र रखिये । जिलाधीश और कमिश्नर का बोर्ड से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए । उनका कोई असर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स क ऊपर नहीं रहना चाहिए, यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि इन लोगों का काम यह है कि जब इच्छा आई कार उठायी और लोगों को परेशान किया । इसलिए हम चाहते हैं कि जिला बोर्डों को जिलाधीश के अन्तर्गत न रखा जाय । मेरे कहने का मतलब यह है कि बोर्डों को जो भंग करने की तरकीब सोची जा रही है यदि इनको पहले से भंग किया गया होता तो हमें अवश्य कामयाबी होती, लेकिन इस समय इनका भंग किया जाना ज्यादा अच्छा नहीं होगा । अगर मेम्बर्स अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायें तो उस पर अच्छी तरह से गौर किया जाय । अगर अध्यक्ष ने गबन वगैरह किया है तब तो बात दूसरी है नहीं तो जिलाधीश को छोड़कर किसी अन्य अधिकारी को यहां से भेजा जाय तो उसकी पहले तहकीकात करायी जाय और उसके बाद अविश्वास के प्रस्ताव पर कुछ कार्यवाही की जाय । सीधे उनके प्रस्ताव पर कार्यवाही करना कुछ उचित नहीं होगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अध्यक्ष की हालत ऐसी है कि मेम्बरों की रुचि के अनुकूल उसे कार्य करना पड़ता है । मैं कांग्रेस की तरफ से बोर्ड का चेयरमैन चुना गया था । मुझे कचहरी में बुलाया गया । मुझ से कहा यह गया था कि मुकदमा नहीं होगा केवल आपको बुला रहे हैं वहां जाकर मैंने देखा कि मुकदमें हो रहे हैं और मेम्बरों से और हम से बयान लिये जायेंगे तो मैं वापस चला आया । कई बार वह मोटर मांगी गयी । हो सकता है कि उस समय के जिलाधीश सुन्दर रहे हों और नेक रहे हों और ऐसी बातें न होती हों । बाद में मुझसे न मोटर मांगी गयी और न मुझे अदालत में बुलाया गया । लेकिन मैंने मोटर नहीं दी न गवाही तलब की गयी । इसलिये आप से कह रहा हूं कि जिला बोर्डों को स्वतंत्र रखा जाय और जिलाधीश के मातहत न रखा जाय । इतना कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से यहां बहस चल रही है । मैं गौर से एक एक अक्षर सुनता रहा हूं । जो बातें कही गई हैं, वह मुझे नहीं कहनी हैं । मैं तो केवल एक दो नये सजेशन्स सदन के सामने रखूंगा । एक तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के लिए इस संशोधन में कोई एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स नहीं रखी गई हैं । मेरी राय यह है कि या तो एजूकेशन विभाग को डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से अलहदा कर लिया जाय और अगर रखा जाता है तो यह बहुत जरूरी है कि चेयरमैन की कोई न कोई एजूकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए । आज तक एजुकेशन के मामले में यह होता आया है कि दोहरी सरकार चलती है । एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स अपनी हुकूमत चलाते हैं और दूसरी तरफ चेयरमैन अपना राज्य चलाता है । इन दोनों के झगड़े का नतीजा यही होता है कि अध्यापकों और पढ़ने वाले लड़कों का नुकसान होता है । सब से ज्यादा विक्टिमाइज डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में अध्यापकों को किया गया है । अध्यापक को ५–५, ६–६ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है और पार्टी पालिटिक्स के आधार पर उसका तबादला किया जाता है । अगर चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट

बोर्ड, के यहां जाकर देखा जाय तो सब से ज्यादा काम जो फैला हुआ है वह अध्यापक के तबादले का होता है। जो जिसके मातहत रहना पसन्द नहीं करता है, चाहे कोई मेम्बर हो, चाहे गांव का सरगना हो, चाहे कोई कांग्रेस वर्कर हो वह अध्यापक का तबादला कराता है और बेचारे अध्यापक की मिट्टी खराब की जाती है। वह बेचारा न अपने बच्चों को देख सकता है और न तालीम का काम ही ठीक से चला सकता है और इस संशोधन विधेयक में भी अध्यापकों के लिए कोई ऐसी तरमीम नहीं पेश की गयी है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर बन सकें या उनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा हो जाय या बोर्ड में कोई उनको अधिकार मिल जाय। यह सबसे बड़े शर्म की बात है। कम से कम हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के लिए तो मैं यह जरूर कह सकता हूं कि सब से कम अहित चिन्तन उनके द्वारा हुआ है। यहां की जनता के लिए उनका एटीचूड लीस्ट हार्मफुल रहा है। लज्जा की बात है कि जिसे हम राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, कौम का मेमार कहते हैं उस अध्यापक की तनख्वाह कप्तान पुलिस के घोड़े के भत्ते से भी कम है। उसकी हालत बहुत बुरी है और मौजूदा संशोधन में उसके सुधार के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। मेरी माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त है कि उसके तबादले के लिए सारे साल में एक तारीख मुकर्रर होनी चाहिए और कोई निश्चित प्रोग्राम होना चाहिए कि घर से ५–७ मील की ज्यादा दूरी पर नहीं भेजा जायगा।

इसके अलावा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए यह तय किया जाय कि वह पढ़ा हुआ हो, गुरुकुल का स्नातक हो या विद्यापीठ का पढ़ा हुआ हो या ग्रेजुएट हो। आज इस जनतंत्र के युग में एक अनपढ़ आदमी के हाथ में हजारों पढ़े लिखे आदमी खेलते हैं। बी० ए०, बी० टी० और एम० ए०, एल० टी० नवयुवक पढ़ाते हैं और दर्जा ४ पास आदमी जाकर उनका मुआयना लिखते हैं। जब विद्या, बुद्धि, प्रतिभा की यह हालत होती है और उसको इस तरह से कुचला जाता है तो समाज के अन्दर कभी गुण पैदा नहीं हो सकते। जिस समाज के अन्दर अनपढ़ों के हाथ में बागडोर आ जाती है वहां मानव धर्म शास्त्रकार का कहना है, "अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र प्रवर्त्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्" (मनुस्मृति), कि सूखा पड़ता है, जो कि पूर्वी जिलों में हो रहा है और उससे जनता के अन्दर एक दहशत और मृत्यु फैल जाया करती है। यह सबसे बड़ा अभिशाप हमारे जनतंत्र का है कि अनपढ़ आदमी के नीचे पढ़े लिखे लोग रखे जाते हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से महकमा तालीम को अलग कर दें या फिर चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, के लिए कोई एकेडेमिक क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। आज भी यदि हम कैरेक्टर और काबलियत की कद्र न करेंगे तो फिर कब वह वक्त आवेगा कि विद्वान् और सदाचारी लोग आगे बढ़ सकें।

'हजारों साल नर्गिस अपनी बे नूरी पै रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।'

दूसरे, बहुत गौर से देखने के बाद भी कहीं यह पता नहीं लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी की क्या क्वालिफिकेशन होगी। सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत ऊंची पोस्ट है। उसके नीचे जो टैक्स अफसर रहता है या जो म्युनिसिपैलिटीज में एक्जीक्युटिव अफसर रहता है या कोई भी ऐडमिनिस्ट्रेटर जिसका ताल्लुक लोकल बाडीज से होता है उसके लिए यह जरूरी होता है कि वह एल० एस० जी० डी० पास हो और ग्रेजुएट भी हो। लेकिन यहां सब धान २७ सेर है। जब सेक्रेटरी के नीचे के अफसर के लिए यह क्वालिफिकेशन रखी गयी हो तो यह जरूरी हो जाता है कि सेक्रेटरी के लिए भी कोई खास क्वालिफिकेशन, जिसमें एल० एस० जी० का डिप्लोमा हो, तय की जाय और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा शासन, जो स्वायत्त शासन है, वह सुन्दर तरीके से नहीं चल सकेगा।

बहुत कुछ देखने के बाद मैं यह नहीं समझ सका कि यह संशोधन विधेयक किस लिए लाया गया है। जैसा कल से कहा जा रहा है, प्लानिंग और एग्रीकल्चर के लिए दो दफाएं ९१ और ९२ बहुत काफी थीं। जहां तक फाइनेन्सेज की बात है उसके लिए टैक्सेज

[श्री यशपाल सिंह]

की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम टैक्स लगाते चले जायेंगे तो उससे गरीब तो मर जायेंगे और अमीर अपना पिंड छुड़ा लेंगे। एक गांव के रहने वाले को डबल टैक्स देना पड़ता है, एक पंचायत का और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। एक अध्यापक को, जो हैंड टु माउथ रहता है, जिसे एक घोड़े से भी कम तनख्वाह मिलती है, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। टैक्स लगा कर हम इस दिक्कत को हल नहीं कर सकते। इसको हमें बाकायदा रेवेन्यू में से चौथाई या पांचवां हिस्सा देकर पूरा करना होगा और उससे बोर्ड का इन्तजाम हो सकता है। जो मौजूदा संशोधन लाया गया है यह महज पोलिटिकल स्ट्रेटेजी है। उसमें इन बोर्डों का कोई हित नहीं किया गया है।

मेरी प्रार्थना है आपके जरिये कि हम सब पार्टी पालिटिक्स की बात छोड़ें। हम सब देश के हितैषी हैं। हम सब चाहते हैं कि देश की प्रगति हो और उसके लिये हम सब को मिल कर सोचना चाहिये। जो चेयरमैन और मेम्बर हैं वही चलते रहें इसके लिये ही चुनावों में १० साल की देर की गई है। यह जो शब्दाडम्बर किया गया है कि मई में एलेक्शन होगा वह इसलिये कि उस समय यह कहा जायगा कि लूएं चल रही हैं, गर्मी है, फसल उठ रही है, बरसात आ रही है, इसलिये यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन का प्रापर टाइम नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो आप निश्चय जानिये कि जनता का विश्वास जनतंत्र से उठ जायगा। आप १०, ५, २० साल तक इस तरह से हुकूमत चला सकते हैं। आप का कुछ फायदा हो सकता है, आपके जाती अगराज पूरे हो सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में आपका विश्वास बाकी नहीं रहेगा और जनता का हित आप सम्पादन नहीं कर सकेंगे। आप जानते ह और यह बात किसी से छिपी नहीं है और मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो वोट मांगे जाते हैं वह बन्दूक और रिवाल्वर के लाइसेंसों का प्रलोभन देकर मांगे जाते हैं, सीमेंट के परमिट की वजह से मांगे जाते हैं या बच्चों की नौकरी का लोभ देकर या मुकदमों में सिफारिश की वजह से मांगे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन आज सिर्फ इसलिये कहे जा रहे हैं कि आज जनता में यह साबित किया जाय कि हम क्या करें, हमने चाहा था कि हम संशोधन करें लेकिन संशोधन नहीं हो सका। यह मुखालिफ पार्टी वालों ने ही देर की। मैं मुखालिफ पार्टी वालों की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने तमाम संशोधन इसी वक्त वापस ले लेंगे बशर्ते कि आप एलेक्शन कल डिक्लेयर कर दें। आप एलेक्शन कराना नहीं चाहते और उसका बहाना हमारे ऊपर टालना चाहते हैं। यदि आप को जनता की और जनतंत्र की सही माने में सेवा करनी है तो अपने सामने गांधी जी का आदर्श रखिये। वह यह है कि किसी शख्स से हिन्दू मुसलमान के नाम पर वोट न मांगे जायं, बिरादरी के नाम पर वोट न मांगे जायं। लेकिन आज जहां जहां कांग्रेस टिकट देती है वहां वह बिरादरी को देखकर देती है। कायस्थ बिरादरी है तो कायस्थ को टिकट दो, राजपूत बिरादरी है तो राजपूत को टिकट दो और गूजर बिरादरी है तो गूजर को टिकट दो। मैंने यह संकल्प किया था कि मैं उस देवबन्द शहर से खड़ा होऊंगा जहां ७० प्रतिशत के लगभग मुसलमान हैं। मैंने इस चीज के लिये सात साल तक कोशिश की और मेरी आज सत्तारूढ़ दल से भी यही प्रार्थना है कि अगर आप सही मानों में जनतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो गांधी जी द्वारा बताये गये सेक्यूलरिज्म को पनपने दीजिये और पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठ कर मार्च में ही एलेक्शन कराइये। अगर आप की नीयत साफ है तो आप इसे डिक्लेयर कीजिये, हम अपने तमाम संशोधन वापस ले लेते हैं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं और जो संशोधन बिल आया है उसका समर्थन करता हूं। उसके उद्देश्य में एक विशेष बात दी गयी है जिसके लिये मुझे इस सदन में कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलने की उत्सुकता हुई। वह यह है कि उसमें हरिजनों के लिये सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गयी है। परन्तु जहां सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था का प्रश्न है वह सन् १९४८ के एलेक्शन में ही की गयी थी जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई। बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया के कर्मचारियों में इसकी पूर्ति के लिये हमारी सरकार ने हमारे बार-बार कहने पर भी जरा दृष्टिपात नहीं किया कि उसकी पूर्ति हुई है या नहीं। जितने माननीय सदस्य विरोधी दल के बोले या बहुमत दल के सदस्य बोले किसी ने भी इसकी ओर अपने वक्तव्य में इशारा नहीं किया और यह बात नहीं कही कि जहां यह सुरक्षित स्थान हैं वहां आज तक उन आफिसों में जो नियुक्ति होती है उन स्थानों में १८ फीसदी क्यों नहीं दिया गया। इसके लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है? जहां सुरक्षित स्थानों के लिये एक कानून बनाया उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि अब जो भी रखा जाय वह उन स्थानों में रखा जायगा और उनकी नौकरी की पूर्ति की जायगी।

दूसरी बात यह है कि जितने महानुभाव बोले किसी ने सड़ी गली चीज बताया और किसी ने और बुराई की और न जाने बोर्ड के लिये क्या-क्या कहा। मुझे दुख है कि अधिक संख्या में वे लोग बोले हैं जो शहरों में रहते हैं और जो बोर्ड के बारे में समझते नहीं हैं कि बोर्ड में होता क्या है। अगर बोर्ड अच्छा काम भी करता है तो विरोधी पार्टी उसको बुरा ही कहती है, क्योंकि उन्होंने इसी नीति को अपना लिया है। आजकल जितने बोर्ड हैं उनमें, किसी में, विरोधी दल का बहुमत नहीं है, इसीलिये वे उसका विरोध करते हैं। हमारा बहुमत है तो हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि सन् १९४८ से कितने स्कूल बोर्ड ने खोले हैं और कितनी सड़कें बनायी हैं और भी कितने अच्छे-अच्छे कार्य उन्होंने किये हैं। जब विरोधी पार्टी का एक भी सदस्य बोर्ड में नहीं है, तभी सिवाय बुराई के और कुछ उन्होंने नहीं बताया।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरा यह प्वांइट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य बीच बीच में 'आप' शब्द का प्रयोग बार-बार कर रहे हैं जो इधर विरोधी पार्टी को संकेत करके कहा जा रहा है जब कि यह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---'आप' शब्द अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये इस्तेमाल होता है।

श्री हरीसिंह---मैं, श्रीमान् के लिये ही उसको इस्तेमाल करता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जब विरोधी पार्टी का बहुमत इन बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर होगा तो आप जनता का हित नहीं कर पायेंगे।

जहां तक अध्यापकों की तनख्वाह की बात कही गयी है हमारी सरकार से जो सहायता मिलती है वह समय पर न पहुंचने के कारण २,३ महीने की देर हो जाती है और अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल पाती है। यदि ग्रांट समय पर पहुंच जाय तो बोर्ड सभी अध्यापकों को तनख्वाह समय पर बांट दे। मैं अपने जिले मेरठ का हाल बताऊं कि वहां पर प्रत्येक महीने में अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है। यदि ग्रांट समय पर नहीं पहुंचती है तो उनको मजबूरन २,३ महीने में मिलती है।

जहां तक चुनाव करने की बात है, मैं खुद इस बात को मानता हूं कि यदि जिला परिषद् बन जायं तो चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे प्रवर समिति में भेज कर विरोधी पक्ष के लोग चुनाव में स्वयं देर करना चाहते हैं। आप इसे आज ही पांच बजे तक पास कर दीजिये और देखिये कि बहुमत जल्द चुनाव कराता है या नहीं। प्रवर समिति में १ महीने में काम नहीं चला तो आप कहेंगे कि और समय बढ़ाया जाय, यह हम नहीं चाहते। यही मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो चुनाव ६ वर्ष पहले हो जाने चाहिये थे वे सम्भवतः अब इस मई में होने जा रहे हैं। उसके लिये यह बिल पेश किया गया है। सबसे पहले सवाल उठता है कि इन १० सालों तक चुनाव क्यों नहीं कराया गया। हो सकता है कि शासक पार्टी के दिमाग में यह बात भी रही हो कि बोर्डों के जरिये वे अपने को जिले के शासन-स्तर पर हमेशा हावी रखेंगे। लेकिन मेरी समझ में इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण यह रहा है कि पूरी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार दोनों के दिमाग में इस बात की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं रही कि जिले के स्तर पर प्रशासन की क्या रूपरेखा हो। जब तक इस सरकार और सरकारी पार्टी का लक्ष्य सर्वोदय समाज की स्थापना रहा तब तक तो यह केवल गांधीवादी विचारधारा की परिधि में घूमती रही और तब तक तो बहुत सम्भव है कि उन्हें कोई विशेष कठिनाई रही हो, लेकिन जब शासक पार्टी ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया तो मेरा खयाल है कि उन्हें दुनिया के इस मामले में, दूसरे समाजवादी राज्यों के शासनों से लाभ उठाना चाहिये, उनकी नकल करना नहीं है। यह न करके लक्ष्यहीनता, धुंधलेपन और अस्पष्टता का परिचय इस सरकार ने दिया है। जब उन्हीं के पक्ष की ओर से यह मांग की गई कि दिसम्बर के अन्त तक जिला कौन्सिल का बिल लाकर सरकार उसकी रूप-रेखा बतावे और दिसम्बर के अन्त के पहले चुनाव करावे तो भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बचन नहीं मिला। इस का अर्थ यह होता है कि अब भी सरकार के दिमाग में कोई निश्चित रूपरेखा इस बात की नहीं है कि जिले के पैमाने पर वह कैसे शासन चलाना चाहती है। इस बात की स्पष्ट छाया १० वर्ष में भी नहीं बन पाई तो इस सरकार की और इसके शासन में जनता की खुदा ही खैर करे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी अनुभव है और इस सदन में बार-बार कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आर्थिक हालत अत्यन्त दयनीय रहती है। वे सरकारी सहायता के ऊपर निर्भर करते हैं। जब वह भी अनियमित तरीके से मिलती है तो उनके काम पूरे नहीं हो पाते हैं। हम आशा करते थे कि इस विधेयक में उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिये भी कुछ ठोस प्रस्ताव होगा। यह सुझाव हम लोगों की ओर से आया है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। हर जिले की रेवेन्यू से आमदनी का चौथाई हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाय और चौथाई हिस्सा जिला बोर्डों को दिया जाय और आधा भाग सरकार के हाथ में रहे।

म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया इस विधेयक की परिधि से निकाले गये हैं। जहां तक शहरों का सम्बन्ध है, वह ठीक है और नोटीफाइड एरिया का भी हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन टाउन एरिया स्वतः देहाती क्षेत्र ही होते हैं और देहात से ही उनका गहरा सम्बन्ध होता है। उनकी परिधि छोटी होती है और आबादी भी थोड़ी होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि टाउन एरिया को इस चुनाव से अलग न किया जाय, खासतौर से इसलिये कि जिला कौंसिल की एक आधारशिला इन बोर्डों के चुनाव के जरिये ही स्थापित की जा रही है। इस कानून के मुताबिक कोई भी टाउन एरिया का रहने वाला व्यक्ति बाहर के किसी क्षेत्र से जिला बोर्ड के लिये चुनाव के लिये खड़ा भी नहीं हो सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

सरकार का विचार है कि हम लोग उस पर सन्देह न करें। हम किसी की नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से बरबस सन्देह करना पड़ता है। मार्च में चुनाव की बात कही गयी थी। किन्हीं कारणों से वह टाला गया। कारण तो हर चीज में मिल ही जाया करते हैं। मुझे याद है कि जब मुख्य मंत्री जी के निवास-स्थान पर विरोधी पक्ष के लोगों से बातचीत हुई थी तो उस समय यह बात स्पष्ट रूप से मुख्य मंत्री जी की ओर से कही गई थी कि मार्च में चुनाव जरूर हो जाने चाहिये और बहुत देर हो तो अप्रैल के आधे पखवारे में अवश्य ही हो जाने चाहिये। इससे

गर्मी का मुकाबला भी नहीं करना पड़ेगा और कौंसिल के आने के पहले नये बोर्डों के चुनाव हो जावें। यह बात वहां कही गई थी। लेकिन कौंसिल के चुनाव के बाद अब मई में यह चुनाव कराने की बात की जा रही है तो इस पर बरबस सन्देह होता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर सन्देह का निवारण करना है तो इसके दो ही तरीके हो सकते हैं या तो कौंसिल का चुनाव टाला जाय, जब सब चीजें टल सकती हैं, तो उसका भी उपाय निकाला जा सकता है कि कौंसिल के चुनाव को टाल दिया जाय और तब हमारा सन्देह नहीं होगा। हमारा विचार नहीं है कि हम सन्देह करें, किसी की नीयत पर सन्देह करना अच्छा नहीं होता है, न करने वाले के लिये और न जिस पर किया जाय उसके लिये। या तो कौंसिल के चुनाव को टालिये या जिला बोर्डस् को अविलम्ब भंग कीजिये, दो तरीके से ही हम लोगों के सन्देह को दूर किया जा सकता है।

जहां तक वोट देने की पद्धति का सवाल है, इस सम्बन्ध में काफी बातें कही जा चुकी हैं। मार्किंग सिस्टम एक माने में विशेषरूप में देखने में अच्छा सिस्टम है, सन्देह और शक की बात जो पहली पद्धति में थी, इसमें वह दूर हो जाती है। लेकिन एक बात का शक अब भी रहता है जो बड़ा ठोस है। वह यह है कि हाकिम लोग या पोलिंग आफिसर्स या जो अधिकारी वहां कार्य-संचालन करते हैं, वे हमेशा अपवाद की बात छोड़ दीजिये, सरकारी पक्ष के लोगों का समर्थन करते हैं। खास कर जिला बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में सरकार के बदलने का कोई सवाल तो होता नहीं है, आम चुनाव में तो इस बात की सम्भावना है कि सरकार बदल जायगी, तब तो कोई कर्मचारी भले ही निष्पक्ष रहे या विरोधी पक्ष की सहायता करे, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं लेता है और पक्षपात करना चाहता है तो वह निस्सन्देह जो सरकारी पक्ष के लोग ह उन्हीं की सहायता करता है। तो इस सन्देह को दूर करने के लिये कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा, जिससे यह मार्किंग सिस्टम भी रहे और साथ ही साथ कोई व्यक्ति अपना वोट गलत तरीके से किसी को न दे सके। यह हम लोगों का अनुभव मार्किंग सिस्टम के सम्बन्ध में है कि बहुत से अन्धे या अपढ़ भी वोट देने के लिये आते हैं, बहुत से बूढ़े या बूढ़ी औरतें भी आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी अपने हाथों से कलम, दावात या पेंसिल भी नहीं पकड़ी, उनको ठीक स्थान पर निशान लगाने में बड़ी दिक्कत पड़ सकती है, जहां पर कि वोट देने के लिये निशान लगना चाहिये। तो इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे मार्किंग सिस्टम के साथ-साथ जो यह साधार सन्देह है वह भी दूर हो जाय। श्रीमन्, एक दो जगह के चुनाव का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है और मैंने अपनी आखों से देखा है कि अधिकारियों द्वारा खुलेआम धांधली की जाती है। तो इस बात का निराकरण होना चाहिये, तभी हमारा सन्देह दूर हो सकता है।

अध्यापकों के सम्बन्ध में भी काफी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि हजारों अध्यापक जो जिला बोर्ड के अधीन स्कूलों में रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व जिला बोर्ड के अन्दर होना चाहिये, ताकि उनकी भी आवाज मजबूत तरीके से वहां पर प्रतिध्वनित हो सके। बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाने के अधिकार की बात भी इसी बिल में रखी गयी है इसमें फिर वही बात की गयी है, जो अधिकार सरकार अबतक अपने हाथ में रखती आयी है वह अधिकार इसमें भी रख रही है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि बोर्ड के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार सरकार को उसी हालत में हो जब कोई इंटरनेशनल इमर्जेन्सी हो, या कोई इंटरनल संकट का कारण हो, दोनों बातें हो सकती हैं, कोई वाह्य आक्रमण का डर हो, या देश के अन्दर कोई अन्दरूनी खतरा हो तभी यह अधिकार सरकार के हाथ में होना चाहिये: वरना आमतौर पर यह अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये। इस बात की व्याख्या धारा में स्पष्ट रूप से होनी चाहिये।

अध्यक्ष को हटाने की बात मुझे बहुत असंगत मालूम हुई। जब इस बिल में व्यवस्था की गयी है इस बात की कि मेजारिटी मेम्बर्स जिसको चाहेंगे उसी को अपना अध्यक्ष चुनेंगे, तो फिर उस हालत में अध्यक्ष के बारे में यह सोचना कि "president for

श्री झारखंडे राय]

habitual failure in performing his duties." यानी अगर अध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों के पालन में आदतन कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं नहीं जानता कि कौन ऐसी पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, या सोशलिस्ट पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, वह ऐसे अध्यक्ष को चुनेगी या रखेगी जिस पार्टी का बोर्ड में बहुमत है। जिस पार्टी का अध्यक्ष होगा वह कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो ऐसे प्रेसीडेंट को एक मिनट भी रहने देगी जो आदतन गड़बड़ी करे। ऐसा तो उसी वक्त समझ में आ सकता है कि जब बोर्ड किसी का हो, बहुमत किसी का हो और अध्यक्ष किसी का हो, जैसा कई जगहों पर हुआ है। उस तरह से ऐसा हो सकता है लेकिन जब बोर्ड के सदस्य अपने बहुमत से अपना अध्यक्ष चुनते हैं तो उस हालत में सरकार का क्या मतलब है? अगर अध्यक्ष गलती करता है, ऐसी गलती जो आदतन हो जाती है तो कोई भी बोर्ड होगा वह उसे अपने स्थान से हटा देगा और उसके अन्दर से अपने विश्वास को खत्म कर देगा। इसलिये यह धारा जो इसमें रखी गई है, सरकार ने जो यह अधिकार लिया है यह असंगत है, और अप्रासंगिक है, उसके यहां रखने के कोई अर्थ नहीं होते। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इन बातों पर विचार करे।

हमारे इस तरफ के कुछ भाई यह आवाज उठा रहे थे कि चुनाव दिसम्बर तक टाल दिये जांय और वह सरकार से यह आशा कर रहे थे कि सरकार आश्वासन दे कि दिसम्बर तक जो नक्शा सरकार के पास डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का है उसके अनुसार एक बिल आये और हम सब मेहनत करके उसे यहां से पारित करें ताकि दिसम्बर सन् १९५८ तक चुनाव सम्पन्न हो जांय, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा वचन देने में सरकार कुछ असमर्थ सी मालूम होती है वर्ना अगर वह समर्थ हो तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहें। परन्तु जिस तरह से सरकार का ढांचा चलता है उससे कोई विशेष आशा नहीं दिखाई देती जिससे हम विश्वास करें कि सरकार दिसम्बर तक जिला कौंसिलों का चुनाव करा सकेगी। कारपोरेशन बिल का जो हमें कड़ुवा अनुभव हुआ है उसकी रोशनी में हमें यह समझ में नहीं आता कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ तेजी से चल सकेगी। मैं यह नहीं कहता कि जिला बोर्डों के चुनाव एक मिनट में होना सम्भव हैं लेकिन अगर मार्च के अन्त तक नहीं हुये तो अप्रैल के पहले पखवारे में वह अवश्य हो जाने चाहिये, क्योंकि उसके बाद शादियों की और गर्मी की शिकायत हो सकती है। गर्मी होगी, अन्धड़ चलेगा इसलिये अप्रैल के आरम्भ में ही वह हो जांय तो हमारी शंका का भी समाधान हो जायगा और समय से काम भी हो जायगा। उस वक्त तक के लिये या तो जिला बोर्डों को भंग कर दिया जाय अथवा कौंसिलों के चुनाव टाल दिये जांय। अन्त में मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सरकार ने इतनी देर के बाद अपनी अक्षमता साबित कर के और विरोधी पक्ष के सुझाव पर इस बिल को लाने का प्रयास किया और मैं इस माने में बधाई देता हूं कि यह एक अच्छी पद्धति है कि विरोधी पक्ष के लोगों से खास-खास मसलों में, कदम बढ़ाने से पहले, सुझाव लिये जांय।

जिला बोर्डों के भंग करने के बारे में एक बात और कहूंगा। यह भी आवाज उठाई जाती है कि आम चुनावों के पहले केन्द्रीय सरकार और सूबाई सरकारों को भी कुछ दिन पहले भंग कर दिया जाया करे और केन्द्रीय सरकार का शासन राष्ट्रपति द्वारा और सूबाई सरकारों का माननीय राज्यपाल के द्वारा चलाया जाया करे जबतक कि चुनाव न हो जांय ताकि चुनाव के समय सरकार की या राज्य की शक्ति चुनाव में सत्तारूढ़ दल न कर सके। हमारे देश में प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया है और देश की शायद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने इस पद्धति को स्वीकार न किया हो इसलिये इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को परम्पराओं द्वारा स्थापित करना अति आवश्यक है, वही हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति बन सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा, केन्द्रीय सरकार में अभी सम्भव न हो या सूबाई सरकारों का चुनाव से पहले हटाया जाना चाहे अभी सम्भव न हो लेकिन जिला बोर्डों को अनुभव के लिये प्रयोग के तौर पर

चुनावों के पहले अवश्य तोड़ दिया जाया करे ताकि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ऐसा चुनाव हो सके जिसकी विशुद्धता और ईमानदारी के बारे में किसी को सन्देह न हो।

केन्द्रीय सरकार के बारे में कहते तो सरकार कह सकती थी कि इस बीच में देश में कोई उलट-पुलट हो जाय तो? राज्य सरकार के बारे में कहें तो उसके लिए कोई बड़ी दलील पेश की जा सकती है। लेकिन जिलों में अगर कोई बहुत भारी उथलपुथल हो भी जाय जो आज के युग में असम्भव है, फिर भी सूबे की सरकार है, केन्द्रीय सरकार है, कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रजातन्त्र में एक प्रयोग स्वरूप ही जिले के पैमाने पर बोर्डों को चुनाव से दो महीने पहले तोड़ दिया जाया करें ताकि एक नयी परम्परा बने। उसके आधार पर हम क्रमशः ऊपर आ सकते हैं।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रजातन्त्र में नये मूल्यों की स्थापना के लिए जिला बोर्ड तोड़ दिये जाया करें और सीधे जिलाधीशों के मातहत चुनाव कराये जायं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न ले कर थोड़े में ही अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं जो निवेदन करना चाहता हूं, वह इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में है। इसका उद्देश्य बहुत ही अनिश्चित है। इसमें तो कुछ सन् २२ के, अंग्रेजों के बनाये हुए विधानों में संशोधन है और कुछ अपने मस्तिष्क में उड़ती हुई धुंधली सी कोई चीज है जिसकी स्पष्ट रेखा हमारे सामने नहीं है। मगर इतना अवश्य इससे झलक जाता है कि कोई न कोई चीज मस्तिष्क में गूंज जरूर रही है, जो आज न सही कल, कल न सही परसों, बाहर आयेगी और कुछ मूर्तिमती हो कर आयेगी। उसके लिए कोई निश्चित समय भी इसमें नहीं है कि वह कब तक हमारे सामने आ सकेगी। तो इस तरह एक अनिश्चित विचारधारा के साथ चुनाव कराना, उस पर जनता का धन खर्च करना, शक्ति व्यय करना मेरी समझ में तो उचित नहीं है। अगर चुनाव कराना ही था तो दस साल का समय काफी था। इन दस सालों में हमारी सरकार में बैठने वाले कांग्रेस के महानुभावों ने कोई एक निश्चित रूपरेखा इसकी नहीं बनायी।

जब कि अनेकों चीजें, ऐसी ही, दो दो, तीन तीन दिनों में बना कर हजारों लाखों आदमियों को उससे प्रभावित किया गया। मगर यह एक ऐसी चीज थी जिससे कुल ५० या ५१ आदमियों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट इस समय ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के ही हैं, वे बिलकुल स्वच्छंद हो चुके हैं, उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ता था, उनको उस प्रभाव से बचाने के लिये ही यह दस साल का समय लिया गया। फिर जब विरोधी दलों ने बहुत अधिक जोर डाला तो पहले यह कहा गया कि मार्च में चुनाव होगा, उसके बाद हुआ कि अप्रैल में होगा, आखिर में मई में रखा गया। मई में इसलिए रखा गया कि मई में इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग वोट देने आयेंगे नहीं और उसी में यह सरकार चुपके से खिसक जाय। मेरी समझ में महज इतना आता है। मगर वाकई अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को नये ढांचे पर ले आना है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार को चाहिए कि तुरन्त डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भंग कर दे। उनको भंग करने के लिये अगर कोई छोटा सा कानून बनाना पड़े तो दो तीन दिन में एक बिल ले आये। हम लोग कतई बहस नहीं करेंगे। जैसे उधर के लोग हाथ उठाते हैं उनसे भी ज्यादा मासूमियत के साथ हाथ उठा देंगे। वह पास हो जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंगकर दिये जायं। भंग करने के बाद फिर आप आराम से बैठकर दिसम्बर के महीने तक अपने मस्तिष्क में जो उड़ती हुई विचारधारा है उसको मूर्तिमती करके सामने रखिये और लोगों के उस पर विचार लीजिये फिर चुनाव कराइये, तो ठीक है। वर्ना अंग्रेजों का जो विधान है, अगर मैं अर्ज करूं, श्रीमन्, आप बुरा न माने तो और मानें तो आपसे पहले क्षमा मांग रहा हूं कि यह वही होगा कि पमेला माउन्टबेटन को बनारसी साड़ी पहना दी गयी। अंग्रेजों के विधान को तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब का बना लिया जावे। मैं इस समय जो यह निवेदन कर रहा था कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग क्यों न कर दिया जाय, जब कि १० साल से यह मालगाड़ी

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

के डिब्बे की तरह घसिटते चले आ रहे हैं, इनकी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि इनकी आंखों के सामने मोटा पर्दा पड़ चुका है, इतना मोटा कि ऐक्सरे की किरणें भी पार नहीं जा सकती हैं, मानव की आंखों की क्या बात है ।

मैं अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नमूना पेश करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो । अभी पिछले चुनावों में, जैसा राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जी ने अपनी स्पीच में पढ़ कर बताया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मास्टरों के पास बाकायदा हुकुमनामा गया था कि आपने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है लिहाजा आपके साथ ऐसा क्यों न कर किया जाय । माना मैंने कि चुनाव में किसी पार्टी का साथ देना, किसी भी पब्लिक सर्वेन्ट के लिये या गवर्नमेंट सर्वेन्ट के लिये बुरा है । मगर किसी पार्टी की मुखालिफत आपने की यह लिखना कुछ समझ में नहीं आता । अगर यह लिखते कि फलां आदमी का आपने साथ दिया तो ठीक था । नहीं वह लिखते हैं कि आपने कांग्रेस की मुलाखिफत की । श्रीमन्, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के उन बदकिस्मत मास्टरों का नाम पढ़ देना चाहता हूं जो बेचारे इसी आधार पर परेशान किये गये । जिले के अध्यक्ष महोदय ने अपने कमरे में आराम कुर्सी पर पैर फैला कर हुक्का पीते हुए यह सोच लिया कि फलां मास्टर साहब ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया इसलिये उनको जहां वे थे वहां से ४० मील की दूरी पर ट्रांसफर कर दिया जाय । श्रीमन्, उनका नाम भी मैं पढ़ देना चाहता हूं एक, एक करके ।

(१) कृपा शंकर लाल .....

श्री उपाध्यक्ष---बड़ी लिस्ट हो तो मंत्री जी को बता दें ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---जी नहीं, ५, ६ नाम हैं । मैंने मंत्री जी को दे दिये हैं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई और अगर उनकी इजाजत हो तो मैं यहां सदन में कह दूं....

श्री रामनारायण (जिला वाराणसी)---अगर गोपनीय हो तो जरूर कहिये ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---नहीं, गोपनीय नहीं है । मैं देख रहा हूं कि मंत्री जी ने इजाजत दे दी । मैं उसका समर्थक हूं जो उन्होंने कहा था । उनके सामने मैंने एक दरख्वास्त दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में, इनके अध्यापकों के बारे में और कुछ सड़कों के बारे में वे सड़कें ऐसी हैं, अगर आप उन्हें देखें तो यही इच्छा होगी कि इतनी जमीन जो यह बेकार पड़ी हुई है गांव के किसानों को धान की खेती करने के लिये पट्टे पर दे दी जाय । सड़कें पुरानी हैं, सैकड़ों साल की, उन सारी चीजों को ले कर मंत्री जी के पास गया तो उन्होंने यह कहा कि क्या करें। मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं अध्यक्ष को बरखास्त नहीं कर सकता । आप लोग वहां तो कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और अब आप यह ले आते हैं, तो मैं। इसमें क्या कर सकता हूं । श्रीमन्, मैं मानता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण वहां तक होना चाहिये, जहां तक जायज हो, इस तरह नहीं होना चाहिये कि मोती की माला तोड़ कर बिखेर दी जाय, कहीं कोई संगठन ही न रह जाय । श्रीमन्, आज बोर्डों की यही हालत हो गयी है । वह एक निरंकुश सत्ता हो चुकी है और वह सत्ता जैसा कि उस दिन अपनी स्पीच में पालीवाल जी ने कहा था 'संख्यासुर', तो वह संख्यासुर ही हो गयी है, बहुमत के आधार पर वह जो चाहे अत्याचार कर रहे हैं । इसी किस्म से पांच सात मास्टरों का नाम मैंने नोट किया है जो साठ-साठ, बासठ-बासठ, चालीस-चालीस मील पर, फेंक दिये गये हैं और उनके ऊपर इल्जाम यह लगाया गया है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है । मगर मदद किसकी की, यह नहीं बताया । तो इस तरीके से, श्रीमन्, अनेक बातें बुराई की इसमें आ गयी हैं जिनकी वजह से चुनाव की मांग की जा रही है ।

अब, श्रीमन्, दूसरी चीज चुनाव प्रणाली के बारे में मुझे और निवेदन करनी है । चुनाव कराने का जो तरीका हमारी सरकार ने सोचा है कि एक चिह्न रहेगा, और नाम रहेगा और उनके आगे निशान बना दिया जायगा, जैसा कि अभी अभी परिषद् के चुनाव में हुआ है ।

मुझे महज इतना ही इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि हम विधायक लोग जो यहां पर आते हैं, समझा यही जाता है कि कम से कम पढ़े लिखे तो हैं ही, इतना तो हरूफ पढ़कर देख ही सकते हैं कि कहां निशान लगाना है, मगर बड़े अफसोस और लज्जा के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि १८ बैलट पेपर यहां इनवैलिड हो गये। पहले १८ इनवैलिड हुये थे, बाद में तीन रह गये। अगर एक भी हो तो वह भी हमारे लिये लज्जा की बात है। तो जब विधायक लोग उस प्रथा का सही उपयोग नहीं कर सके तो गांवों के वह घुरहू जो टीप दिखाते हैं वह कैसे उसको समझ सकेंगे ? यह मेरी समझ में नहीं आता। जब अमेरिका की तरह से ९५ प्रतिशत लोग बी० ए० हों तब तो यह हो सकता है। लेकिन आज एक डी० लिट खड़े हैं और एक उनके विरोध में एम० ए० खड़े हैं, उनको चुनने वाला कौन है ? गांव का घुरहू जो टीप दिखलाता है। तो बालिग मताधिकार में यह एक प्रणाली इस किस्म की लाकर रख देना बिलकुल मुनासिब नहीं है। मेरी समझ में तो यह आता है कि कलेक्टर साहब और थानेदार साहब और गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन वहां होंगे, वह जिस पार्टी की तरफ होंगे उसी के वोट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि गांव के अपढ़ लोग आयेंगे, इतने बड़े-बड़े सिम्बल्स जो थे उनको तो वह पहचान नहीं पाते थे, फिर आधे इंच के ये जो सिम्बल्स होंगे उनको वह कैसे पहचान पायेंगे ? उनको वही मुलाजमीन पहचान पायेंगे। तो फिर वह मुलाजमीन जिस तरफ होंगे, और मानी हुई बात है जिस पार्टी की सरकार होगी उसी की तरफ वह होंगे, तो उसी पार्टी को वोट ज्यादा मिलेंगे। लिहाजा मैं यह निवेदन करता हूं कि चुनाव प्रणाली वही रखी जाय जो विधान सभा के चुनाव के लिये थी न कि यह बच्चोंवाला तमाशा रख दिया जाय। कोई साहब कह रहे थे कि वहां पैड रख दिया जाय और अंगूठे के निशान लगा दिये जाया करें। मगर सवाल तो यह है कि निशान लगाया कहां जाय जब हमें यह नहीं पता है कि नाम कौन से हैं और कहां निशान लगाना है।

श्रीमन्, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और जल्दी में कुछ न करके जो कुछ करे, सोचकर करे।

*श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। पिछला चुनाव अप्रैल महीने में हुआ था। मैं समझता हूं कि इस बार का चुनाव भी अप्रैल माह तक, २० अप्रैल तक, हो जाय तो बहुत अच्छा है।

टैक्स के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गांव सभायें दोनों एक ही व्यक्ति पर एक से टैक्स लगा रही हैं। तो विधेयक में व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिये कि एक ही व्यक्ति पर दोनों टैक्स न लग सकें। मैंने देखा कि कोल्हू चलाने वाले तेली बिरादरी के लोग गांव में हैं। उन पर गांव सभा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोनों ने टैक्स लगा दिया है। किसी ने ऊंट रक्खा है सौदा लाने और ले जाने के लिये, उस पर भी दोनों ने टैक्स लगा दिया है। इन लोगों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये क्योंकि ये कोई मुनाफे का रोजगार नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में विधेयक में सुधार होना चाहिये।

दूसरी बात माननीय यशपाल सिंह ने कही कि चेयरमैन और सदस्य दोनों के लिये इसमें कोई क्वालिफिकेशन निश्चित कर दी जाय। मैं समझता हूं कि कोई डिग्री या पढ़ाई लिखाई की कैद निर्धारित नहीं होनी चाहिये। अगर निर्धारित हो जायगी तो नान-ग्रेजुएट्स को अपनी ईमानदारी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। उनको खड़े होने का अधिकार तो है ही। अगर उनमें ज्यादा ईमानदारी और क्षमता है तो जनता उन्हीं को वोट देगी। अगर यह कैद रक्खी जायगी तो आधे परसेंट लोगों के लिये यह चीज रह जायगी और बकिया लोग अपनी ईमानदारी दिखाने से महरूम रह जायेंगे। विधान सभा और लोक सभा में भी ऐसी कोई कैद नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अन्तिम समय में कहा था कि यदि मेरी बात मानी जाय तो भारत का गवर्नर जनरल किसान हो और कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामवचन यादव]

देशभक्त और ईमानदार हो। यह योग्यता उन्होंने रक्खी थी। सर्विस का सेलेक्शन हो सब तो ठीक है। हमारी सरकार ने जब यह निर्णय किया कि कलेक्टरों के हाथ में एक ऐडहाक कमेटी बना कर दे दें तो हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने उसका विरोध किया था। वे तो योग्य लोग थे। आई० सी० एस० और पी० सी० एस० लोग उसमें होते, लेकिन इसे पसन्द नहीं किया गया। लिहाजा पढ़े लिखे लोग हों, इसका प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। सबको खड़े होने का मौका होना चाहिये ताकि सभी को अपनी ईमानदारी और कार्य क्षमता दिखाने का अवसर मिल सके।

तीसरी बात चुनाव प्रणाली के बारे में कहनी है। चुनाव प्रणाली का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे गांव की स्त्रियों और अनपढ़ लोगों के लिये यह बड़ा दिक्कततलब सवाल है। वह जो चुनाव की प्रणाली विधान सभा में अभी तक प्रचलित थी उसको हमारे गांव के लोग दो बार के चुनाव होने के कारण समझ गये हैं। अगर वह परम्परा रखी जाय तो इससे गांव के किसानों के समझने में बड़ी सहूलियत होगी। गर्मी के दिनों में चुनाव के लिये हमारे माननीय सदस्यों ने विरोध किया, मगर इससे तो और अच्छा एक तजुर्बा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारे माननीय सदस्य लोग और दूसरे लोग जाकर गांव में घूमेंगे, किसानों की तकलीफों को देखेंगे कि उनको कैसी मेहनत पड़ती है। इससे किसान समझेंगे कि हमारी तरह ये लोग भी धूप और लू बरदाश्त कर सकते हैं। वह महसूस करेंगे कि ये हमसे मिलजुल गये हैं, ये सिर्फ साये और खस की टट्टी में ही रहने वाले नहीं है, हमारे बीच में भी आ सकते है।

एक मौका किसान को अच्छा नहीं लगेगा, वह है शादी विवाह का। तो शादी विवाह की लगन बचा कर पहले ही चुनाव हो जाय तो अच्छा है। इसलिये ३० अप्रैल तक अगर चुनाव हो जाय तो बहुत अच्छा है। शादी-विवाह उसके बाद ही होंगे। शादी-ब्याह के मौके पर किसान दूसरी ओर व्यस्त रहता है, वह चुनाव के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दे सकता।

तो ज्यादा न कहकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरी राय है कि चुनाव होना चाहिये।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आपने कोई वजह नहीं बतलाई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, ३ रोज से इस पर बहस चल रही है और मंत्री महोदय इसका जवाब भी देना चाहते हैं और ५ बजे यह समाप्त भी होना है, तो मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब क्लोजर किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं माननीय मित्र के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध करने का कारण यह है कि जितनी जल्दी में यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विधेयक लाया गया और इस पर भी १० मिनट का समय बांध दिया गया और यह १० मिनट का समय इसलिये बांध दिया गया कि जितने विभिन्न विचार हों, वह सब यहां पर आ जायं, ताकि माननीय मंत्री जी को यदि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय भी, तो वस्तुस्थिति को समझने का मौका मिलेगा। अगर सरकारी पक्ष को क्लोजर मूव करना था तो बहुत ही सफाई के साथ उनको अपने पक्ष के लोगों को बोलने से मुक्त कर देना था और आपके सामने आना चाहिये था कि विरोधी पक्ष के जितने लोग बोलना चाहें, उनको बोलने दिया जाय, सबका जवाब हमारे मंत्री जी दे देंगे।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अब इस वक्त क्लोजर मूव न किया जाय और आप इसको एलाऊ न करें और हमारे मित्र इसको वापस लें। हम सभी ४–५ आदमी विरोधी पक्ष के रह गये हैं, सरकारी पक्ष से भाषण न हो और आधे घंटे में खत्म हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—तो आप कितना समय रखते हैं ४–५ आदमियों के लिये ?

श्री राजनारायण—कोई ८ मिनट, कोई १० मिनट और कोई ५ मिनट लेंगे। इस तरह से साढ़े चार बज जायेंगे। माननीय विचित्रनारायण जी बड़े कुशल आदमी हैं, अपने भाव को थोड़े से शब्दों में रखने में बहुत निपुण हैं। तो २५ मिनट में विचित्रनारायण जी अपनी बात को कह लेंगे और सेलेक्ट कमेटी में जाना है तो ५ मिनट में हो जायगा, बशर्ते कि हमने जो सुझाव दिया है कि सेलेक्ट कमेटी बने, वह माने, वरना बड़ा मौलिक प्रश्न उनके सामने है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो क्लोजर सरकार की ओर से मूव हुआ है, मैं सिद्धान्ततः इसका विरोध करता हूं। जब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन आया था कि विरोधी दल के कथनानुसार तीन दिन वाद-विवाद होगा तब इसके माने यह हैं कि आज ५ बजे इस पर वाद-विवाद समाप्त होगा। माननीय मंत्री जी यदि उत्तर देना चाहते हैं तो चाढ़े चार बजे के बाद दें। इसलिये कमेटी में कुछ कह कर और यहां पर क्लोजर मूव करना मैं उचित नहीं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या वाद-विवाद में माननीय मंत्री जी शामिल नहीं होते हैं?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्लोजर मूव हुआ है तो वह भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं और वह कमेटी में मौजूद थे इसलिये इसको ध्यान में रखकर वह इसको विदड्रा कर लें।

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मुझे कोई आग्रह नहीं है कि मैं बोलूं। लेकिन अगर सदन चाहता है और जो आपत्तियां सदन में उठायी गयी हैं उनका समाधान सदन कराना चाहता है तो उसके लिये मैं समय जरूर चाहता हूं। मैं जितना समय जरूरी होगा उतना ही लूंगा और सेलेक्ट कमेटी के बनने में जितना समय लगे उससे अधिक समय में नहीं चाहता हूं। जो आपत्तियां उठायी गयी हैं उनका जवाब देने में कम से कम ४५–५० मिनट तो लगेंगे ही। मुझे कोई आग्रह नहीं है। अगर सदन मेरी बात नहीं सुनना चाहता है तो न सही। मैं अपनी बात १५ मिनट में भी कह सकता हूं और ५ मिनट में भी कह सकता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—इसके लिये यह हो सकता है कि एक घंटा सदन का समय बढ़ा दिया जाय और मंत्री महोदय की बात सब लोग एक घंटे तक सुनेंगे।

श्री राजनारायण—साढ़े चार बजे तक हम लोग कहते हैं और मंत्री जी अपने भाषण के लिये ४५ मिनट चाहते हैं इसलिये यदि सदन का समय १५-२० मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपने १५ मिनट बताया?

श्री राजनारायण—या आध घंटे हो सकता है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मंत्री जी को समुचित समय मिलना चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम समय लेना चाहूंगा। साढ़े चार बजे उठूं और जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूं और जब तक सेलेक्ट कमेटी की कार्यवाही पूरी न हो जाय समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह किसी भी हालत में साढ़े पांच बजे से ज्यादा नहीं होगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आज इसे खत्म होना है, क्योंकि बिजनेस कमेटी का यही निर्णय है कि यह आज समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर आप साढ़े चार बजे से बोलना शुरू करेंगे और आध घंटे समय बढ़ा दिया जाय तो सब बातें पूरी हो जायंगी। इसलिये निश्चय हुआ कि साढ़े पांच बजे तक बैठेंगे और मंत्री जी साढ़े चार बजे से बोलेंगे। बिजनेस कमेटी में ५ बजे

[श्री उपाध्यक्ष]

तक नहीं था बल्कि यह था कि जब तक यह खत्म न हो जाय सदन बैठे। इसलिये यह समय बढ़ाना सर्वथा नियमानुकूल है।

श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने इतने वाद विवाद और संघर्ष के बाद मुझे बोलने का समय दिया। तीन दिन से इस पर वाद विवाद हो रहा है और इसका कोई ऐसा पहलू बाकी नहीं रह गया है जिस पर कुछ कहा जा सके। लेकिन अपने जिले के नाते मुझे भी बताना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? इसलिये मैं उत्सुक था कि मैं भी कुछ बातें सदन के सामने रखूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि आज बोर्डों की बड़ी भारी दुर्दशा है और उनके पास इन्कम के कोई साधन नहीं हैं और उनके पास बहुत थोड़े से पोर्टफोलियो हैं, मैं उनकी तरफ आपके द्वारा इस आदरणीय सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर तालीम को ले लिया जाय तो स्कूलों की क्या दुर्दशा है! मैं समझता हूं कि मेरे जिले में तो यही है कि अगर बोर्ड की अवधि किसी भी कारण एक साल ही बढ़ गयी तो स्कूलों की जगह पर मिट्टी के ढेर नजर आयेंगे। ९० फीसदी स्कूल धराशायी हो चुके हैं। टीचरों की कुर्सियों की तरफ अगर ध्यान दिया जाय तो हिन्दुस्तान की परम्परा में तो नहीं था, अंग्रेजी शब्द अगर प्रयोग करने की इजाजत दी जाय तो वह कमोड रूप रह गयी हैं, बैठने का कोई साधन नहीं हैं। अध्यापक पढ़ायें क्या, उसका आधा शरीर कुर्सी के नीचे और आधा किसी तरह से कुर्सी के ऊपर टंगा रहता है। कांजी-हाउस की तरफ अगर ध्यान दिया जाय तो जानवरों के रहने की व्यवस्था तो अलग रही, वहां के मोहर्रिर तक के रहने की व्यवस्था नहीं है। सड़कों के बारे में बताया जा चुका है कि अगर सड़कों के पट्टे गरीब किसानों को दे दिये जायं तो वह अति उत्तम होगा और वह राष्ट्रीय कल्याण के लिये एक सहयोग का मार्ग ही दिखलाई पड़ेगा। सड़कों की यह दुर्दशा है कि पुराने अंग्रेजी राज्य के ऊंचे से पुल बने हुये हैं जिनसे मालूम होता है कि "खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलन्द थी।" ऐसा मालूम होता है कि कभी यह सड़क ऊंची रही होगी, यातायात के साधनों में सुविधा का कारण बन सकती होगी।

तीन-तीन महीने तक अध्यापकों की तनख्वाह नहीं दी जाती, ऐसा बहुत से माननीय सदस्यों ने उद्गार प्रकट किया। क्या मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि अध्यक्ष ने अपना भत्ता नहीं निकाला, सेक्रेटरी ने अपनी तनख्वाह नहीं ली और जो बोर्ड के आफिस के कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाहें क्या १५-२० दिन या २-३ महीने रुकी रहीं? मैं प्रश्न का उत्तर भी स्वयं ही दे देना चाहता हूं कि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। प्रान्त भर के लोग यहां बैठे हैं, माननीय सदस्य बता सकते हैं। मेरा विश्वास है कि किसी भी जिले में ऐसा नहीं हुआ कि अध्यक्ष का भत्ता तीन महीने रुका हो या ओवर-सियर या इंजीनियर का भत्ता तीन महीने रुका हो। यह दुर्दशा अगर मत्थे पड़ी तो गरीब अध्यापक के।

शिक्षा का प्रसार बालकों के लिये है। हर तरफ से यह आवाज आती है, हर उद्घाटन के मौके पर कहा जाता है, कि ये राष्ट्र के कर्णधार हैं, स्तम्भ हैं, इत्यादि इत्यादि। मगर क्या स्कूलों में उनके बैठने के लिये टाट हैं? नहीं हैं। अगर वे अपने घर से ले जायं तो चटाई या टाट पर बैठें अन्यथा जमीन पर बैठें। इस महंगाई के काल में अगर वे जमीन पर बैठते हैं तो नतीजा यह होता है कि उनकी धोती और जांघिया बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और उनको बदलना पड़ता है जिसका भार उनके अभिभावकों पर पड़ता है। यह इस गरीब मुल्क की दुर्व्यवस्था में और वृद्धि करने का साधन नहीं है तो और क्या है?

इसके अलावा बोर्डों के द्वारा नयी व्यवस्थायें की गयी हैं। दरिया में मछलियां हमारे कुछ गरीब भाइयों के लिये जीविका का सहारा रहती थीं। वे सपरिवार उसमें मछली का शिकार करते थे और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब यह प्रथा मिटा दी गयी

है। अब दरिया की मछलियां नीलाम कर दी जाती हैं और ठेकेदारों द्वारा उन मछलियों को पकड़वाया जाता है। ऐसे-ऐसे जरियों से गरीब किसान और भाइयों की जीविका छिनती जा रही है फिर भी बोर्ड का पेट नहीं भरता, उसके काम में बाधायें पड़ रही हैं और चिल्लाहट है कि मेरे पास धन नहीं है, "भिक्षां देहि, भिक्षां देहि।" यह तरीका कब तक चलेगा? तीन दिन की बहस के बाद इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का यह विचार स्पष्ट हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि इस बोर्ड के जर्जर पिंजर को दफन कर दिया जाय। सरकारी पक्ष भी यही चाहता है और विरोधी पक्ष तो उससे अधिक उद्यत है। नेता विरोधी दल ने बताया कि वह अपनी सेवायें अर्पित करके तीन ही दिन में या अधिक से अधिक एक सप्ताह में तमाम मौलिक अधिकारों के स्वरूप में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल लाने के लिये तैयार हैं और उसकी हिम्मत रखते हैं। मुझे यह समझ नहीं पड़ता कि इसमें विरोध कहां पर है। सरकारी दल भी लाना चाहता है और विरोधी दल भी लाना चाहता है और जनता भी ऊब गयी है। देहाती क्षेत्रों में जाने पर वह सवाल करती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव क्यों नहीं कराते। मैं तो कह देता हूं कि कांग्रेस दल बहुमत में है, वह चुनाव कराना नहीं चाहता। स्पष्टवादिता बुरी नहीं है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य क्या कहते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा कुछ सदस्यों ने लांछन लगाया कि हम लोग इसे पास नहीं होने देते, संभव है वे ऐसा ही कुछ कहते हों। लेकिन आप देखिये कि देहात की जनता आज क्या कहती है? एक शब्द में अगर इसको रखने की कोशिश की जाय तो उसके लिए एक शेर है:

हमारे शीशये दिल को उठा पत्थर पे दे पटका।
हम कहते रह गये जालिम, मेरा दिल है, मेरा दिल है॥

६ करोड़ जनता यही शेर दोहराती है। वह कहती है चुनाव करो, चुनाव करो, मगर सरकारी पक्ष का आज यह भाव है, कल दूसरा है और परसों तीसरा है।

अब मैं इस संशोधन विधेयक की तरफ कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। तीन, चार बातें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के क्लाज में हर बात देखने में आयी लेकिन एक चीज देखने में नहीं आयी कि क्या अनसाउन्ड माइन्ड वाला आदमी भी एलेक्टोरल रोल में शरीक होकर चेयरमैन या मेम्बर बन सकता है। मुझे तो ऐसी कोई बात देखने में नहीं आयी कि अनसाउन्ड माइन्ड वाला आदमी चुना न जा सके। यह है कि अगर टैक्स बाकी हो तो वह नहीं हो सकता, उम्र कम है तो नहीं हो सकता, लेकिन दिमाग अगर सही न हो तो उसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ताज्जुब यह हुआ कि जब इस युग में स्वतंत्रता मिली है तो जहां साउन्ड दिमाग वालों को मिली है, वहां पागलों को भी मिल गयी है। हो सकता है कि स्वतंत्रता के युग में यह चीजें पसंद की जा सकती हों। ऐसी ही चीजें हैं जिनके लिए कुछ करने की जरूरत है। अब सरकारी पक्ष इसके लिए जनता को अधिक दिन तक बहला कर नहीं रख सकता, और यह बहलाना अच्छा नहीं होगा। आसमान के चन्दा से बच्चे के मुंह में घुट-घुट करने से उस बच्चे की भूख नहीं मिटेगी, उसके सामने तो दूध रखने से ही काम चलेगा। इन शब्दों के साथ में यह कहूंगा कि भले ही यह संशोधन मुनासिब हो या न हो लेकिन बोर्ड के चुनाव अविलम्ब होने चाहिए। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि ऐसे समय में बोर्ड का चुनाव कराना चाहिए कि जब शादी ब्याह न होते हों। मेरा सुझाव है कि मलमास के महीने में चुनाव करा लिए जायं तो अच्छा होगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय उपाध्यक्ष जी, जिला बोर्डों के संबंध में जो अभी हमारी विरोधी पार्टी की ओर से जिन्होंने आवाजें उठायी हैं, मैं उन्हीं में से हूं और अपने विचार कि जिला बोर्ड रहने चाहिए या नहीं इस संबंध में प्रगट करना चाहता हूं। क्यों रहने चाहिए जब कि जिले की घातक एक बड़ी कमेटी बनाई गई है जिसका नाम प्लानिंग कमेटी है? प्लानिंग कमेटी में बड़े-बड़े आफिसर रहते हैं। जनता के उसमें थोड़े आदमी होते हैं जो पंच और सरपंचों के चुने हुए लोग कुछ आ जाते हैं। उस कमेटी में क्या होता है, आफिसर अपने कार्य की प्रशंसा करते हैं। जितने हेड आफ डिपार्टमेंट हैं सब खड़े होकर प्रति महीने कहते हैं

[श्री बंशीधर शुक्ल]

कि हमने यह किया वह किया। अगर श्रमदान से कोई सड़क बनी तो उसको चार डिपार्टमेंटों ने चार जगह इस काम को किया गया बताया। स्वास्थ्य विभाग भी कहता है, प्लानिंग विभाग भी यह कहता है, कि हमने इस काम को किया। इरीगेशन, पंचायत विभाग भी गाते हैं अनेक विभाग वाले गाते हैं कि हमने यह किया। अतः उसके द्वारा देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिये मैं जिला बोर्ड का समर्थक हूं कि बोर्ड रहने चाहियें और बोर्ड के मातहत जिले का पूरा काम होना चाहिये। क्योंकि आपने सूबे में दो कौसिलें बनाईं और भारत के लिये भी दो कौसिलें बनाईं; जिले के स्तर पर कोई भी कौंसिल न हो तो क्यों? जिला बोर्ड में जो गड़बड़ हो रहा है वह इसलिये कि यह बोर्ड ऐक्ट अंग्रेजों के राज्य के समय के बने हुये चले आ रहे हैं। जिला बोर्ड के मातहत अकेला शिक्षा विभाग ही नहीं रहना चाहिये बल्कि जो और भी दूसरे कार्य हैं वह भी रहने चाहिये।

मेरा कहना है कि आप प्लानिंग कमेटी को तोड़ दीजिये क्योंकि उसमें चन्द जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। उनसे कोई काम नहीं हो सकता है। आज क्या होता हैं? जिला बोर्ड, प्लानिंग कमेटी और पी० डब्ल्यू० डी०, पंचायत विभाग यह सब सड़कें, स्कूल, गलियारा बनाते हैं मगर जब बनाने की नौबत आती है तो उसका ठेका बिना पढ़े-लिखे आदमी को वे देते हैं। वह बिला पढ़े लिखे आदमियों को लेकर उस काम को करता है। देखने के लिये अफसरावली जाती है जो रिश्वत पाकर पास कर देती है, रिश्वत न मिले तो फेल। ऐसी दशा में इस अफसरावली से देश का कोई काम नहीं चल सकता। उतना मिनिस्टर का डर नहीं है जितना कि इन सरकारी अधिकारियों का डर जनता को है। यह सरकारी अफसरावली रेल के इंजिन की तरह है। उसकी सफाई करने वाले, कोयला पानी देने वाले, फायरमैन की भांति यह असेम्बली के माननीय सदस्य हैं, किसी की कोई इज्जत इस अफसरावली के दिमाग में नहीं है। आज एक तरफ पटवारी और दूसरी तरफ श्री सम्पूर्णानन्द की पूरी सरकार है। एक तरफ थानेदार और दूसरी तरफ श्री जवाहरलाल की पूरी सरकार है। जो थानेदार, पटवारी करता है वही होता है। इसलिये अगर आप इस नौकरशाही को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो जिला बोर्ड जिला के कल्याण के लिये होना चाहिये। जिला बोर्ड के मातहात शिक्षा, सड़कों के अलावा जमीन का इन्तजाम भी हो। मेरा तो यह कहना है कि जितने भी जिले के आफिस हैं सब आप जिला बोर्ड के मातहात कर दें। पटवारी, पतरौल, सेक्रेटरी, कामदार इन चारों को हटाकर ३ गांवों के अन्दर एक पटवारी हो जिसका नाम ग्राम सेक्रेटरी ही रक्खा जाय। उसके सुपुर्द ३ गांव की एक पंचायत हो, एक सभापति हो, हरएक गांव जो २०० की आबादी का हो उसमें एक प्राइमरी स्कूल रक्खा जाय, एक चौकीदार रक्खा जाय जिससे गांव की रक्षा हो सके। आज तो रक्षा का कोई उपाय नहीं, न शिक्षा का कोई विशुद्ध उपाय है, न शिक्षा ही शुद्ध है। जिला बोर्ड का जो चुनाव हो वह इस प्रकार कि २५ हजार वोटरों के पीछे एक मेम्बर चुना जाय जो मेम्बर मिलकर अपना एक चेयरमैन बना लें। यह सब से अच्छी राय है। कदम-कदम पर वोट लेने से वैरभाव बढ़ता है जिसका पता आपको नहीं मगर कत्ल का कारण भी बन जाता है, गांव की साधारण मुंहा टेंढ़ी बहुत बड़ा बैर है। इस तरह से न तो यह सरकार चलेगी और न कोई काम होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम हो और किसी सुझाव को रक्खा जाय तो आप जिला बोर्ड को बनाये रखें। आज इतनी बात जरूर है कि बोर्ड के अन्दर दूसरी पार्टी के लोग नहीं हैं। कांग्रेस कमेटी दो ही जगह पर हैं या तो जिला बोर्ड के सदस्यों में या गैर जेल यात्री कांग्रेसमैन की टोपी पर। गांव की पूरी मालगुजारी पर चौथाई हिस्सा गांव को और जिला की आमदनी का चौथाई हिस्सा जिला बोर्ड को दिया जाय बाकी सूबे को, सूबे से चौथाई हिस्सा भारतीय सरकार को जाय। अतः टैक्स लगाने, बढ़ाने, की कोई बात ही नहीं उठती। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आज जिला बोर्ड का काम ही यह है कि मास्टरों का ट्रांसफर करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है, खैर। सड़कों का इन्तजाम, लगान का इन्तजाम, खेती का इन्तजाम, और

प्लानिंग के जो भी कार्य हैं वे सब जिला बोर्डस को दिये जायं और जिला बोर्ड्स बनाये जायं, लेकिन ठीक ढंग से बनाये जायं। उनके अन्दर जनता के चुने हुए मेम्बर्स हों और मेम्बरों के चुने हुए सभापति हों। जिला बोर्ड के उस सभापति को उतने अधिकार हों जितना कि आज एक डी० सी० को है। डी० सी० और एस० पी को हटाया जाय, क्योंकि पुलिस का महकमा एस० पी० के हाथ में होने से जनता के लिए एक हौआ हो गया है। जब तक जनता के चुने हुए आदमियों के हाथ में यानी, जिला बोर्ड के सभापति के हाथ में पुलिस नहीं आयेगी तब तक जनता उनसे डरती ही रहेगी। जिस दिन पुलिस जिला बोर्ड के सभापति के हाथ में आ जायगी उसी दिन वह बिल्ली बन जायगी। मेरा कहना है कि जिलों में जो आपने रिजर्व पुलिस रखी है, वह स्वतंत्र देश का एक कलंक है, जिस वक्त देश गुलाम था उस वक्त विदेशी सरकार ने रिजर्व पुलिस रखी थी, लेकिन आज रिजर्व पुलिस की क्या जरूरत है? आज तो देश स्वतंत्र है, या तो स्वतंत्रता की डींग हांकना छोड़ दीजिये या रिजर्व पुलिस को रखिये और उससे जिसको चाहिए लुटवाइये। जब गुलामी खत्म हो गयी, तब हमारे यहां रिजर्व पुलिस की क्या जरूरत है।

मेरा कहना है हर दस मुरब्बा मील पर गिरदावर की जरूरत नहीं यानी, ५० गांवों पर एक तहसील बनायें वहां एक तहसीलदार हो। परगना हाकिम शहर में न रहकर परगना के अन्दर रहे। एक परगना हाकिम, एक तहसीलदार और एक ग्राम सेक्रेटरी ये तीन आफिसर्स ही गांवों के अन्दर रखे जायं, चौथे की कोई जरूरत नहीं है। ग्राम अदालतें तोड़ दी जांय। इंसाफ के लिये मुंसिफ और जज मुकर्रर कीजिये। जितने कम नौकर रखेंगे उतना ही अधिक पैसा हमारे पास बचेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा और अगर यह नौकर बढ़ते जायेंगे तो देश का सत्यानाश होगा। मेरी बात किसी को भले ही कड़ुवी लगे, लेकिन इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि अब कोई आदमी किसी पार्टी के नाम पर जनता द्वारा चुन कर नहीं आने वाला है, अगर वह चुन कर आयेगा तो भला आदमी होने की वजह से चुन कर आयेगा, क्योंकि जनता समझती है कि किसी पार्टी से उसका फायदा नहीं होने वाला है, जिसको जनता समझेगी कि फलां आदमी भला है जिससे उसका काम निकलेगा, उसी को वोट देगी। इसलिये मेरा कहना यह है कि चुनाव को अच्छे ढंग से कराइये और जिला बोर्ड को बनाइये। दुनिया कहां जाती है और आप कहां जाते हैं। दुनियां मालामाल हो रही है आप गली-गली कर्ज मांग रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक छन्द कह दूं।

आज देश देश में स्वतंत्रता प्रवाहित है,
खोज सत्य की है कल्पना न टिक पाती है,
सूक्ष्म परिमाणु तत्व ज्ञान औ विज्ञानता की,
होड़सी लगी है शक्ति ईश्वरी लजाती है,
पीछे जा चुके हैं, शस्त्र शास्त्रों के प्रयोग सारे,
किन्तु हिन्द राज्य जुल्म भी न रोक पाती है,
दुनिया बनाने लगी सूर्य, चन्द्र, तारे, और
यहां कागजों में योजना बनायी जाती है।

२

जाने देश भारत के भाग्य में लिखा क्या हाय,
विश्व बढ़ा आगे, यह पीछे गिरा जाता है,
दाढ़ में दबा है अफसरों की धूर्त पार्टियों की,
ऐक्टों का कटापा ऐक्ट ही में कसा जाता है,
उठा चाहता है किन्तु उठने न देते क्रूर,
ठगों का ठगा है आज ठग ही विधाता है,
विश्व शक्ति ढूंढ़ता है सत्य के प्रकाशन में,
यहां अंधकार से प्रकाश दुहा जाता है।

तो आप ही बतलाइये, ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है। दोष किसका है?

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---श्रीमन्, जो बातें अभी तक यहां पर कही गयी हैं, उन्हीं को दोहराना नहीं है। मैं कुछ नयी चीजें रखना चाहता हूं जो कि हमारी पार्टी में तय है। इस विधेयक में वोटर की उम्र क्या हो, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है ? मेरा यह खयाल है कि अगर आप इस देश की उम्र का हिसाब लगायें और गौर किया जाय तो ३० वर्ष से ज्यादा उम्र एवरेज किसी की नहीं आती है। ऐसी सूरत में अगर हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के लिए १८ वर्ष की उम्र रख दें तो उचित होगा क्योंकि ३० साल की उम्र तो ज्यादा से ज्यादा होती है क्योंकि १८ साल के नौजवान लड़के काफी चीजें समझ सकते हैं, चाहे वे स्त्री हों या मर्द, उनके लिये १८ साल की उम्र होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस सुझाव को माननीय मंत्री जी मान लेंगे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आबादी के सम्बन्ध में किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर आप इसमें यह लिख देते कि हम १० हजार या १५ हजार की आबादी के ऊपर एक मेम्बर चुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होता। आप ने ३० और ८० के बीच में रखा है कि इतनी आबादी पर हमारा एक मेम्बर होगा। इसके साथ ही आपने इन जिला बोर्डों को आय का कोई जारिया नहीं बताया। न वह आप बता ही सकते हैं क्योंकि आज जो कुछ भी देश की आय के सोरसेज हैं, वह जो अच्छे और बड़े हैं, वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हैं और बाकी सब प्रादेशिक सरकार के हाथ में हैं। इस तरह से इन जिला बोर्डों के लिए कुछ नहीं बच पाता अगर प्रदेश की आय का जिला बोर्डों को चौथाई भाग भी दिया जाय तो जिलों में बोर्डों का अच्छा काम चल सकता है। इस तरह से मेरा खयाल है कि उनको ३०-३२ करोड़ की आय हो सकती है और उससे बोर्डों की हालत सुधर सकती है।

तीसरी चीज मुझे खासतौर से यह कहनी है कि आप ने इस बिल में रखा है कि जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट को आप यह बात कहकर निकाल सकते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या उसने काम अच्छा नहीं किया। अगर आप किसी कारण से खराब काम के लिए प्रेसीडेंट को हटाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि आप यह अधिकार वोटर्स के हाथ में दे दें कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र के ६० प्रतिशत वोटर्स दस्तखत देदें तो कोई भी मेम्बर या प्रेसीडेंट वापस जा सकता है और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि अगर यही पद्धति असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरों तक के लिए रक्खी जाय तो इस देश के लिए, और खास तौर से हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छी मिसाल होगी। वह काम नहीं करेंगे तो वापस जायंगे। अगर ऐसी पद्धति अपनाई जायगी तो चुने हुए सदस्य स्वयं जागरूक बनेंगे और सोचेंगे कि अब हम ४-५ साल तक कुर्सी से चिपके नहीं रह सकते, कभी भी जनता हटा सकती है। तब वह ठीक काम करेंगे और जनता को भी मौका होगा कि ६० प्रतिशत लोगों की दस्तखत से वह मेम्बर्स को हटा सके।

अगर यह सरकार शक्ति के विकेन्द्रीकरण का विचार रखती है तो सूबे की सरकार के अन्दर यह ताकत है वह ऐसा कर सकती है, वह अपने इस कार्य से, अपनी उस नीयत को साफ करे। जो हमारा सिद्धान्त चौखम्बा राज्य का है कि शक्ति गांवों में, जिले में, प्रदेश में और फिर केन्द्र में रहे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सूबे और केन्द्र की सरकारों के पास ताकत है वैसे ही गांव में और जिले के स्तर पर भी शक्ति जनता के हाथ में रहे, और ६० प्रतिशत लोग अगर चाहें तो किसी भी समय अपने चुने हुए मेम्बर को वापस ले सकें। अगर हमने अपने जिला बोर्डों में इस चीज को किया तो सन् ६२ तक हमें यह आवाज देश में सुनाई देने लगेगी कि जिस तरह से जिला बोर्डों में मेम्बर्स को हटा सकने की शक्ति जनता को दी गयी है उसी तरह से वह शक्ति असेम्बली और संसद के मेम्बर्स को भी हटाने की जनता में रहे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, मेरे इस सुझाव पर विचार कर, उत्तर देंगे।

हमने देखा कि यह दस साल के बाद इस तरह का छोटा सा बिल लाया गया है, वही बात है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। इसके अन्दर कोई चीज साफ नहीं है कि किस तरह से आप अपने जिला बोर्डों को चलाना चाहते हैं। इससे अच्छा तो यह हो कि आप उनको फेल कर दें। इस में कोई चीज नहीं है। स्कूल मास्टरों तक का इसमें जिक्र नहीं है जिनको

कि आप ३० रुपया मासिक देते हैं। आप निश्चित कर दें कि हम किसी को भी १०० रुपये से कम वेतन न देंगे। उसके लिए सोर्सेज हो सकते हैं क्योंकि मास्टरों की तनख्वाह मौलिक चीज है। मास्टरों के जरिये से छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है और इंसान का सबसे बड़ा पाप अज्ञान है और सबसे बड़ा पुण्य ज्ञान है। अगर हम हिन्दुस्तान में ज्ञान को लाना चाहते हैं तो हमको जरूरी होगा कि मास्टरों की तनख्वाह इस तरह से रखें ताकि दिमाग और दिल बच्चों के सामने आए। लेकिन जब वह भूखा रहेगा, दो वक्त खाने को नहीं मिलेगा, तो वह क्या काम काज करेगा ? मैं गांव में देखता हूं, बारह-बारह बजे वह आते हैं। अगर उनसे कहा जाय तो उल्टे लड़ते हैं। कहते हैं कि अगर हमको तीस रुपल्ली दोगे तो और क्या करेंगे ? अगर मजदूरी भी करेंगे तो सवा रुपया रोज मिल जायगा। इसलिए आज मैं सरकार की नीयत पर शक करता हूं। अगर उन्होंने मास्टरों की तनख्वाह सौ रुपये नहीं की तो इससे ज्यादा सरकार की बदनामी और खराबी कोई नहीं हो सकती। सरकार सबूत दे इसका, हमारे देश और सूबे के छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग को बनाने के लिए यह शिक्षा प्रणाली है और उसके लिए मास्टरों को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—समय बहुत कम है और आप बहुत धीरे-धीरे बोल रहे हैं।

श्री बलवान सिंह—मैं नयी-नयी चीज रख रहा हूं, श्रीमन्। यह रखा गया है कि दो सौ रुपया जिसकी आमदनी होगी उस पर भी टैक्स पड़ेगा। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। जिसकी बारह सौ रुपये से कम आमदनी हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। यही नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स बल्कि किसी किस्म का टैक्स न हो। हर एक इंसान को गारंटी हो कि सौ रुपया महीना वह आमदनी करे। तो दो सौ रुपये पर टैक्स डाल देना बिलकुल ही सिद्धान्त के खिलाफ है। १७, १८ रुपया छोटे-छोटे मजदूरों की तनख्वाह होती है, उनके खिलाफ है और दूसरे लोग हैं जिनके पास खाने पीने तक को नहीं है, जाड़ों में पयाल पर सोते हैं। उन पर अगर यह टैक्स पड़ेगा तो सिवा इसके कि वह मौत की तरफ जायं और कुछ नहीं होगा। इसलिए यह राक्षसी कानून आज हटे। इस कानून को तोड़ दिया जाय। और यह कहें कि हम १७, १८ रुपये माहवार पाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। क्या कोई भी आदमी जो १७, १८ रुपये महीना पाता है इस सरकार को टैक्स देने के लायक है ? कभी नहीं। यह विधेयक, १९२२ में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उससे भी बदतर है। इसलिए जो हमारे नेता राजनारायण सिंह जी ने कहा, इसको वापस ले लिया जाय। मई में चुनाव करायें, कोई फायदा नहीं। आठ महीने बाद चुनाव कराएं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर इससे चुनाव होता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को कोई फायदा नहीं है। जनता के सामने हम क्या कहेंगे ? जितने मेम्बरान यहां पर बैठे हैं, जब वह जनता के सामने जायंगे तो क्या मुंह लेकर जायंगे ? इतना रद्दी, इतना गिरा हुआ, इससे ज्यादा हीन विधेयक और कोई नहीं हो सकता। कहे कोई हमारे सामने। मिनिस्टर साहब से मेरा चैलेंज है, चैलेंज तो नहीं कह सकता, मेरा कहना है कि जब वह खड़े हों तो मेरी बातों का जबाब दें और मोटी-मोटी बातें रखें कि जो विधेयक लाया गया है इससे जनता को क्या फायदा होगा ? अभी मैं, मकनपुर का एक बहुत बड़ा मेला होता है, वहां गया था। तीन-चार लाख आदमी हर साल मेले में आते हैं। हजारों लाखों गाड़ियां आती हैं। मैं एक मिसाल देता हूं कि वहां की सड़कें कितनी खराब हैं। एक स्त्री जिसके पेट में गर्भ था, वहां पर इतने गड्ढे थे कि गाड़ी जब गड्ढे में गिरी, तो उसकी मौत ही हो गयी। कितनी बुरी चीज हो रही है।

इस बिल से कितना सूबे को नुकसान होगा ? उन्होंने प्रजातन्त्र की हत्या तो की ही, उसके साथ-साथ लोगों को जो इतनी तकलीफें देते हैं, उससे मालूम होता है कि गांवों के अन्दर स्कूल, सड़कें, पुल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, कोई चीज है ही नहीं। इस चीज को पहले से टूट जाना चाहिये था। आज के रोज से ही अगर ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टूट जायं तो जनता का कोई नुकसान नहीं होगा बशर्ते कि तीन महीने या चार महीने के बाद एक ऐसा विधेयक लायें जिसमें कोई जिन्दगी

[श्री बलवान सिंह]

हो, जिसमें गांव वालों की मजबूती के लिए कोई चीज हो। श्रीमन्, मुझे तो ताज्जुब हुआ अपने साथ के बेन्चेज वालों से कि आखिर ६ महीने के लिए किसके लिए कहते हैं, कौन सी चीज इतने दिनों में वे हासिल कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप कितनी देर तक बोलेंगे ?

श्री बलवान सिंह—जब तक आप इजाजत देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—साढ़े चार बजे के बाद मंत्री जो को बोलना है।

श्री बलवान सिंह—५ मिनट बोलने की आज्ञा और दे दें। श्रीमन्, कैम्पस के सिल-सिल में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से असेम्बली के चुनावों में १०० गज की दूरी पर कैम्पस रख सकते हैं उसी तरह से कैम्पस हो सकें तो अच्छा है क्योंकि २५ गज का फासला बहुत ही कम है।

एक खास चीज श्रीमन्, मुझे और कहनी है, चेयरमैन के चुनाव के संबंध में, कि यह डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिए। यहां पर जो कहा गया है वह यह नहीं है कि डाइरेक्ट चुनाव हो इसलिए आमतौर से देखा यह गया है कि सरकार धीरे-धीरे जनता के हाथ से ताकतें छीनती जा रही है। मेम्बर्स अपने प्रेसीडेन्ट को चुनें, इससे ज्यादा मजबूरी प्रेसीडेन्ट के लिये और क्या हो सकती है और जैसा कि मैंने बताया कि ६० परसेन्ट वोटर्स जिस जगह चाहें अपने सिगनेचर कर के उसको वापिस लें, उसको हटायें इससे ज्यादा फासिज्म की बात और गिरावट की बात सरकार के लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बात पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देने की कृपा करें।

श्रीमन्, अभी हमने बिहार में देखा कि सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह चला। तो इसमें आया है कि जो मनुष्य जेल के अन्दर है वह वोट नहीं कर सकता। क्यों ? अगर उसका नैतिक पतन हो या उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो और उसको सजा हुई हो, जिससे उसका नैतिक पतन हुआ हो और उसके बाद भी अगर वह अपील में न हो या अगर वह अपील पर है और किसी तरीके से उसका जजमेंट नहीं हुआ है या वह सिर्फ कन्फाइन्ड है तो फिर उसके लिए कोई रोक नहीं होनी चाहिए। यह मुनासिब नहीं है, चूंकि वह केवल जेल में है इसलिए वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता। हम लोगों का तो यह कहना है कि हर साल, तीन या चार महीने जेल में जायंगे। यह निश्चित मत है कि यह सरकार इतनी गन्दी है कि कोई बहादुर आदमी इसके कार्य को टालरेट नहीं कर सकता। तीन, चार महीने तो हम लोग जेल में रहेंगे और पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के समय भी हम लोग जेल में हों। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इसमें इस चीज को लाये कि जो लोग राजनैतिक ग्राउन्ड पर या जिनका नैतिक पतन न हुआ हो, वे अगर जेल के अन्दर कन्फाइन्ड होंगे, जिनके खिलाफ उस समय तक कोई जजमेन्ट न हुआ होगा, उनको वोट देने से रोका नहीं जायेगा। आज यह कितनी गन्दी चीज इसमें रक्खी गई है।

हमारे राजनारायण जी को १२ महीने की जेल का हुक्म हुआ, अच्छा हुआ वे छूट कर चले आये, इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे सफाई करें कि आखिरकार जेल से उनका क्या मतलब है ? इस चीज की सफाई करने की वे कृपा करें।

श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आखिरकार क्यों ताकतें दी जा रही हैं, हर जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आता है। सोशलिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ताकतों को तोड़ने के पक्ष में है। हम लोग कहते हैं कि चुनाव का काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अण्डर में न हो और उसके पद को तो तोड़ा जाय क्योंकि मैं देखता हूं कि इसका जहर चारों तरफ फैल रहा है। जिलों के अन्दर क्या-क्या कार्यवाही होती है ? जिसको चाहते हैं उसको गिरफ्तार किया जाता है, यहां तक हमने देखा हमारे पी० एस० पी० के साथी श्री वीरेन्द्र जी की मूंछें पकड़ कर जितने

पुलिस के सिपाही थे सब क जूतों पर सर रखा गया। गलती तो हम लोगों की है वरना अगर इस तरह से किसी सार्वजनिक कार्यकर्ता की बेइज्जती हो तो कभी बरदाश्त नहीं करना चाहिए चाहे कितनी ही मजबूत सरकार से टक्कर क्यों न लेना पड़े। इसलिए किसी किस्म का चुनाव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्डर में नहीं जाना चाहिए।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ध्यान से और सब्र से लगातार दो-तीन दिन से मैं बहस सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत दुःख हुआ कि इतनी अप्रासंगिक और इतनी विभिन्न रायों की यहां पर भरमार हुई कि अगर कोई भला आदमी किसी किस्म की गाइडेंस लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। एक ही पार्टी के सदस्य भिन्न-भिन्न रायें देते हैं। एक ही सदस्य ने एक बार आवेग में आकर एक बात कही तो आग चल कर बिल्कुल उसके विपरीत बात कही। मैं किसी प्रकार से सबको संतुष्टि दे सकूंगा यह मेरे लिए नामुमकिन बात है।

श्रीमन्, मैंने इस बात को छिपाया नहीं, यह दुख की बात है कि ६ साल तक चुनाव नहीं हो सके। अगर मुझे यह मालूम होता कि सरकार के इस भूल को स्वीकार करने से सदन का समय बच जाता तो मैं कुछ और आगे बढ़ कर के भी उस भूल को स्वीकार कर लेता। लेकिन वह बिल्कुल इर्रेलेवेंट हैं इस बिल के वास्ते। कुछ वजूहात की वजह से चुनाव कराना निश्चय किया गया और उसके वास्ते क्या जरूरी है, अगर इमीडियेटली चुनाव कराना है वहां तक अपने को केन्द्रित रखना था। बहुत से भाइयों ने हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या होना चाहिये और उसके क्या अधिकार होने चाहिए, इसमें यह सुधार होने चाहिए, इसके रिसोर्सेज नहीं बढ़ाये गये, यह सुधार नहीं हुए, पुलिस इसके मातहत नहीं कर दी गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रट का पद नहीं हटाया गया, सारी जितनी इर्रेलेवेंट बातें हो सकती थीं वे सब इसके अन्दर आयीं। इस बिल का उद्देश्य यह हरगिज नहीं है। वास्तव में जब गवर्नमेंट झुकती है और विपक्षियों की राय के मुताबिक सरकार उसे करती है तो भी उसे दोष दिया जाता है। हमारी राय थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जैसी हालत में आज हैं उन्हें खत्म कर दें। मेरा खयाल है कि कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय प्रकट की कि यह सड़ गये, निकम्मे हैं किसी काम के नहीं हैं इन्हें खत्म कर दें। हम लोग इस राय के थे और अगर हम लोगों ने विरोधी दल की बात मानने की भूल न की होती जो अब मालूम हो रही है जिन लोगों की राय मानी थी वह ही दोष देते हैं, तो शायद आज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स खत्म हो गये होते और ऐडहाक कमेटी बन गई होती।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन, किस विरोधी दल ने आप से यह कहा था?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---आप अगर शान्ति रखेंगे तो धीरे-धीरे सब मालूम हो जायगा।

श्री राजनारायण---मैं यह जानना चाहता था कि कहीं हमारा भी नाम उसमें आता है क्या?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---आप को छोड़ कर।

श्री उपाध्यक्ष---इनकी पार्टी को भी छोड़कर या केवल इन्हीं को छोड़कर (हंसी)?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---तो हम लोग वह कर रहे थे, लेकिन उस पर आक्षेप हुआ कि यह तो सरकार येन केन प्रकारेण अपने हाथ में ताकत बनाये रखना चाहती है। अब श्रीमन्, लोगों की इस गलतफहमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जब तक हमारा यह सौभाग्य हो कि प्रदेश की जनता हमें अल्पमत में न भेजे, तब तक यह गालियां हमें खानी ही पड़ेंगी। हम उससे बच नहीं सकते हैं। अब बहुमत में हम हैं। कहा गया कि १९४८ में चुनाव हुये थे। दस साल तक चुनाव नहीं हुए। जैसे कि पहले ही साल से चुनाव करा देना जरूरी था। यह भी बैलेंस नहीं

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

रखा कि चार साल तक तो कम से कम चलना ही चाहिए था। ६ साल चुनाव ओवरड्यू हुए लेकिन कहने में, क्योंकि ६ से १० ज्यादा बड़ा है, चाहे दस कहने में गलती हो जाय, बिलकुल व्यर्थ हो जाय, अर्थ हीन हो जाय, लेकिन कहा दस साल जायगा। जैसे दस साल तक हमने एलेक्शन नहीं कराया और फिर यह कि हम ताकत को पकड़े रहना चाहते हैं। उसको भी अगर लोग देखें तो श्रीमन्, १९५२ में जो चुनाव हुए थे जनरल एलेक्शंस, उस साल इनका भी चुनाव हो जाना चाहिए था, यह तो कोई भी ऐसा नहीं करता, मुमकिन भी नहीं था। तो यह तो एक साल बढ़ाये ही जाते। १९५३ में एलेक्शन करा सकते थे। सन् १९५२ में कांग्रेस एक थम्पिंग मेजारिटी में इस सदन में आयी थी। विरोधियों के दर्शन मुश्किल से होते थे। ४० भी कठिनाई से गिनकर होते थे। ४०० का ब्लाक कांग्रेस ही कांग्रेस का था। यह अनुभव किया जाता था कि अगर कुछ विरोधी होते तो कुछ मजा आता, कुछ लज्जत आती, हमें डिसक्शन में कुछ सुनने के लिए दूसरे पक्ष की बात भी मिलती। अब उस समय यह खयाल करना कि जब कांग्रेस इतन बड़े बहुमत में जीती हो, और आप जानते हैं श्रीमन्, कि जो जीते हुए होते हैं उनका दिमाग भी कुछ खराब हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि उस समय जरूरत से ज्यादा हमारे अन्दर अंहकार और घमंड रहा हो, तो हम तो भूलकर भी यह नहीं सोच सकते थे कि हम कभी हार सकते हैं। तो यह सोचना कि ताकत बनाये रखने के लिए हमने एलेक्शन नहीं कराया, इसे फैक्ट्स वारंट नहीं करते। उस समय ईमानदारी के साथ यह महसूस किया गया कि अगर इनको सुधार दिया जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एक बेहतर शक्ल दे दी जाय, इनके फाइनेंस के रिसोर्सेज बढ़ा दिये जायं, तो बेहतर होगा। लिहाजा यह किया गया कि एक कमेटी बनायी गयी। कैबिनेट की एक कमेटी ने उस पर विचार किया। उसके बाद डेढ़ दो साल तो यह चला। तब तक कोई भी यह नहीं कह सकता कि दिमाग के किसी भी कोने में यह छिपा हुआ था कि हम अपनी पावर को बनाये रखना चाहते हैं, इसलिए एलेक्शन नहीं करा रहे हैं। इस वजह से एलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद फिर नगर निगम बिल भी हमारे सामने आया। उसको पास कराने में केबिनेट में काफी दिक्कत हुई। बहुत बड़ा बिल है, सब सेक्शंस को देखना और पास करना। आज भी श्रीमन्, कहा जाता है कि हम सात दिन के अन्दर बना दें, किसी-किसी ओवर एन्थूजियास्टिक फ्रेंड ने तो यह कहा कि एक सेंकेंड के अन्दर हम बना सकते हैं। वह सेकेंड कम से कम कुछ दिन का तो जरूर होगा, वरना सेंकेंड तो कहते ही कहते खत्म हो जाता है। फिर यूनानिमिटी अगर हो जाय। बार-बार यह चीज सदन में कही गयी कि हम यूनानिमिटी अगर कर लें, सात दिन के अन्दर या दो महीने के अन्दर गवर्नमेंट कोई चीज निश्चित बना कर दे दे, ऐसा एश्योरेंस दे दे। कौन दे सकता है? कहां से युनानिमिटी ले आयेंगे जब मैं विरोधी दल के अन्दर ही युनेनिमिटी नहीं पाता हूं और जब कि यहां पर ५-६ विरोधी पार्टियां हों। फिर जैसे हमारे यहां हां में हां मिलाने वाले बैठे हैं और दिल व दिमाग घर पर ही छोड़ कर आये हैं और विरोधी दल जो कुछ कहेंगे उसे डिटो करते जायेंगे, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। ७ दिन में यह पास हो जायगा। कोई कहता है कि म्युनिसिपिल बोर्ड्स का चुनाव करा दीजिये। बिना कारपोरेशन बिल पास किये हुए, इलेक्शन करा दें? बिना एनेबलिंग बिल्स के पास किये हुए, इलेक्शंस करा दें? बिना किसी कानून के या बिना किसी रूल के काम नहीं किया जा सकता।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—(श्री प्रतापसिंह से) आप थोड़ा सा संतोष कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—अगर वे बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, केवल व्यवस्था के प्रश्न पर ही उन्हें बैठा सकता हूं।

श्री विश्वित्र नारायण शर्मा—मैं यह तसलीम करता हूं कि एलेक्शंस होन चाहिए था। कुछ देरी हुई, मैं कह सकता हूं। शायद उसमें कुछ हमारी थाटलेसनेस हो। १९५७ में जनरल एलेक्शंस आ गये, जिससे ये एलक्शंस नहीं हो सकते थे। हम को झक मार कर पोसपोन करना पड़ा। एलेक्शंस के बाद पहली मीटिंग कैबिनट की हुई। उसमें प्रपोज किया कि एलेक्शंस कर दें और मैंने एनाउन्स कर दिया था कि एलेक्शंस कराने जा रहे हैं, लेकिन फिर सोचा कि जब इतना समय वस्ट कर चुके हैं तो एडहाक कमटी बना दी जाय, एलक्शंस न कराये जायं। लेकिन जब विरोधी दल की तरफ से बहुत इसरार हुआ कि एलेक्शंस करा दिये जायं तो मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के नेताओं को दावत दी, उनकी राय ली। मैं खुशी या दुःख के साथ यह स्वीकार करता हूं कि माननीय राजनारायण जी उसमें उपस्थित नहीं हुए थे लेकिन बाकी विरोधी दलों के माननीय नेता थे और उनकी राय से ही सब पहलुओं पर विचार हुआ, कितना खर्च होगा, क्या होगा और अगर एडहाक कमेटी बना ली जाय तो उसमें कितना समय लगेगा? यहां तक सुझाव आये कि आप कुछ करा लीजिये, एडहाक कमेटी बना लीजिये। ४३० के हाउस में हम १/३ के करीब हैं तो १७ जिले हमारे हवाले कर दीजिये और बाकी ३४ जिलों में आप जो चाहें कर लीजिये। यहां तक प्रस्ताव हमारे पास आये। लोगों को यह सन्देह न रहे कि गवर्नमेंट इतनी पावर लविंग है और सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहती है, हमने मंजूर कर लिया कि एलेक्शन करा दिये जायं और सिर्फ इसलिये कि विरोधी दल की ख्वाहिश पूरी हो सके, गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा कायम रह सके, आपस में विचार विनिमय हो सके और सद्भावना कायम हो सके, इस वजह से जिस चीज को हम बुनियादी तौर से गलत समझते थे और जैसा कि बार-बार माननीय सदन में भी कहा गया कि जब हम इतने समय तक रुके हैं तो थोड़ा और क्यों न रुका जाय और जो अन्तिम शक्ल बोर्डों को देनी चाहिए वह दी जाय। फिर भी अगर हम नहीं रुके तो हम इसी वजह से नहीं रुके कि अगर इस स्थिति में भी हम लोगों को संतोष दे सकें, विरोधी दल के नेताओं को, और विरोधी दल के नेताओं को ही नहीं प्रेस भी हमारा समझता है कि वास्तव में चाहते ही नहीं हैं कि एलेक्शंस हों, तो हमने इसे थोड़ी अनुचित चीज भी जिसे कहा जा सकता है और काफी सदस्यों ने ऐसा कहा—उसे स्वीकार कर लिया।

अब उसके बाद इस बिल में यह देखना कि यह परफैक्ट बिल होगा और जो मूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्दर, खामियां हैं, कमियां हैं, उनको हम रिमूव कर देंगे, यह आशा करना ही बिलकुल गलत है, क्योंकि उद्देश्य था ही नहीं। उद्देश्य सिर्फ यह था कि जैसा भी लंगड़ा, लूला डिफ़ेक्टिव ऐक्ट है, उसके मुताबिक चुनाव करा दिये जायं और चुनाव कराने के लिए जो चीजें निहायत जरूरी हैं बस उतने ही तक अपने को सीमित रखा जाय और ज्यादा स्कोप सुधारों और अमेंडमेंट्स का न बढ़ाया जाय। चुनांचे यह बिल माननीय सदन के सामने सिर्फ इस गरज से रखा गया है, जैसा कि प्रिएम्बिल में कहा गया है और जैसा मैंने इसकी प्रस्तावना करते समय निवेदन किया था कि यह सिर्फ चुनाव कराने के लिए, जो निहायत जरूरी संशोधन कानूनी दृष्टि से हैं, कांस्टीट्यूशन का खयाल रखते हुए, करने पड़ रहे हैं, उनको हम कर रहे हैं।

अब बहुत से आब्जेक्शंस हुए कि आपने सुपरसेशन को रखा। जो लोग चुन कर आते हैं, जनता की मुहर जिनके ऊपर है, उनको आप को हटाने का क्या हक है, ऐसा कहा गया? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कांस्टीट्युएंसी बड़ी नैरोअर होंगी, एक-एक असेम्बली क्षेत्र में ५–५ के करीब सदस्य होंगे, छोटी कांस्टीट्युएंसी होंगी और मुझे कोई भी शक नहीं है कि बहुत ही संकीर्ण विचार और कंसीडरेशंस प्रिवेल करेंगे, जिस समय वोटिंग होगा। मैं शर्म के साथ इस बात को तस्लीम करता हूं कि बड़े-बड़े चुनावों में भी वह कंसीडरेशंस आ जाते हैं, जो कि नहीं आने चाहिए।

डेमाक्रेसी की यहां पर आवाज उठायी जाती हैं और जगह भी हम सुनते हैं। श्री मेहता जी ने भी ब्लाक लेविल के ऊपर डेमाक्रेसी को अधिकार देने और फूलने-पनपने देने की बात कही है। डेमाक्रेसी किताब के अन्दर नहीं होती है, किसी स्टेट्यूट या ऐक्ट के मुताबिक

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

नहीं होती है। एक नेशन के खून में, उसकी हड्डियों में, उसके स्वभाव के अन्दर होती है। वह एक मेंटल एटीट्यूड है जो बदकिस्मती से हमारे यहां इस देश में नहीं है।

हमने देखा, जिस समय यहां पर देश का पुनर्विभाजन हो रहा था, ऐडजस्टमेंट हो रहा था, उस समय जो कटुता आई, जो अनडेमोक्रेटिक ट्रेंसीज हुईं, पार्टी डिसिप्लिन न चला, सब खत्म हो गया और उस के बाद कितनी बदमजगी फैली, कितने सर फूटे और बाजार जला दिये गये? किसी पार्टी ने कोई लिहाज रखा, मैं नहीं कह सकता। तो उस जगह डेमाक्रेसी को एक फ़ेटिश बना लेना, बजाय इसके कि हमको ऊपर उठ जाना चाहिये था, एक साहब ने कहा कि हमको बाहर दूसरे देशों में लोगों को भेजना चाहिये था आदमियों को कि देख कर आते वहां पर कैसी कंडीशंस हैं, कैसी डेमाक्रेसी है? लेकिन यहां किस तरह से लोग ऐक्ट और रिऐक्ट करते हैं, वह कहां दिखलायी देता है? अगर कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हमारा काम चलने लग जाय तो शिकायत किस बात की है? तो छोटी-छोटी कांस्टीट्युएंसी से आदमी चुन कर आयेंगे, उनके लिए यह तवक्को करना भूल होगी कि वह सैक्रोसैंक्ट हैं, कोई गलती नहीं कर सकते हैं। ४ साल तक कोई गलती नहीं कर सकते हैं। हम यहां इस माननीय सदन में बड़ी कांस्टीट्युएंसीज से आये हैं। एक साल भी पूरा नहीं हुआ, मैजोरिटी हमारे पीछे है, लेकिन यह गवर्नमेंट किसी योग्य नहीं है, एक बार क्या पचास बार ऐसी बातें सुनते-सुनते हमारे कान पवित्र हो जाते हैं कि यह सरकार ऐसी है, वैसी है, फलां है, ढिमकी है। हम क्या हैं? हम चुन कर आये हैं और जनता द्वारा चुनकर आये हैं और इसी डेमाक्रेसी से चुनकर आये हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में तो ऐसे आदमी आयेंगे और इसलिये सरकार सुपरसेशन और डिजोल्यूशन के अख्तियारात अपने हाथ में न रखे और न किसी को हटाये। जैसे कि यही सरकार हमेशा कंटीन्यू करेगी। यह लोग भूल जाते हैं। जो लोग इसके बड़े हामी थे कि सरकार सुपरसेशन का अख्तियार अपने हाथ में न रखे उन्होंने दो मिनट बाद ही शिकायतें करनी शुरू कर दीं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जीप का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मास्टरों का तबादला कर देते हैं, कांग्रेस के मुखालिफों पर ऐक्शन ले लिये गये हैं, आदि आदि। हमारे पास तो यहां तक रिपोर्ट्स हैं कि जो कांग्रेस के बरखिलाफ काम करने वाले हैं उनको तरजीह मिली है। ऐसी भी शिकायतें हैं और लोग कहते हैं कि कांग्रेस अनपौपूलर है और सबसे ज्यादा अपोजीशन गवर्नमेंट सरवेंट्स ही करते हैं। हमारी विरोधी पार्टी के लोग ही हमें सुना जाते हैं कि कैसी तुम्हारी सरकार है। सारे सरकारी आफिसर विरोध में काम करते हैं। क्या सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि एक बार जो चुनकर आ जाय वह फिर किसी भी तरह की अनियमितता करे, लेकिन उस पर कुछ ऐक्शन न लिया जाय।

मैं दावा नहीं करता हूं कि सरकार की तरफ से गलतियां नहीं हुई होंगी। मैं मान सकता हूं कि गलतियां हुई होंगी और उनका सैंसर होना चाहिये। लेकिन जो सरकार चुन कर आती है क्या उसको ताकत भी न दी जाय? छोटी-मोटी गलतियों में इंटरफियर करना मैं नहीं चाहता हूं और न अखतयारात अपने हाथ में रखना चाहता हूं, लेकिन जो बड़ी गलतियां हों जैसे लाखों रुपये के गबन हो जाते हैं तो उनके लिये ताकत सरकार के पास न रहे? विरोधी दल के माननीय नेता मेरे पास आते हैं कि फलां जगह यह हुआ और आप को ऐक्शन लेना चाहिये तो ऐसी जगह एनेबलिंग क्लाज भी सरकार के पास न रहे जब कि बिल के मूल बाडी को बदलने का इरादा नहीं था। ऐसी सूरत में अगर यह प्रावीजन रखे जाते हैं तो कोई कयामत नहीं आ सकती है। इसलिये यह रखे गये हैं और मेरा खयाल यह है कि रखे जाने चाहिये।

एक महाशय ने तो यहां तक कह दिया कि यहां पर एक आदमी चुन कर आता है तो वह मिनिस्टर बन सकता है और वहां क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर ही तो बनेगा। इसमें बड़ी भारी फैलेसी है। यहां चुने जाने के लिए उसको ज्यादा वोटर्स की सपोर्ट चाहिये और इसके बाद भी यह डाउटफुल है कि जिसकी ऐसी रैपूटेशन हो वह एक दम मिनिस्टर हो जाय या गवर्नमेंट

मोंकिंग पावर हो जाय। यह तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ हों। तो यह सोचना कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी कि उसमें ज्यादातर अनडिजायरेबिल आदमी आ जायेंगे, ठीक नहीं होगा। अगर आ जायंगे तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। हम सारे रूल्स ऐसे बनाते हैं कि जेनरैलिटी हमारी ठीक हो। जनरली हमारे सब भाई ठीक तरह से काम करना चाहते हैं। इसी बेसिस पर डैमाक्रेसी सक्सीड कर सकती है और हम कोई ऐक्शन ले सकते हैं। एक्सेप्शन तो एक आध हो ही जायंगे।

जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है वह तो हमने जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में हैं उसको ही यहां बारो कर लिया है। अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया है। सिर्फ इतना किया है कि अगर कोई आदमी बाद में डिसएबिल हो तो उसको भी हम रिमूव कर सकें और कोई नयी चीज नहीं है। सिर्फ एलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए ही यह किया गया है। पहले ऐक्ट में यह सब चीजें मौजूद हैं। चूंकि अब हम इन्डाइरेक्ट एलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए उसकी कुछ प्लेस बदल दी गयी है। जो अंडरस्टैंडिंग्स और अंडरटेकिंग्स हमारे विरोधी दल के नेताओं के साथ हैं, उनको कायम रखते हुए ही हम यह बिल लाये हैं। इसका स्कोप बढ़ाने या घटाने की हमने कोई कोशिश नहीं की। हमारी यह इच्छा थी कि जो भला या बुरा ऐक्ट है उसके मुताबिक ही यह चुनाव करा दिये जायं। तो यह कहना कि डबल टैक्सेशन न हो सके, उसको रिमूव करने की कोशिश की होती, या इसमें पंचायतें लाने की कोशिश की गयी होतीं, यह सब बातें इसमें नहीं हो सकती थीं। न कभी हमारा वह इंटेंशन रहा। अगर ऐसा बिल हम लायेंगे तो जो आप यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जायं वह नहीं हो सकेंगे। इससे पहले, मई से पहले भी लोग एलेक्शन चाहते हैं, लेकिन जो कांस्टीट्यूशनल हर्डिल्स हैं उनमें भी जाना पड़ता है। आब्जेक्शनन्स आदि के लिए ७ दिन का समय दिया जाता है। नामिनेशन पेपर फाइल करने और उनके विदड्राल के लिए समय दिया जाता है। अगर वह और शीघ्र हो सके और हम उस सब को इक्जामिन कर सकें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी कि यह एलेक्शन और जल्दी हो जायं।

एक बड़ी भारी आपत्ति यह की गयी कि डेढ़ या दो साल के लिए यह स्वांग कराया जाता है। यह चीज भी विरोधी दल के सामने आयी थी। उनसे पूछा गया था। हमने खुद कहा था कि अगर हम जल्दी से जल्दी कर सकें, दिसम्बर तक चुनाव कर सकें, तो उनकी राय थी कि इतनी जल्दी चुनाव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि नगर निगम विधेयक पड़ा हुआ है। नगर निगम विधेयक के लिए, इन चुनावों के कारण शायद हाउस मई में बैठना नहीं चाहेगा। हम अपना बजट ही अप्रैल तक समाप्त करेंगे। तो इस तरह से नगर निगम विधेयक जून में आयेगा। ज्यादा काम हम करना नहीं चाहते हैं। जिस बिल को एक मिनट में पास करने की बात कही गयी उसमें तीन दिन लग ही चुके हैं और अगर यह सेलेक्ट कमेटी में गया---अगर ऐग्रीड लिस्ट मेम्बरों की मिल गयी तो---उसमें भी समय लगेगा। और फिर एक दिन का समय तो पास करने में और लगेगा। क्योंकि मिनिमम कंडीशन्स भी कुछ होती हैं। नगर निगम विधेयक हम जितनी भी जल्दी पास कर लें उतना ही अच्छा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्थान पर कौंसिलें बनाने के लिए उनके स्कोप की बात हमारे सामने आती है।

माननीय राजनारायण जी उस समय तक सहमत न होंगे जब तक कि उनके ऊपर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को न हटा दिया जाय, और दूसरे सदस्यों की भी अपनी अपनी बातें होंगी। तो इन सब बातों के लिए न विरोधी दल के नेताओं को ही विश्वास होता है और न मुझे। तो मैं अपने भरोसे पर कोई आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हूं कि फलानी तारीख तक एलेक्शन करा दूंगा। इस वास्ते अगर एडहाक कमेटी बना कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम करें और जल्द से जल्द कौंसिल बनाने की तैयारी करें और सब का सहयोग उसमें मुझे मिले तो मैं तैयार हूं। मेरी तरफ से कोई कमी न

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

होगी । मैं अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा समय देने के लिये तैयार हुं, लेकिन सबका जिम्मा नहीं ले सकता । यहां ऐसे भी सदस्य हैं कि जो शनिवार को काम नहीं करना चाहते । यह भी नहीं चाहते कि दोपहर में एक घंटे के समय में हम बारी-बारी से जा कर खाना खा आयं और काम चलता रहे । घंटा आधा घंटा कामरोको प्रस्ताव में खत्म हो जाता है । एक घंटा प्रश्न में जाता है । अधिक समय भी बैठने के लिये तैयार नहीं हैं, तो फिर इतना काम जो लेजिस्लेशन का पड़ा हुआ है, जिसके लियें हमें गालियां खानी पड़ती हैं, वह कैसे होगा ? सब लोग चाहें तो मैं इसके लिये विचार कर सकता हूं कि ३ दिन में प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जावे । ख्वाहिश मेरी भी यही है कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिये और मैं इस राय के सामने सिर झुकाता हूं । इसलिये ३ दिन से ज्यादा सेलेक्ट कमेटी की बात मैं मंजूर करना नहीं चाहूंगा । लिस्ट मुझे अभी मिलनी चाहिये, नहीं तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि इस पर क्लाज-बाई-क्लाज विचार किया जाय और पास किया जाय । मैं यह अन्डर-टेकिंग दे सकता हूं कि जो चीजें आसानी से इनकारपोरेट की जा सकेंगी उनके लिये मैं दूसरों के प्वाइंट आफ व्यू को जगह देने की कोशिश करूंगा जितनी मैं दे सकूंगा । जब तक ऐग्रीड चीज नहीं हो तब तक मैं तैयार नहीं हूं कि बिल टाइम से पास न हो, एलेक्शन न हो सकें और हम गालियां खावें । झारखंडराय जी का भाषण सुनकर मुझे खुशी जरूर हुई कि उन्होंने जिस अन्डरस्टैंडिंग को कायम किया था उसे रैसपेक्ट भी किया । सभी सदस्यों ने साफ-साफ नहीं कहा और वे थोड़ा सा भूल गये कि उन्होंने क्या वादा किया था और हमारी राय क्या थी और किस वजह से सरकार से गलती हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—आप अभी १५ मिनट और बोल सकते हैं ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मैं जल्दी ही खत्म करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप १५ मिनट जरूर ही बोलें ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—आपका तो इशारा भी मेरे लिये काफी है । कहा गया कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन बनाया गया है, लेकिन वह कैसे बनेगा, यह इसमें नहीं है । यह बिल केवल संशोधन का है और उसका प्राविजन मूल ऐक्ट में है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मूल ऐक्ट में नहीं है ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—कानून में है जरूर ।

१९५० और ५६ वाली बात भी कुछ लोगों ने कही चाहे गलतफहमी से ही कही, क्योंकि मल ऐक्ट, १९५० का है और संशोधन १९५६ का है । जहां तक यह बिल उसे संशोधित नहीं करता है तो उसकी बातें रहेंगी ही ।

डिसक्वालीफीकेशन के बारे में हमने अनसाउन्ड माइन्ड की बात कही है । यह बड़ा टिक्लिस सवाल है । मैं कह नहीं सकता हूं कि हमारे में से स्वयं कितने साउन्ड माइन्ड के हैं । आप कोई हद नहीं बांध सकते हैं, लेकिन वह भी प्राविजन इसमें है । हमारे संविधान के मुताबिक जो वोटर हो सकता है वही क्वालिफिकेशन हमने मानी है । उसमें ओरिजिनल में अनसाउन्ड माइन्ड का आदमी असेम्बली के लिये वोटर नहीं हो सकता है, उसी को हमने माना है । तो इसलिये वह रूल आउट हो जाता है । अगर डाक्टर के पास जाया जायगा तो मालूम नहीं वे किस किसको अनसाउन्ड माइंडेड का सार्टिफिकेट दे दें ।

श्री राजनारायण—कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स को इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जायगा ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---लेकिन मुझको नहीं मिलेगा, अनसाउन्ड माइंडेड का सर्टिफिकेट आपको ही मिलेगा।

जहां तक डिसोल्यूशन व सुपरसेशन की बात है, मैं इस बात का ऐश्योरेंस देता हूं कि भरसक इस तरह की कहीं नौबत नहीं आयेगी। जो बोर्ड्स सुपरसीडेड हैं भी उनके लिये भी आर्डर है कि वहां भी एलेक्शन हो जाय। सिर्फ एक दो बोर्ड ऐसे रह जायंगे जो इस वास्ते और इस शर्त पर अभी प्रशासक के हाथ में ही रहेंगे कि वे मंथ बाई मंथ वहां के इनकम को प्रपोर्शनली इनक्रीज करके दें, क्योंकि अभी वहां लाखों रुपये का हिसाब पूरा करना है। मुझको इस बात को मानने में भी कोई शर्म नहीं है कि हमारे प्रशासकों का प्रबन्ध सभी जगह निर्दोष रहा है, यह मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक ने यह भी देख लिया कि २० और २५ का जो मामला है, उनको गुनाहे बेलज्जत हम अपने ऊपर क्यों लें? दो चार जो निकम्मे आदमी हैं, वे जैसा करेंगे उसको भुगतेंगे। लेकिन फिर भी मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि डिसोल्यूशन या सुपरसेशन की जो धारा इस विधेयक के अन्दर है उसको रहने दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा ग्रास ऐब्यूजमेंट होता है जिसको रोकने के लिये इस अधिकार का सरकार के पास रहना जरूरी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसका मिसयूज नहीं होगा। अगर कभी ऐसा हो तो माननीय सदन को अधिकार है कि वह उसे सेंसर कर दे। मैं समझता हूं कि यह चीज बिलकुल लेजिटिमेट है।

चुनाव के सिलसिले में यह कहा गया कि बैलट पेपर्स वगैरह को सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि सरकारी आफिसर उनकी मदद कर सकें। इस विषय में मैंने कल खासतौर स इसीलिये विरोधी दल के नेताओं से प्रार्थना की थी कि वे अपनी स्कीम पर राय देकर हमको अनुगृहीत करें, लेकिन वे कोई ऐसी माकूल चीज नहीं बता सके जो फूलप्रूफ हो। बैलट पेपर्स के सम्बन्ध में बतलाया गया है कि उसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। यह कहना कि बैलट पेपर्स की सीक्रेसी रह जाती है या रह जायगी, सही नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से निशान नहीं लगा सकते हैं। जब देश में ऐसे आदमी भी हैं कि बैलट पेपर के सामने उन्होंने माथा भी टेका और फूल पत्ती भी चढ़ायी और उनको बैलट बाक्स के सामने डाल दिया। वहां ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आये जिन्होंने सब बैलट पेपर्स को उठा कर एक बक्से में डाल दिया। तो ऐसी सूरत में कोई चीज फूलप्रूफ नहीं कही जा सकती है कि इस सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो खुद अपने एलेक्शन में देख चुके हैं कि जबरदस्ती बैलट पेपर्स भी छीने जाते हैं।

श्री राजनारायण---क्रासिंग की बाबत क्या है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---क्रासिंग की बाबत कहा गया कि गंवार आदमी क्या कर सकता है, जो बिलकुल अनपढ़ है? मैं कहता हूं कि अगर कोई अनपढ़ भी है तो उसके लिये यही आर्डर है कि वह टेढ़ी-मेढ़ी जैसी भी हो एक लाइन लगा दे। अगर किसी तरह की भी लाइन वह लगा देगा तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसे इनवैलिड नहीं माना जायगा। ऐसे आर्डर पहले भी थे और अब भी हैं। ह्यूमनली पासिबिल जो कुछ हो सकता है उसे करने की कोशिश की जायगी। एक सुझाव यह भी आया कि अंगूठे का निशान लगा देने की इजाजत हो। हमने कहा कि हम इसको भी मानने की कोशिश करेंगे जब तक कि कोई बहुत ही ज्यादा वैसी चीज न हो। हम पैड रखा देंगे, लोग चाहें तो अंगूठा लगायें, हाथ काले करें। यह भी हो सकता है कि दलों के एजेंट भी सामने रहें और ऐसे वोटर, जो निशान नहीं लगा सकते हैं, वह उनकी मौजूदगी में अंगूठा लगा दें। हमारे अफसरों के बारे में यह खयाल करना कि वह तरफदारी करेंगे मैं समझता हूं यह शक करना भी जस्टिफाइड नहीं है।

श्री राजनारायण---बैलट आप रख दें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---बैलट में पैसा कितना खर्च होता है, उतना पैसा कहां से आये, बगैर पैसे के कैसे करा सकते हैं ?

श्री राजनारायण---बैलट के लिये खर्च नहीं है, एक मंत्री के लिये ६-६ हजार रुपया कहां से आ जाता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---वहां पर मिनिस्टर्स तो देंगे नहीं और अगर दस ग्यारह मिनिस्टर्स के देने से काम चल जाता तो फाका करके भी कुछ दे देते और खाने के लिये राज-नारायण जी के घर चले आते, लेकिन उतने से वह खर्च पूरा नहीं हो सकता, जो बैलट सिस्टम से चुनाव कराने में होगा । केवल सेन्टीमेंट से काम नहीं चल सकता, आदर्श को आप पकड़ें, लेकिन उस आदर्श को आप उस जगह पर न ले जायं कि खर्चा जो उससे हमारे कंधों पर आये, वह बरदाश्त से ज्यादा हो जाय । हमें उस व्यय को, जहां तक सम्भव हो, मिनिमाइज करना चाहिये । फिर यह भी हो सकता है कि बैलट पेपर लोग जेब में रखकर ले जायं, हम किसी की तलाशी कहां तक ले सकते हैं, बाहर जाकर वह रुपये डेढ़ रुपए में बिक सकता है और इस तरह से कितने ही वोट उस सिस्टम में भी इनवैलिड हो सकते हैं । इसलिये यह कहना गलत होगा कि वह कोई फूलप्रूफ तरीका है । मैं तो बहुत ही सादा सा आदमी हूं ।

एक सदस्य---हम भी सादे से आदमी हैं ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं उनकी सादगी पर अपने को न्यौछावर करता हूं, लेकिन मैं अपने को तो बहुत ही सिम्पिल समझता हूं, बल्कि यहां तक कि सिम्पिलटन भी समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहता कि हमारी आनेस्टी पर डिपेंड किया जाय । मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्ल का भरोसा करें, आप यह समझें कि हम हर कदम पर धोखा देंगे । आप हमारी बात को गलत समझकर अपनी अक्ल से टेस्ट करें और जज कर लें, तब विश्वास करें ।

श्री राजनारायण---आपके हिसाब से तो असेम्बली के चुनाव भी गलत हुए होंगे ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---असेम्बली के चुनाव गलत हुए या नहीं हुए, लेकिन आगे से चुनाव इसी पद्धति से होंगे । बगैर बैलट के कोई आसमान नहीं फट जायगा । असेम्बली के चुनाव में भी यही तारीका आगे होगा । लोग गलतफहमी में न पड़ें, लोगों को मौका होगा असम्बली के एलेक्शन के लिये अभी से ट्रेन हो जायं । बाकी मैं फिर यही कहूंगा कि आप अपनी अक्ल की बात मानें और मेरे या किसी के कहने से न मानें । हमारी समझ में तो वही बात आती है कि जिससे फायदा हो, सहूलियत हो और काम भी ठीक से चल जाय ।

इसके बाद अब मैं और तमाम बातों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता हूं और समय भी अब अधिक नहीं है इसलिये मैं प्रस्ताव करूंगा कि अगर सदन चाहे तो इसे ३ दिन के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय, बशर्ते कि समिति के सदस्यों के नाम की एक एग्रीड लिस्ट मुझे दे दी जाय ।

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर । क्या कोई भी सम्मानित सदस्य शर्त के साथ प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---अभी मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने सदन के समक्ष एक विचार अभी पेश किया है । जो प्रस्ताव हैं, वह सदन के सामने हैं, उन पर अभी वोटिंग नहीं हुई है ।

श्री राजनारायण---लेकिन अनावश्यक बात तो उन्हें नहीं कहनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय मेरे सामने ५ संशोधन हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन म में माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मानने को तैयार हूं कि प्रवर समिति तीन दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन दे दे।

श्री उपाध्यक्ष---आपका तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जी हां। लेकिन अगर मंत्री जी की यह राय हो कि इसी सदन की सेलेक्ट कमेटी बैठे तो मैं इस संशोधन के लिय तैयार हूं और तीन दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप लोग अगर आपस में समझता कर लें तो श्री पद्माकर लाल जी का प्रस्ताव ऐसा है जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो सकता है कि प्रवर समिति तीन दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे। लेकिन उसमें तो परिधि बढ़ाने की भी बात है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां, ठीक है उसी के साथ नामों की लिस्ट आ जाय और वह एग्रीड लिस्ट आ जाय मैं उसको मान लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---पहले सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो जायगा तो उसके बाद मैं नामजदगी के लिये नाम मांगूंगा।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, दिक्कत यह है कि अगर नामों पर इत्तफाक न हो सका तो नाम फिर रगुलर वे में आवेंगे, यानी चुनाव होगा। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है तीन दिन के अन्दर पूरा नहीं हो सकगा, यह तो बहुत गलत चीज होगी। इस वास्ते ऐग्रीड लिस्ट आ जाय और तीन दिन के अन्दर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं अपोजीशन की तरफ से सभी लोगों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ स एग्रीड लिस्ट दी जायगी, जितने नाम हमारे होने चाहिये उतने ही जायेंगे।

श्री राजनारायण---हम भी आश्वासन देते हैं, हमारी जो स्ट्रेंग्थ है २५ की और हर हालत में हमारा एक आदमी रहेगा तो हम भी एक ही नाम भेजेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, कोई शर्त लगा कर मैं प्रस्ताव नहीं ले सकता। मैं थोड़ा समय आपको दे सकता हूं, आपस में कोई समझौता कर लें नहीं तो नियमानुसार मेरे सामने जो प्रस्ताव ....

श्री विचित्र नारायण शर्मा---काफी कोशिश की गई उसमें हम असफल रहे। इस वास्त मरी अर्ज है कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री राजनारायण---शर्त आपकी कैसे हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं उनका कोई प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। अगर समझौते स कोई एग्रीड लिस्ट आयेगी तो मैं उसको लेलूंगा। नहीं तो जो मूल प्रस्ताव है उसी पर मत लूंगा और कुछ नहीं करूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री जी भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वह खड़े हो कर सुझाव दे देते हैं कि काफी कोशिश की गई और ऐग्रीड लिस्ट नहीं हो सकी। मैं चाहता हूं कि जो उसके पीछे राज है वह खुल जाय। उनकी तरफ से अड़ंगेबाजी हो रही है। जितने जिस पार्टी के सदस्य, स्ट्रेंग्थ (बल) के अनुसार होने चाहिये वह ले लें, अगर कोई भी विरोधी पार्टी अपनी शक्ति से ज्यादा स्थान मांगती हो तब वह कह सकते हैं कि दूसरी

[श्री राजनारायण]

पार्टी अड़ंगेबाजी लगा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अड़ंगेबाजी है तो कांग्रेस पार्टी की ओर से है और यह परदा खुल कर रहेगा कि अड़ंगेबाजी कौन कर रहा है। इसीलिये हमने केवल एक नाम ही अपनी तरफ से भेजा है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐग्रीड नाम की जो बात कही जा रही है तो जितने अपोजीशन के होने चाहिये उतने नाम आ ही रहे हैं, फिर ऐग्रीड लिस्ट का मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---(स्वशासन मंत्री से) मैं जानना चाहता हूं कितनी संख्या आपने विरोधी दलों के लिए रखी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---आम संख्या नहीं दी है, मैंने नाम मांगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप क्या चाहते हैं और अपोजीशन क्या चाहता है ? इसे कृपया स्पष्ट करें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जिन पर हमको आब्जेक्शन हो वह न दें।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये जब तक सभी दलों में समझौता नहीं होता तब तक सुप्रीम अथारिटी हाउस ह और सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से मत प्रदान होगा। पहल आपको निश्चित कर लेना है कि इसे प्रवर समिति में आपको भेजना ह या नहीं। अगर प्रवर समिति के लिय कोई प्रस्ताव आप स्वीकार करेंगे तो एक श्री विभव जी के प्रस्ताव में इस संशोधन को लावें कि एक मास के स्थान पर तीन दिन रख दिया जाय, मैं मत ले लूंगा। जब प्रस्ताव स्वीकार हो जायगा तब लिस्ट का प्रश्न आयेगा।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---श्रीमन्, मुझे कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना है। मैं कोई सुझाव स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं एक बात जरा जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने अपोजीशन के मेम्बर्स से बातचीत की। कहां किससे बातचीत की यह वह जरा स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने अपनी नीति का एलान कर दिया। खानगी बातचीत के लिये मेरे पास समय नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि ऐसे नाम मुझे चाहिये अपोजीशन के जिन पर मुझे आब्जेक्शन न हो। तो हम भी कह सकते हैं कि हमको भी कांग्रेस से ऐसे नाम चाहिये जिन पर हमको आब्जेक्शन न हो। तो यह तो कोई सिद्धान्त नहीं हुआ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जरा माननीय मंत्री जी फिर समझ लें और इस सदन की परिस्थिति को आइन्दा के लिये भी खराब करन की कृपा न करें। अगर यह परम्परा वह चलायेंगे कि इनके डिक्टेशन पर अपोजीशन नाम द तो कभी भी कोई सेलेक्ट कमेटी नहीं बन पायेगी सदन में, मैं आपके द्वारा यह एलान कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें। जहां तक उसका सवाल है, अगर सदन एक मत हो जाय ....

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में जो प्रश्न हमारे सामने आया उसमें सरकार और सभी दलों के सदस्य जो थे सब ने, यह तय किया था कि तीन दिन तक इस पर जनरल डिसकशन होगा

और फिर यह सेलेक्ट कमेटी को जायगा, फिर सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद इस पर विवाद होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—देखिए, जहां तक बिजनेस ऐडवाजरी कमेटी की बात है वह प्रस्ताव जो सदन के सामने आ गया है वही मैं मानूंगा शेष आपसी बातचीत है ।

एक सदस्य—मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो यह कर लिया जाय कि समय बढ़ा लिया जाय नहीं तो .....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि साढ़े ५ बजे तक के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय और फिर साढ़े ५ बजे, जब ऐग्रीड लिस्ट बन जाय, तब सदन बैठे ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, अगर चाहते हों, आपस में बातचीत हो जाय, तो मैं थोड़ा सा मौका द सकता हूं ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, कोई आशा मुझे नहीं है कि कोई ऐग्रीड लिस्ट हो सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक मास के भीतर अपनी रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अगर यह सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव नहीं माना जाता है तो अपोजीशन और कम से कम हमारी पार्टी इस बात के लिये बाध्य नहीं होगी कि यह प्रस्ताव केवल तीन ही दिन तक चले । हम लोग किसी चीज पर आगे बाध्य नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब तो मैं वोट ले रहा हूं । अब तो आप मौका खो चुके ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, अगर पांच मिनट के लिये ऐडजर्न करने का हो सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इस समय आपने डिवीजन की घंटी बजवा दी है, अब कोई रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं सुने ले रहा हूं लेकिन उस पर कार्यवाही डिवीजन के बाद होगी ।

(घंटी बंद होने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक मास के भीनर अपनी रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३४,

विपक्ष में—१०६ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मुझे एक प्रस्ताव करना है कि आज सदन की कार्यवाही ६ बजे तक के लिये बढ़ा दी जाय, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम बाकी रह गया है और वह पूरा होना है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आधा घंटा समय सदन का बढ़ चुका है, हमारी प्रदेशीय पी० एस० पी० की मीटिंग हो रही है और हमें उसे अटेंड करना है, उसके लिये टेलीफोन भी आ चुका है । नरेन्द्र सिंह विष्ट जी कृपा कर अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राजनारायण---मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं । माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी ने इस समय जो आपके सम्मुख एक प्रस्ताव पेश किया है मैं उस पर वैधानिक आपत्ति प्रस्तुत कर रहा हूं । एक बार इस सदन में जब यह प्रस्ताव पास हो चुका कि सदन साढ़े ५ बजे तक बैठेगा तो अब यह सदन उस प्रस्ताव के विरुद्ध दूसरा प्रस्ताव नहीं कर सकता .....

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---प्वाइंट आफ आर्डर, सर ।

श्री उपाध्यक्ष---जब एक प्वाइंट आफ आर्डर पहले से रेज किया हुआ हो तो प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया जा सकता ।

श्री राजनारायण---(श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट के पुनः उठने पर) श्रीमन्, मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है कि आपने माननीय सदस्य को चेतावनी दी कि अभी कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता, लेकिन वे बार-बार खड़े हो कर चेयर की अवहेलना करते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, मैं अवहेलना समझूंगा तो उनको हिदायत कर दूंगा ।

श्री राजनारायण---मैं, श्रीमन्, यह निवेदन कर रहा था कि मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि जब एक प्रोसेस शुरू हो गया है .....

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये ।

श्री धनुषधारी पांडेय---श्रीमन्, यह अनुचित है ....

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिए ।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमने जब अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा था, उस समय की एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर हमारे विरोधी दल के लोग अपना नाम दर्ज करने यहां आ गये थे और ट्रेजरी बैंचेज के लोग अपना नाम दर्ज करके यहां नहीं आये थे और अगर नाम.....

श्री उपाध्यक्ष---आप क्या नजीर दे रहे हैं ?

श्री राजनारायण---जी हां, नजीर दे रहा हूं । नजीर यह दे रहा हूं कि जिस समय हमने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया था और अध्यक्ष महोदय से कहा था कि आप काउंटिंग को घोषित कीजिये क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो रहा है, हम आप को प्वाइंट आफ आर्डर करके कहते हैं कि आप घोषित कीजिये, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है और वह काउंटिंग का प्रोसेस है कि लोग जाकर डिवीजन में दस्तखत करेंगे और जब तक दस्तखत नहीं हो जाते हैं तब तक कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं लूंगा । तो मेरा यह निवेदन है कि अब आप ने संशोधनों पर वोट लेना शुरू कर दिया है ... ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन राजनारयण जी, एक संशोधन मैं खत्म कर चुका हूं, तो आपकी वह बात लागू नहीं होती। एक संशोधन जिस पर मैंने मत लिया वह समाप्त हो गया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ३ संशोधन हैं। कुछ संशोधन तो माननीय पद्माकर लाल जी के पक्ष में वापस लेने की लोगों ने बात कही, क्योंकि एक ही विषय पर संशोधन लेने की बात चल रही है। तो जब आप ने संशोधन पर मत लेना आरम्भ कर दिया है तो मेरा कहना यह है कि इस मत लेने के प्रोसेस में अब कोई भी प्रस्ताव नहीं आ सकता है और अगर इस मत लेने के प्रोसेस में कोई प्रस्ताव आता है तो वह प्रस्ताव अवैध है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ आप से अपील करूंगा और आपके साथ सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस सदन को तमाशा न बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष—यह एतराज के काबिल बात है। कोई माननीय सदस्य इस सदन को तमाशा नहीं बनाना चाहते।

श्री राजनारायण—तो मुझे खुशी होगी अगर वह न बनाएं। यह कांग्रेस कमेटी का कोई दफ्तर नहीं है और न मीटिंग हो रही है, यह आदरणीय विधान भवन है। यह सदन है।

श्री सुरथबहादुर शाह—साढ़े पांच हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—साढ़े पांच बज चुके हैं। अब हम उठते हैं और १० तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १० फरवरी १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
७ फरवरी, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

			फार्मों की संख्या	कुल क्षेत्रफल एकड़ों में
मेरठ	डिवीजन	देहरादून	१६	३,७८९
,,	,,	सहारनपुर ..	२३	४,१३८
,,	,,	मुजफ्फरनगर	३५	१०,४६३
,,	,,	मेरठ	४४	९,३८०
,,	,,	बुलन्दशहर	५३	८,१४७
आगरा	डिवीजन	अलीगढ़	६	९७३
,,	,,	मथुरा	१०	२,११८
,,	,,	आगरा	४०	७,४४२
,,	,,	मैनपुरी	११	१,४६६
,,	,,	एटा	२०	३,५१४
रुहेलखंड डिवीजन		बरेली	३६	८,३७८
,,	,,	बिजनौर	९२	३२,८९०
,,	,,	बदायूं	१८	२,४८२
,,	,,	मुरादाबाद	६१	९,००२
,,	,,	शाहजहानपुर	७०	१७,५९९
,,	,,	पीलीभीत	९१	२५,९०७
,,	,,	रामपुर	१६१	५२,०४८
इलाहाबाद डिवीजन		फर्रुखाबाद	६	१,५८५
,,	,,	इटावा	..	..
,,	,,	कानपुर	२	३६१
,,	,,	फतेहपुर	६	१,९०२
,,	,,	इलाहाबाद	२	५१६
झांसी	डिवीजन	झांसी	९	१,६७०
,,	,,	जालौन	..	..
,,	,,	हमीरपुर	१	३८८
,,	,,	बांदा	१०	१,६४७
बनारस	डिवीजन	बनारस	..	..
,,	,,	मिर्जापुर	६	३,९५७
,,	,,	जौनपुर	..	..
,,	,,	गाजीपुर	..	..
,,	,,	बलिया	..	..

				फार्मों की संख्या	कुल क्षेत्रफल एकड़ों में
गोरखपुर डिवीजन	गोरखपुर	..	..	३३	६,६२३
,, ,,	बस्ती	..	..	७७	२,७८९
,, ,,	आजमगढ़	..	..	१	१७१
,, ,,	देवरिया	..	..	२९	६,२८८
कुमाऊं डिवीजन	नैनीताल	..	..	७६	१९३६१·६६
,, ,,	अल्मोड़ा	..	..	..	..
,, ,,	गढ़वाल	..	..	..	..
,, ,,	टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	..
लखनऊ डिवीजन	लखनऊ	..	..	७	१,३००
,, ,,	उन्नाव	..	..	९	२,५७४
,, ,,	राय बरेली	..	..	५	७१७
,, ,,	सीतापुर	..	..	११	२,५६२
,, ,,	हरदोई	..	..	१०	२,१२०
,, ,,	खीरी	..	..	२४१	७५,९७२
फैजाबाद डिवीजन	फैजाबाद	..	..	८	१,१७९
,, ,,	गोंडा	..	..	१९१	४१,२९४
,, ,,	बहराइच	..	..	४३	१४,५२०
,, ,,	सुल्तानपुर	..	..	२	६६५
,, ,,	प्रतापगढ़	..	..	५	८७९
,, ,,	बाराबंकी	..	..	१७	४,०८५
	जोड़	..		१,५९४	३,९७,८६१

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

सन् १९५६-५७ ई० में गाजीपुर जिले में हरिजन बालक और बालिकाओं को प्रदान की गई छात्रवृत्ति का विवरण

क्रम-संख्या	जाति	छात्रवृत्तियों की संख्या	
		बालक	बालिकाएं
१	चमार	३०६	२३
२	धोबी	२६	२
३	धरकार	१२	२
४	नट	१	०
५	डोम	५	१
६	बहेलिया	२	.
७	पासी	१७	१
८	भंगी	१५	..
९	खटिक	१३	..
१०	दुसाध	२४	..
११	दबगर	२	..
१२	करवाल	१	..
१३	बांसफोर	२	..
१४	कोल	२	..
१५	मुसहर	३	..
	योग ..	४३१	२९
	कुल योग ..	४६०	

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

सन् १९५६-५७ में गाजीपुर जिले में पिछड़ी जाति के बालक और बालिकाओं को प्रदान की गयी छात्रवृत्ति का विवरण

क्रम-संख्या	जाति	छात्रवृत्तियों की संख्या	
		बालक	बालिकाएं
१	लोहार	४	..
२	अहीर	४०	६
३	मल्लाह	४	..
४	गड़ेरी	६	..
५	कहार	६	..
६	कुर्मी	२	..
७	नाई . ..	९	१
८	कोइरी	१५	..
९	दर्जी	३	..
१०	भर	८	१
११	कुम्हार	५	..
१२	सोनार	३	१
१३	गोसाई	१	..
१४	तेली	११	..
१५	बिन्द	४	२
१६	हलवाई	१	१
१७	बारी	२	१
१८	माली	..	१
१९	गोंड	३	१
२०	लोनिया	२	..
२१	मुस्लिम भंगी	१	..
	योग ..	१३०	१५
	कुल योग ..	१४५	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२८७ एल० ए० १९५८—८१० ।